[Shri Harsh Deo Malaviya]

Madhya Pradesh it is only 8 to 10 per cent. The area of Punjab is only one-fourth of Madhya Pradesh and yet with 80 per cent of irrigation facilities, Punjab produces as much food crops as is produced by such a big State as Madhya Pradesh.

1 P.M.

At least what we can do is that those projects which have been lying unfinished for years and years should be immediately completed. Small irrigation schemes should be given priority. Then there should be drinking water facilities and no denuding of forests. Another thing I would emphasise is storage. It is high time that we encourage vegetable and fruit cultivation on very small plots. But it is also necessary to have cold storage plants and canning industries at block levels, and also storage godowns.

Then there is the question of bonded labour. There is also the question of warehouses, godown facilities. But I do not have time to go into all these. However, I must tell you that the bonded labour is not yet fully abolished. I have got reports with me which clearly show this. I have got the report from Bihar which shows how a bonded labourer got freedom only by suicide. This process continues. At the lower levels, it is not being implemented. There are hundreds of hurdles. I Would request the hon'ble Minister to look into the matter. As an American professor has said, by merely calling bonded labour as illegal, you cannot make it illegal. The State machinery has to be tightened for this and the control has to be given to the popular committees.

Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

Discussion on the working of the Ministry of Agriculture and Irrigation—Contd.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Sultan Singh.

श्री सुल्तान सिंह (हरियाणा) . उपसभापति महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर इकोनोमी का ताल्लुक है इस देश मे सबसे बड़ा महत्व एग्रीकल्चर का ही है। यह कृषि प्रधान देश है। लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी सरकार को जितनी तवज्जो एग्रीकल्चर की तरफ देनी चाहिए उतनी अभी तक नही दी। यही कारण है कि हमारे देश के अंदर अभी तक भी बहुत सारी जमीन बेकार पड़ी है जिस पर हम खेती कर सकते है। इस देश को भगवान ने दरिया भी दिये और जमीन भी दी पिछले 27-28 सालो में हमने बहुत बड़े-बड़े भवन बनाए, विशाल बिल्डिग बनाई और बहुत सारे शहरों को खूबसूरत किया। लेकिन दरियाओं के ऊपर जितने डैम हमें बनाने चाहिये थे और कुदरत के दिये हुए रिसोर्सिज को जितना हम इस्तेमाल करना चाहिये था उतना हम नही कर पाये। यही एक वजह है कि आज हम बार-बार कहत के शिकार होते हैं और अनाज के मामले में दूसरो की तरफ देखना पडता है।

उपसभापति महोदय, आपकी मार्फत् मे कई बार सरकार से अर्ज कर चुका हूं कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्राइस निकालता है, कृपा करके उसे एक फार्म दे दें अच्छी फर्टाइल लैंड का। और किसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के मेम्बर को आप तनख्वाह न दे। उसको आप एक फार्म दे दीजिये, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई रिसर्च का काम न करने दीजिये वरना वे इल्जाम लगाएंगे कि इतने रुपये रिसर्च पर खर्च हो गये जैसा कि खास तौर पर युनिवर्सिटी वाले कहा करते हैं कि इतने रुपये रिसर्च पर खर्च हो गये हैं। मैं चाहता हूं कि वह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का मेम्बर अपने फार्म पर अनाज पैदा करे और अपना कास्ट आफ प्रोडक्शन लगाए और उसी हिसाब से किसानों को उनकी उपज का पैसा देता जाये। मैं समझता हू कि इससे अच्छी तजवीज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के लिए कोई दूसरी नही हो सकती है। अगर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के मेम्बर इस बात से किसी प्रकार की

आनाकानी करते हैं तो यह मानना होगा कि वे अपने परपज में ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर यह ठीक माना जाता है कि 105 रु० व्हीट का भाव किसानों के लिए मुनाफे की चीज है, 90 रु० चने का भाव मुनाफे के लिए है, 65 रु० बारले का भाव मुनाफे के लिए है तो मैं कहूंगा कि उस फार्म से एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के मेम्बर खूब मुनाफा कमाये। मैं चाहता हूं कि उनको किसी प्रकार की कोई तनख्वाह न दी जाये और वे उस फार्म से इस प्रकार से मुनाफे कमाने जाये। लेकिन एक बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नौकरी मांगने नहीं आता है, कोई दुकानदार का बेटा नौकरी मांगने नहीं आता है। आज हिन्दुस्तान के अन्दर हालत यह है कि चाहे कोई एग्रीकल्चर में पी-एच० डी० है, चाहे एग्रीकल्चर में एम-एस सी० है या बी-एस सी० है, वह खेती के बजाय नौकरी करना पसन्द करता है। इसके सीधे मायने यह है कि हमारे देश में खेत मुनाफे का जरिया नहीं है। अगर खेती मुनाफे का जरिया होता तो जिस ने एग्रीकल्चर में पी०-एच० डी० किया है या एम० एस-सी० किया है वह नौकरी मांगने कहीं नहीं जाता। वह जानता है कि इंडस्ट्री के अन्दर मुनाफा है। कनाट प्लेस के अन्दर जो दुकानदार है उसका बेटा नौकरी मांगने नहीं आता है क्योंकि वह जानता है कि दुकान के अन्दर मुनाफा ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर में एम०एस सी० वाला नौकरी मांगने आता है। इससे साफ जाहिर है कि एग्रीकल्चर मुनाफे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। मैं आपकी मार्फत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस साल किसान को जो घाटा पड़ सकता था उससे सरकार ने उसे बचा लिया है। अगर सरकार 105 रु० के हिसाब से गेहूं नहीं खरीदती तो मैं ऐसा मानता हूं कि व्हीट का भाव 70 या 80 रु० तक जाना था। इसके लिए सरकार शुक्रिया की मुस्तहक है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि इस प्रकार से सरकार ने किसानों को घाटा पड़ने से बचा लिया है। सवाल इस बात का है कि उसको *मुनाफा नहीं हुआ बल्कि घाटे से सरकार ने उसको बचा* लिया है। इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की तीन चार निगमें हैं। फूड कारपोरेशन, सीड कारपोरेशन और काटन कारपोरेशन का सीधा संबंध किसानों के साथ है, लेकिन ये तीनों की कारपोरेशन्स अपने फर्म में कोताही कर रही हैं। सीड कारपोरेशन ठीक वक्त पर सीड नहीं देता है। जो सीड किसानों को दिया जाता है उसमें मिलावट होती है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर आप शाम को प्रादेशिक समाचार सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मिलावट करने के आरोप में हलवाई को एक साल की सजा हो गई, लेकिन आपने यह कभी यह नहीं सुना होगा कि सीड कार्पोरेशन के चेयरमैन को मिलावट के आरोप में सजा दे दी गई हो। हर साल सीड कारपोरेशन की तरफ से जो सीड मिलता है उसमें मिलावट होती है, व्हीट में मिलावट होती है, धान में मिलावट होती है, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की जाती है। इसी प्रकार से आप फूड कारपोरेशन को भी देख लीजिए। फूड कारपोरेशन किसानों का गेहूं तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन वही गेहूं बनियों से खरीद लिया जाता है। यह सब मार्केट की अंदर हो रहा है। इसी तरीके से काटन कारपोरेशन का हाल है। जनवरी-फरवरी के अंदर काटन बिका-- हमारे गुजराती भाई बैठे हैं--गुजरात के अंदर भी वह काटन बिका ज्यादा से ज्यादा 240--260 रु० के भाव और अबोहर के अन्दर 212-213 रु० तक बिका है। सब को पता है कि विदेश में काटन की मार्केट है, एक्सपोर्ट आइटम है, लौंग स्टेपल काटन मिलता नहीं है। यह जानते हुए भी काटन कारपोरेशन मैदान में नहीं आया और जब वह काटन चला गया बनिया के घर, तो जो अप्रैल और मई के अंदर जाकर 250 रु० तक हो गया था वही 400 और 400 के ऊपर 450 रु० तक बिका है। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों--त्यागी जी ने फर्माया था गुड़ का भाव 30-35 रु० मन का था --आज वही 70--80 रु० मन पर पहुंच गया। तो सरकार को एग्रिकल्चर पर खास तवज्जह देनी चाहिए।

हम तो समझते थे कि कार, रेफ्रीजरेटर और टेलिविजन ये लग्जरी आइटम है, ऐसी मान्यता थी किसानों की, लेकिन सरकार ने अब इनको जरूरत का आइटम मान लिया है। बदकिस्मती देश की यह है कि टेलिविजन को जरूरत का आइटम माना, रेफ्रीजरेटर को जरूरत का आइटम माना, कार को जरूरत का आइटम माना मगर ट्रैक्टर को अभी तक जरूरत का सामान नहीं माना, और ट्रैक्टर के ऊपर 35 परसेंट ड्यूटी है। वह लग्जरी की चीज है लेकिन कार और रेफ्रीजरेटर जरूरत की चीज है। तो एक उलट प्रथा

[लक्ष्मी सुलतान सिंह]

चल रही है। जो लग्जरी आइटम है उसको आप जरूरत का आइटम मानते हैं और जो जरूरत का आइटम है जो देश के लिए प्रोड्यूस करता है उस पर ड्यूटी बढ़ा रखी है। तो इससे डाऊट होता है कि किसान की तरफ सरकार ने जितनी तवज्जह देनी चाहिए क्या वह वाकई पूरी तरह दे रही है कि नहीं ? मैंने पिछली बार भी कहा था कि बदकिस्मती हमारी यह है कि एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के साथ एक शब्द जोड़ दिया फूड—फूड एण्ड एग्रिकल्चर ऐसा करके हलवाई को तगडी पकड़ा दी। अब यह चीज उजाड़ नहीं सकते। हल चलाने वाला तगड़ी नहीं उठा सकता। एग्रिकलचर और फूड मिनिस्ट्री को आप साथ-साथ रखेंगे तो ये जरूर एग्रिकलचरिस्ट का गला काटेंगे क्योंकि ये कंज्यूमर को सस्ती चीजें देने मे पापुलेरिटी गेन करते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? वे किसान का गला काट करके कंज्यूमर को देते हैं। तो एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री अलग हो, फूड मिनिस्ट्री अलग हो।

इसके साथ-साथ, यहा पर इरिगेशन भी डिस्काशन के लिये आया है। उपसभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत अपने अग्रिकलचर और इरिगेशन के उपमंत्री साहब से दर्खवास्त करना हू कि पंजाब के अन्दर जिस वक्त हरियाणा भी शामिल था और 1965 के अन्दर सरदार प्रताप सिह कैरो उस वक्त मुख्य मंत्री थे, तब एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई थी और उस एक्सपर्ट्स की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि पंजाब का जो एरिड जोन है जिसके अन्दर हरियाणा का क्षेत्र आता है, उसके अन्दर वाटर लागिग बढ़ानी चाहिये और रावी और ब्यास का पानी जब भी अवेलेब्ल हो, ज्यादा से ज्यादा उस एरिया मे जाना चाहिये। फिर पंजाब के गवर्नर ने उस रिपोर्ट के आधार पर अपने एड्रैस के अन्दर कहा, पंजाब असेम्बली मे, कि जब भी वह पानी अवेलेब्ल होगा एरिड जोन को ज्यादा दिया जाएगा, सूखाग्रस्त इलाके को ज्यादा दिया जाएगा। उस वक्त के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिह कैरो ने हाऊस के अन्दर एश्योरेंस दी थी कि जब रावी और ब्यास का पानी अवेलेब्ल होगा तो सारे पंजाब की वाटर-लागिग चेन्ज होगी, जिसमे हरियाणा भी शामिल था। उप सभापति जी, आप जानते हैं कि इडस वाटर ट्रीटी 1970 में खत्म हुई।

110 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पाकिस्तान को दिया। रावी और ब्यास का जो पानी था उसमें हरियाणा और पंजाब का ज्वाइन्ट हिस्सा था। वह पानी 7 3 मिलियन एकड़ फिट है। आज पानी का बंटवारा किया गया और यह कहते हुए दुःख होता है कि आज प्रताप सिंह कैरो जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस सम्बन्ध मे जो बात कही थी, जो उन्होंने हाउस के सामने आश्वासन दिये थे, उनको आप भूल गए है। पंजाब और हरियाणा मे वाटर लागिंग होता है। आप इस बात को भूल गए हैं और इस बात को गवर्नर साहब ने भी अपने एड्रेस में कहा था कि सूखाग्रस्त जो इलाका है उसको रावी और ब्यास का पानी दिया जाएगा। आप इस बात को भूल गए है कि एक्सपर्ट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसने कहा था कि पंजाब के अन्दर जो वाटर लागिग है वह 4.2 है और हमारे हरियाणा के अन्दर कहीं पर 1.9 है तो कहीं पर 2.4 है।

इसके अलावा जहा तक पानी का ताल्लुक है, अकेले अमृतसर जिले में इरीगेशन 89 परसेंट है और जहा मिनिमम इरीगेशन होता है वह भटिंडा है और वहा पर 56 परसेंट है। हरियाणा के अन्दर रोहतक जिले में 33 प्रतिशत है और महेन्द्रगढ़ जिले मे 20 प्रतिशत इरीगेशन है। एक जिले के अन्दर 2 प्रतिशत इरीगेशन है और हाइयेस्ट 23 प्रतिशत है और पंजाब के अन्दर 89 प्रतिशत है और मिनिमम 56 प्रतिशत है। जब पानी का बटवारा हुआ था तो 7 मिलियन एकड़ फिट पानी में से 3.5 मिलियन एकड़ फिट पानी तो हरियाणा को मिला और 3.5 मिलियन एकड़ फिट पंजाब को मिला। इस तरह मे जो आश्वासन हरियाणा को पानी के सम्बन्ध में दिये गए है उनको पूरा नहीं किया गया और उसके साथ ज्यादती की गई।

आपकी मारफत से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सतलज ब्यास लिंक जब मुकम्मल हो जाएगा साल डेढ़ साल के अन्दर तो उसमें से 3.5 मिलियन एकड़ फिट पानी हमको

मिलेगा। इसके लिये जो कैनाल आएगी वह पंजाब से आएगी। लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि उस कैनाल का अभी तक प्रारम्भिक कार्य भी शुरू नहीं किया गया है और न पंजाब सरकार ने ही इस कार्य को शुरू किया है और न ही इसके लिए हमको पैसा दिया गया है। यह जो 3.5 मिलियन एकड़ फिट पानी दिया गया है, क्या उसके लिए कैनाल नहीं बनाई जाएगी। अगर आप इसके लिए कैनाल नहीं बनाएंगे तो फिर पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

एक बात मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो सतलज-यमुना लिंक बनाने जा रहे हैं जिससे व्यास और रावी का पानी लिया जाएगा, उसके लिये पंजाब पर आप दबाव डालें। अगर इस पानी के इस्तेमाल के लिये पंजाब सरकार नहर नहीं बनाती है तो फिर हरियाणा सरकार को नहर बनाने के लिये रुपया दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब पंजाब का रिआर्गेनाइजेशन हुआ था और जब पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, तो उस एक्ट में यह लिखा हुआ था :

> "79.1. The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakra Management Board for the administration, maintenance and operation of the following works, namely, irrigation headworks at Rupar, Harike and Ferozpur."

उस एक्ट में यह प्रोविजन रखा गया था कि रोपड़, हरिका और फीरोजपुर का जो हैडवर्क्स है वह भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड के अधीन होगा और यह जो बाडी होगी वही पंजाब और हरियाणा को पानी बांटेगी। इस बाडी को बने हुए करीब दस साल हो गए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने इस एक्ट को आज तक इम्पलीमेंट नहीं किया। हरिका, राजपुरा और फिरोजपुर के हेडवर्क्स पर आज भी पंजाब का कब्जा है, पानी पाकिस्तान में चला जाता है लेकिन हरियाणा और राजस्थान को नहीं दिया जाता। हर साल पानी काटा जाता है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस हेडवर्क्स के ऊपर आप अपना कंट्रोल करें जिससे पानी का बंटवारा ठीक से हो सके।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कि आपने लैंड सीलिंग एक्ट पास किया 53 में, 58 में और अब फिर किया है। लेकिन ताज्जुब एक बात का होता है कि किसान को यह पता नहीं लगता कि लैंड सीलिंग एक्ट कितनी बार फिर पास होंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप हमको एश्योरेंस दे दें, मैं कोई मुखालफत नहीं करता लैंड सीलिंग की मैं तो चाहता हूं कि यहां पर लैंड की सीलिंग हुई है तो प्रापर्टी की भी सीलिंग हो, तनख्वाहों की भी सीलिंग हो, मैं तो वह दिन देखना चाहता हूं कि समूचे भारत में सोशलिज्म आए, केवल देहात में नहीं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अरबन इलाके में भी सोशलिज्म आए। अभी सरकार की नीति दो तरह की है। सरकार गावों में चीन बनाना चाहती है लेकिन शहरों में अमरीका। कोई होटल रिफार्म नहीं है, ओबराय कितना बड़ा बनाओ। यहां कारखाना रिफार्म नहीं है, 25 कारखाने लगाओ। दुकान रिफार्म नहीं है, 20 लाख की बिक्री करो। तनख्वाह रिफार्म नहीं है, 10 हजार रुपया लो। मकान रिफार्म नहीं है, 20 स्टोरी का मकान बनाओ। लेकिन लैंड रिफार्म जरूर होगा। तो मैं कहता हूं कि इस देश में प्रोपर्टी का रिफार्म करो ताकि एक-एक गरीब को राहत मिल सके। लैंड सीलिंग आप ले आए हैं हम वेलकम करेंगे। लैंड सीलिंग कितनी इम्प्लीमेंट हुई? आप राजपुरा से पटियाला जाएं तो महाराजा पटियाला का फार्म वैसा ही नजर आएगा बहादुरगढ़ में जैसा पहले था। राजा नालागढ़ का फार्म वैसा ही नजर आएगा जैसा पहले था। लखीमपुर में बिरला जी का फार्म उतना बड़ा ही नजर आएगा जितना पहले था। हां कागज पर रिफार्म जरूर होता है। मेहरबानी करके जहां कागज पर लैंड रिफार्म करते हैं वहां दूसरी चीजों के बारे में रिफार्म जरूर करें, यही प्रार्थना है।

SHRI INDRADEEP SINHA (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Annual Report of the Ministry of Agriculture and

[Shri Indradeep Sinha]

Irrigation claims credit for improvement in the food situation particularly, and in the agricultural situation generally. They can claim credit. But I must remind them that only last year the Ministry was lamenting over the sad state of affairs of agriculture in the country which had caused inflation and had caused even a crisis in our industries.

Last year, two important reports have been published. First is the report of the National Commission on Agriculture. Second is the report on the Census of Land Holdings. Now, these two reports together give us a long-term perspective of the agricultural situation in the country. According to the report of the National Commission, we can expect to have a comfortable food situation earliest in 1985, and possibly in 2000 A.D. the have drawn up an optimistic and, what they call, a realistic estimate of the production of foodgrains, and they have come to the conclusion that only by 2010 A.D. we can hope to meet our entire requirements and have even a small surplus for export. Even this optimism is based on the continuance of certain trends in agricultural production, whose continuance is by no means certain, because the Census of Land Holdings clearly brings out that out of 70 million holdings, as many as 35 million are below one hectare.

As a matter of fact, 84 per cent of the holdings which are below four hectares occupy only 40 per cent of the area. On the other hand, less than 4 per cent of the holdings which are more than 10 hectares each occupy about 30 per cent of the area. If this type of neglect in the distribution of land continues and if half the holdings continue to remain marginal, then I am extremely doubtful if even the less optimistic estimate of the National Commission can be fulfilled. As a matter of fact, according to certain estimates made last year, the percentage of population falling below the poverty line now comes to nearly 45. What is the way out? How to lift this 45 per cent of the population from below the poverty line? How to lift the marginal and the sub-marginal holdings from below the poverty line? The Ministry will say that they have launched two programmes. They are Small Farmer Agency and the Marginal Farmer Agency. Now, what is the net result of these programmes? Out of 101 million marginal and sub marginal peasants, the total coverage to-date is 2.3 million by these two programmes. The hon. Minister may inform the House whether it will take another 50 years or 100 years to cover the entire marginal population and lift up that population to above the poverty line if this rate of progress continues. One could hope that with the progress of industrialisation in the country, a section of the rural population will be shifted to industry. But the National Commission on Agriculture is very pessimistic about it. Sir, I read out a paragraph from their report. The Commission observes that:

> "The rate at which industrialisation is taking place in the country and its pattern do not promise any significant structural changes and large scale transfer of population from rural to urban activities. The rural economy, in the circumstances, will be required to support a vast population."

Such is the forecast. Large sections of population will not be transferred from agriculture to industry. Agriculture, by itself will have to support its entire present population. How will agriculture support this entire population? The known strategy of the Agricultural Ministry is what is called the "Green Revolution". What is "Green Revolution"? That Green Revolution is confined not only to certain well-served and well-nourished areas of the country, but also to certain well-to-do sections of the rural population. It is confined to big landlords and rich farmers. Certain advance has been made, but it is doubtful whether this advance will continue.

The Government itself recognised it and the Prime Minister herself came out with a statement that we have to supplement the strategy of the green revolution by launching the marginal farmer agency and the small farmer schemes. Now, can the small farmer agency and the marginal farmer agency do away with and remove the difficulties that were experienced during the green revolution ? As I have already pointed out, Sir, the coverage by these two agencies so far is only 23 lakh peasants. So, Sir, I am forced to come to the conclusion that in the absence of basic structural changes in agriculture itself, in the distribution of land ownership, in the technology of our agriculture, all these optimistic forecasts are bound to prove a failure. Sir, in this respect, our attention is drawn to the 20-point Programme. Seven out of 20 items in the 20-point Programme refer to agrarian reforms like ceilings on land holdings, allotment of house sites, allotment of waste lands to agricultural labourers and poor peasants. abolition of bonded labour, enhancement of wages of agricultural labourers, and redemption of rural debts. It is rather surprising that the hon. Members who have spoken on the subject so far have not referred to the progress of the 20-point Programme. And I think the hon. Minister when he gives his reply will at least refer to the 20-point Programme and give the House a review of the progress so far made in the implementation of the 20-point Programme. From the Report presented by the Ministry, we learn that out of 12-lakh returns filed by the landlords, six-lakh returns have been processed. And what is the result ? Three and a half million hectares of land has been found surplus. It is not certain whether those 3.5 million hectares will be really acquired. But even if we take the figure to be 3.5 million hectares, at this rate, approximately 7 million hectares will be available for distribution. This is too small a figure compared to 63 million acres as pointed out by my hon. friend, Shri Harsh Deo Malaviya. This was the estimate made by Prof. Mahalanobis many years ago. Instead of having 63 million acres or nearly 25 million hectares, we are going to have about 7 million hectares. And whether those 7 million hectares will be really available, one does not know.

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): Very doubtful.

SHRI INDRADEEP SINHA : It is really doubtful. And we have in the House hon. friends who said that you can impose ceilings on land holdings provided you impose ceilings on factories and incomes and wages and everything. Ceiling on land holdings is a different proposition. Concentration of land in the hands of a few individuals is a relic of feudalism that has to go lock, stock and barrel. Everything can come later on. But this is the first priority and it is essential because unless we distribute the land, unless we bring about a radical change in the wonership of land, the agricultural crisis cannot be resolved, and the country cannot march forward. Though we may have a good crop this time, we may be faced with a serious crisis a year later or two years later and one does not know.

Sir, now a new proposition has come. The Government seems to be considering legalising all the benami transfers. It is rather surprising that in the midst of the implementation of the 20-point Programme, the Government should come forward with a proposal to legalise all the benami transfers. So far the accepted policy has been the policy as laid down in the national guidelines, the policy as laid down by the National Commission on Agriculture, the accepted policy has been that all the benami transfers must be cancelled and the land must be distributed among the landless labourers and poor peasants. Now the Government comes forward with a proposal that the benami transfers may be legalised. What is the meaning of the legalisation of these transfers ? I have some personal knowledge of a landlord in Bihar. He has made benami transfers to

[Shri Indradeep Sinha]

persons who do not exist in this world: Mr. Lota Sahu, Mr. Cheepa Sahu, Mr. Joota Sahu, Mr. Chappal Sahu, etc. Such are the names of persons to whom land has been transferred. These persons do not exist in this world. If our friend Mr. Shinde brings forward a Bill to legalise these transfers, from where will he produce Lota Sahu and Cheepa Sahu? It means that the land will remain with the original landlords and the purpose of cancellation of benami transactions will be defeated. So, Sir, I wish to request the Government to withdraw the thing. The Bill has not yet come; only a proposal has been mooted in the press and it is time, this House made a vigorous protest against it and compelled the Government to withdraw the proposal and implement its solemn pledges given to the country and to the people that all the benami transfers will be cancelled and the land will be distributed among landless labourers and poor peasants.

Sir, I will here refer to certain experiences about the implementation of the 20-Point Programme, that we had during the last few days. Our party, the Communist Party of India, organised a country-wide programme of *pada yatra* in various rural areas of the country to find out how the 20-point Programme is being implemented. And what is the experience? In Haryana when the *pada yatris* were marching under the leadership of Comrade Bhogendra Jha, a Member of the Lok Sabha, five *pada yatris* were arrested. This is how the Government goes on implementing the 20-point Programme . .

SHRI SULTAN SINGH: Suppose a *daku* goes on *pada yatra*, should we not arrest him ? It is a very simple question.

SHRI INDRADEEP SINHA: I am sorry . . .

DR. Z. A. AHMAD: He is a Member of the other House.

SHRI INDRADEEP SINHA : . . .my hon. friend has not yet learnt to make a distinction between a *daku* and an honourable Member of Parliament.

SHRI SULTAN SINGH: I was asking a simple thing.

DR. Z. A. AHMAD: No, it is not a simple thing. It is a specific case.

SHRI INDRADEEP SINHA: I will cite another example. I was leading a *pada yatra* in Bihar in Jamui Sub-Division of Monghyr district. Now I was informed that the Block Development Officer of Lakshmipur Block came out of his office to stop the *pada yatris* : "How dare you take out flags? You know this is emergency. In emergency, you cannot take out a jatha; you cannot take out a flag; you cannot go on *pada yatra*." That was the attitude of the officer concerned. Of course, he did not arrest anybody but he threatened them with arrest.

DR. Z. A. AHMAD : You were not in Haryana. Thank your stars.

SHRI INDRADEEP SINHA: Yes, it was not Haryana. That is the difference between Haryana and Bihar. In Haryana, one would have been arrested.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You wind up now.

SHRI INDRADEEP SINHA: Just a few minutes more, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am sorry. I must inform the Members that . . .

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, you have given half an hour in the beginning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This half an hour is for the mover. He has a right to half an hour.

SHRI INDRADEEP SINHA: I am speaking only after the mover. I am the next speaker.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Everybody else could have got fifteen minutes but for the fact that there is a long list of speakers. Either you cut down half your speakers or you limit your time to ten minutes each. And we have only one day for the discussion.

SHRI INDRADEEP SINHA: I have to mention only two points. Very briefly, I would refer to two aspects of the situation in the rural areas. First aspect is that this Government, although it is not very serious about implementing the 20-point Programme, although it has not yet succeeded in finalising the Fifth Five-Year Plan, but it has exceeded one target of the Plan. This is in regard to taxation. In the Draft Fifth Five-Year Plan, it was estimated that all the States together would raise Rs. 2,550 crores during the five years through additional taxation. But within the last three years, taxes to the extent of Rs. 1,262 crores per year have been imposed.

Irrigation and powers rates have been raised. Rents have been enhanced. Commercial cess has been imposed. Educational and health cess have also been imposed. I can say from my experience in Bihar that rents have been trebled in the case of middle peasants and quadrupled in the case of rich peasants and landlords.

Secondly, Sir, while taxes have been increased, the prices of agricultural commodities are falling. I would have no objection if there is a fall in the prices of agricultural as well as industrial commodities. But we see a peculiar situation that the prices of industrial commodities, particularly the prices of agricultural inputs, are not falling. The hon. Agriculture Minister goes round assuring the peasants that he would come to their aid if the prices fell. The prices have fallen. Take the case of potatos. There has been a fall in the prices. Many small peasants were ruined. The Government intervened in the matter only after they were ruined.

Lastly, Sir, I would also challenge the wisdom of going in for heavy imports. According to the report of the Agriculture Ministry, we imported 7.4 million tonnes of foodgrains last year. At what price? The price of wheat in the USA was Rs. 1,634 per tonne. The internal procurement price was Rs. 1,050 per tonne. We are paying 50 per cent more. Why should we import such huge quantities? What for? What is the need? Why should we spend so much foreign exchange? Sir, I have no time to read the extract. But I am reminded of the observations made by an American official, Dr. Louis Hermann, who was invited by the Government of India during the sixties to advise the Government on the agricultural policy. After studying the situation, he came to the conclusion that the import of nearly 80 million tonnes of foodgrains under PL-480 had served to depress agricultural prices in India and hampered agricultural production. He cited figures to show that whereas the rate of growth of agricultural production between 1951 and 1961 was 4 per cent per annum, between 1961 and subsequent years, it came down to 2.3 per cent. Therefore, my submission is that Government should justify its policy of import of foodgrains or stop the imports altogether.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : उपसभापति जी, इस साल हमें भरपूर फसल मिली हमने रिकार्ड-तोड़ फसल हासिल की । उसके लिए मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहती हूं और अपने कृषि मंत्रालय को भी बधाई देना चाहती हूं ।

श्री सरदार अमजद अली (पश्चिमी बंगाल) : हमारे किसान को भी ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : और किसान को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं । ईश्वर की तो मेहरबानी है ही, किसान की मेहनत है ही, लेकिन कृषि मंत्रालय ने भी कुछ ऐसी नीतियां अपनाई, कुछ ऐसे कदम उठाये जिससे हमें ज्यादा फसल लेने का मौका हासिल हुआ और इन वर्षों में कृषि मंत्रालय ने और दूसरे कामों के अलावा जिस तरह के कुछ टेक्निकल कदम उठाए हैं उनकी भी

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]

मैं तारीफ करना चाहती हूं। उसका जिक्र करते वक्त कटक मे जो रिमर्च सेंटर है, जो ग्रास फोडर का सेन्टर है, जिन्होंने चावल की उपज बढ़ाने मे और चारे और घास की पैदावर बढ़ाने में जो नयी-नयी कामयाबियां हासिल की हैं, उसके लिए भी मैं तारीफ करना चाहती हूं। उपसभापति जी, मैं सबसे ज्यादा तारीफ जो करना चाहती हूं वह यह कि कृषि मंत्रालय ने इस साल नदियों के बारे मे जो आपस के झगड़े थे उस झगड़े को शांत करके कुछ फैसले लिए। साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरह के नदियों के बारे में झगड़े जो आज भी कई जगह हो सकते है, उनकी वजह से हमारी कृषि को, हमारी सिचाई को, बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द पूरे तौर पर जो रिवर डिसप्यूट है उनको सुलझाया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं पूरे जोर के साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि जितने भी नदियों के सबंध मे झगड़े हैं उनको जल्दी से सुलझाया जाना चाहिये और जो हमारा पानी है उसको एक नेशनल वैल्थ के रूप में माना जाना चाहिये। जब तक हम पानी को नेशनल वैल्थके रूप में नही मानेगें तब तक हम उन राज्यों का जो पानी के सबंध मे कमी अनुभव करते हैं उनको फायदा नही पहुंचा सकेंगे और न ही समारे देश को ही फायदा हो सकेगा। इसलिए पानी को नेशनल वैल्थ करार दिया जाना चाहिए। यदि इसके लिए संविधान में सशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो वह किया जाना चाहिए। इसका नतीजा यह होगा कि इससे सारे राज्यो को तथा वहां की जनता को फायदा होगा और अंत में सारे देश को फायदा होगा। इसका परिणाम यह होगा कि नदियों का जो पानी होगा उसके लिए एक समान ग्रिड हो जाएगा ताकि हम एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैं पुरजोर से राय दूंगी कि इस चीज के लिए एक नैशनल आथोरिटी कायम की जानी चाहिए। एक एपैक्स बाडी कायम की जानी चाहिए जो सारे देश में पानी के जो स्रोत हैं उनको अपने हाथ में लें लें और उस पानी का सब राज्यों में उचित बंटवारा करे। यह जो पानी का बटवारा हो वह नेशनल वे पर किया जाय। जिस प्रान्त मे सूखा पड़ता है, जहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता है, वहा पर पानी ज्यादा दिया जाये। अगर इस तरह का कार्य किया गया तो सारे राज्यों मे एक तरह से सोशल जस्टिस पैदा हो जायेगी। इस तरह मे जो भी पानी हमारे मुल्क में है उसको रेशनल वे में बांटा जाना चाहिये।

अभी हमारे मित्र श्री मुलतान सिह जी ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान दियाला था, उसी की ओर मै भी ध्यान दिलाना चाहती हूं। चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हरियाणा का मामला हो, जो भी पानी बहकर इन राज्यो मे आता है वह सब पजाब से होकर आता है। हमारा जो नर्व सेन्टर है, वह पंजाब के हाथ मे है और वहां से जो पानी आता है वह दोनों राज्यों में इस्तेमाल होता है। इसलिये यह बात बहुत सोच समझकर की गई थी जहां-जहां भी हैड वर्क्स है, वहां का इनजाम भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड के हाथ में होगा। इस बोर्ड में तीनों राज्यो का कंट्रोल होगा और उसमें उनके इजीनियर्स भी होगे। इस एक्ट के सिलसिले में यहा पर जिक्र किया गया है और मै यह कहना चाहती हूं कि 1966 मे इस तरह का एक्ट बनाया गया था। आज उस एक्ट को बने हुए करीब दस साल से ज्यादा हो गये है और उस एक्ट में जो बातें रखी गई थी उनको अभी तक अमली नही किया गया है। आज भी रोपड़ हरिका और फीरोजपुर के जो हैड़ वर्क्स है, वह पंजाब के हाथ में हैं भाखड़ा मैनेजमैट के हाथ में नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करता चाहती हूं कि यह जो हैड वर्क्स है इनका मैनेजमैट भाखड़ा बोर्ड को दिया जाना चाहिये इसमें हरियाणा का जो माधोपुर का हैड-वर्क्स है वह भी आता है जिससे राजस्थान को पानी मिलता है। इसलिये इसका मैनेजमैट भाखड़ा मैनेजमैट बोर्ड के हाथ में दिया जाना चाहिये। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि जो इसाफ मिलना चाहिये, जो पानी हमको मिलना चाहिये वह हमको नही मिल पा रहा है। मैं बहुत ही शालीनता के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे से इररेगुलेरिटी हुई है। इसलिये मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इसका मैनेजमैट भाखड़ा बोर्ड के हाथ में दिया जाना चाहिये ताकि सूखाग्रस्त और प्यासी जनता को जो मरूभूमि में त्रस्त रहते हैं उनको उनका पानी का हक मिल सके। हम आप से ज्यादा पानी नही चाहते

हैं, जो हमारे हक में पानी आता है वही हमको दिया जाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं सिंचाई का भी जिक्र करना चाहती हूं। जब मैं सिंचाई का जिक्र करती हूं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में पानी तो काफी है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। बदकिस्मती की बात तो यह है कि हम अभी तक सारे देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं कर सके हैं। हमारा जो पानी है वह समुद्र में जाकर खराब हो जाता है या बाढ़ के रूप में लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आज स्थिति यह है कि जो पानी हमारे देश में उपलब्ध है, उसका हम सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमें इसके लिये एक ग्रिड बनाना चाहिये। अभी हमारे देश में 75 प्रतिशत जो कृषि होती है वह मानसून पर निर्भर करती है और ईश्वर का मुंह देखकर चलना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो भी प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिये है उन्हे हमें जल्द से जल्द कामयाबी के साथ पूरा करना चाहिये।

लेकिन वर्षों से अभी तक वह अधूरा पडा है। हर साल उसके ऊपर रकम लग रही है। दिनों दिन रकम ऊंची होती जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं ऐसे दो प्रोजेक्ट आपकी निगाह में लाना चाहती हू। राजस्थान कैनाल और नागार्जुन सागर बांध, जिन पर वर्षों से काम चल रहा है अभी तक वे पूरे नहीं हो पाये है। अगर हो जाते तो आज तक किसानो की कितनी बहबूदी हो सकती थी।

मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान एक और मसले की ओर दिलाना चाहती हूं। केन्द्रीय सरकार ने ड्राउट प्रोन एरियाज के सबंध में योजना बनाई है। जिन स्थानो में अकाल पडा है वहा पर कुछ सहायता सिंचाई के साधनो को बढाने के लिए दी जा रही है, जिनसे उनका डवलेप-मेन्ट हो। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि यह रकम न वक्त के ऊपर मिल पाती हैं और न ही ठीक वक्त के ऊपर काम हो सकता है। मैं राजस्थान की मिसाल लेकर कहती हूं कि वहां पर इस तरह की स्कीमें है, लेकिन अभी तक केवल कागजों पर ही हैं। न वे स्कीमें पेश हो पा रही हैं और न उनके लिए मंजूरी मिली है। जब केन्द्रीय सरकार से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि स्टेट सरकार ने अभी कागजात तैयार करके नहीं भेजे और जब स्टेट सरकार से बात करते हैं तो वे जवाब देते है कि केन्द्रीय सरकार बार-बार इन कागजातो को लौटाती है और अभी तक वाकई स्थिति यह है कि कुछ भी नहीं हो पाया है। मंत्री महोदय कृपया इसके ऊपर ध्यान दे। यह मई का महीना होने जा रहा है और अब मानसून शुरू है। ऐसी स्कीम का क्या फायदा जिस पर वक्त के ऊपर अमल न हो सके।

उपसभापति जी, इस साल हमारी फसल अच्छी हुई है। लेकिन हमारी सरकार के आकड़े बताते है कि जहां तक गन्ने की खेती और गेहूं की खेती का सवाल है अपेक्षाकृत इस साल कम जमीन पर खेती बोई गई है। दोनों चीजे ऐसी हैं जो अत्यावश्यक हैं। मै यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर गन्ने की खेती में और गेहूं की खेती में इस दफे इतनी कमी क्यों आई? इसके पीछे कारण क्या है अगर किसान को फायदा मिलता है तो वह जरूर बोता है। जरूर कोई ऐसी बात है कि या तो किसान को परेशानी होती है या किसान को फायदा या लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए गन्ने की खेती और गेहूं की खेती कम जमीन पर उगाई गई है। मेरा यह ख्याल है कि आप जो फर्टिलाइजर उनको दे रहे है उनके मूल्य अभी भी इतने ऊंचे हैं कि किसान उस तक नहीं पहुंच सकता। किसान इसीलिए कैश क्राप्स की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि किसानों का कैश क्राप्स की ओर जाने का यही रवैया रहा, अगर किसानों का यही दृष्टिकोण रहा तो इसका नतीजा क्या होगा? इस साल मानसून अच्छा है, यह ठीक है। लेकिन हमें बाहर से अन्न मंगाकर खाना पडा था। वे दिन हम भूल नहीं सकते जब कि दो साल पहले विदेशी मुद्रा में सोने की कीमत चुका करके भी हमारे देश के लोगों ने सड़ा हुआ अनाज

[श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत]

खाया, घुन मिला हुआ अनाज खाया और जिस अनाज में धतूरे के बीज मिले हुए थे, वह अनाज हमारी आम जनता ने खाया । उसकी हमने सोने के मूल्य में कीमत चुकाई फिर भी उन विदेशी गेहू कम्पनियो ने हमें चीट किया, तोल मे हमें धोखा दिया, मोल मे हमें धोखा दिया और क्वालिटी में हमें धोखा दिया जिसकी कोई मिसाल नही और इसी कारण न्यूयार्क मे हमारी सरकार ने उसके ऊपर दावा किया है । तो मै चाहती हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा बफर स्टाक बना सके । इस साल अच्छा मानसून है, काफी अच्छी फसल हुई है और जितना सारा बफर स्टाक हम जमा कर सकें, करें। इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाये।

इस साल अच्छी फसल होने के कारण किसानों को पहले से बहुत कम कीमत मिली और बहुत सस्ते दामों के ऊपर उनको गूहं बेचना पड़ा था। बाद में सरकार ने उसके भाव तय किये और कार्पोरेशन ने खरीदना शुरू किया । जो वह कह रहे है, अच्छे ढंग से कर रहे है । लेकिन मंत्री जी असल हालत अब भी यही है कि किसानों के बीच मिडिल मैन आ रहे हैं । मिडिल मैन किसानों से पहले भी खरीदते थे और आज भी उनसे अनाज खरीद-कर, कम कीमत पर खरीद कर कारपोरेशन को बेच रहे हैं । इसके लिये एक चुस्त मशीनरी कायम की जाय ताकि बीच के आदमी को मुनाफा खाने का मौका न मिले और ठीक-ठीक कीमत किसानों को मिल सके। हमारे किसानों की बदकिस्मती यह रही है कि उनकी उपज का भाव कम होने के कारण उनको काफी कम पैसा मिलता है ।

एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को ध्यान देना निहायत जरूरी है इस बात की तरफ कि जब जब फसल आती है उस वक्त बाजार मे हर एक वस्तु के भाव गिर जाते हैं और महीने दो महीने तक बाजार के लोग चीजों का भाव गिरा देते है और उन चीजों को बाजार में मिडिल मैन खरीद लेता है और जब फसल का वक्त निकल जाता है तो उस के बाद कीमते शूटअप करने लगती है । यह हमेशा होता रहा है और इस साल भी हुआ है। तो इसलिये ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये कि इस तरह से हमारे किसान को एक्सप्लायट न किया जा सके ।

(*Time bell rings*)

मै घड़ी देख रही हूं । अभी पांच मिनट बाकी हैं । मैं एक मिनट भी ज्यादा नही बोलूंगी ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have already told you that we will have to limit the time to 10 minutes each.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मै बीम मीनट में समाप्त कर दूंगी ।

I was looking at the watch. Some Members took 20 minutes.

श्री उपसभापति : किसी को भी 20 मिनट नही मिलेंगे,

You should be out that impression. Even 10 minutes, I think, is too much considering the list of speakers there.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : तो मैं यह निवेदन करना चाहती थी कि इधर तो किसान को भाव से कम कीमत मिल रही है और उधर एग्रीकल्चर गुड्स से जो मिलों मे सामान बनता है उसकी कीमते चढ़ रही है । उन मे कोई गिरावट नही आयी है । काटन का भाव गिर गया लेकिन उससे जो बना हुआ कपड़ा है उस का वही भाव है और कंज्यूमर को उसे महंगा खरीदना पड़ता है । इसी तरह से अनाज के भाव गिर गये, आलू के भाव कम हो गये और कही-कही तो कौड़ियो के भाव में माल गया, लेकिन होटलो में खाने की कीमते आज भी नही गिरी हैं । किसान मारा जा रहा है कंज्यूमर मारा जा रहा है और मिडिल मैन फायदा उठा रहा है और अपनी उपज सस्ते पर देने वाले किसान को ज्यादा भाव पर जरूरत की चीजे लेनी पड़ती हैं । मूंगफली के भाव गिर गये लेकिन उस से बना हुआ घी या तेल जो है उस की कीमते ऊपर ही जा रही हैं । तो मेहरबानी करके कृषि मत्रालय इन बातों की ओर ध्यान दे ताकि किसानों को भी कुछ फायदा मिल सके और अगर एग्रीकल्चर प्रॉड्यूस के भाव गिरते है तो उस के साथ दूसरी चीजों के भाव भी गिरे इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिये । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Kameshwar Singh. Hereafter, I am going to be very strict. You please condition your speech in such a way that you cover most of the points that you want to make.

SHRI KAMESHWAR SINGH (Bihar): Sir, be strict with minor concessions here and there. I have no objection.

Mr. Deputy Chairman, Sir I congratulate The Minister for certain achievements in the field of agriculture, specially regarding research and development, which has made the farmer introduce the latest technology in the field of agriculture. At the same time, I grossly fail to understand why we have not achieved self-sufficiency. Since 1947, various foreign experts have been coming here—to begin with, Lord Boyd Or and Mr. Herman from America. All those who have come here, have given their opinion. Of course, the foreigners will never talk about it, but our experts have also not talked about the plan for revolutionising various things to achieve self-sufficiency. Ultimately, self-sufficiency has not been achieved till today. Even the last import of foodgrains was of the order of 7.5 million tonnes, which is staggering. This is not a joke. After all, consider the amount of money we spend on it. We buy from Canada or the USA or Australia or any other country. After all, we are only buying, whereas we should have planned for much higher production not only for self-sufficiency but even for export.

3 P.M.

In this connection, I would say that our land ceilings are very important. Today we base our agricultural policy and self-sufficiency in food on land ceilings. I would like to submit to the Minister through you, Sir, that in my opinion, we are not following a proper land policy. We have fixed land ceilings. I totally agree. But we are looking for land. The Central Government should issue instructions. We have a provision in the Constitution also to issue instructions to the States and there should be Ordinances from the Governors taking over the surplus lands. The State should take over all the lands. And the State should say to the excess land-holder, "You take only this much land and you will be given the lease document." But nobody is talking about it. We must take over all the surplus lands and then we should say, "you have only 30 acres and have the document for that land." For the furtherance of the 20-Point Programme of the Prime Minister and in order to make our country self-sufficient in food, we must take over completely the surplus lands and redistribute them. And we must go ahead quickly. Whatever I feel correct I suggest to the Minister through you, Sir, and I hope that the Government will follow this policy without losing any time. Only then will our land ceiling programme be completed in a very short time.

There is the problem regarding agricultural prices also. In my opinion, till now, the performance of the Agricultural Prices Commission has been highly unsatisfactory. There is now a salient feature in that one of our colleagues, Shri Ranbir Singh, has been included as a member in that body. He is a grass-root level worker in the village. I have no doubt that with his inclusion the performance of the Commission will improve.

We have been importing foodgrains. This is cancerous for our country. We should think about finding a via media; at the same time, with the impact of the Green Revolution, we should be self-sufficient in foodgrains and also be exnorting foodgrains. We have been herein about various functions where non-cereal tea parties are held. Actually, non-cereal parties are something like drawing-room politics. We should really go about non-cereal parties in a big way. I do not say that the people are not eating non-cereals. I would like to point out a very small but very important fact. Since Independence till today, whenever we have imported foodgrains, we have not imported more than 10 per cent of our total requirements. There has not been a deficit of more than 10 per cent. It is a very simple thing. We talk about non-cereal things in the drawing-rooms, in parties and in clubs, everywhere. But we should also popularise tuberous things like potatoes. If we have in our daily meals enough potatoes, we could save 10 per cent of our foodgrains and I think we need not import foodgrains at all. We will not only be surplus but we should also be in a position to export

[Shri Kameshwar Singh]

foodgrains. With the network of cold storages all over the country, we can store the cereals. Employment prospects will be generated for labourers, technicians and managerial cadres also, not in terms of a few thousands but in terms of lakhs. Therefore, employment will be available to people even in the off-season periods in the villages. Therefore, we must follow a very practical and radical policy. That is the only way by which we can attack the problem. Our Government is going very strong with publicity and with other kinds of efforts in regard to family planning. Similarly this non-cereal diet should be practised in the cities, in the drawing rooms, in the clubs and hotels. We should encourage these commodities not by restrictions but we should make the commodities cheaper, and they should be produced more so that the farmers are not put to loss. And when ever there is a position of loss, the Government should step in and not as it happened in the case of the people of U.P. who faced a glut in the potato market.

As far as agricultural income tax or its inclusion along with other incomes for purposes of income-tax is concerned, yes, it is a very good thing, I agree, because businessmen were funnelling lots of black money into agriculture and ultimately converting it into white money. But at the same time, there are others who are not businessmen or who are not falling in this category. For example, there may be a man in service and he may also be doing agriculture. So if agricultural income is to be clubbed, it should be only in the case of businessmen and industrialists and not for service men or anybody else because otherwise the incentive will be lost. Especially in the case of tuberous crops and vegetables, I think instead of taxing them, the Government should make them completely tax-free, and they should give concessions. Only then can we improve. Otherwise it will be very difficult and all the time foreign experts will be coming from various countries and these white-skinned people will cook their own goose and do nothing else, and we will keep on starving and keep on importing from various countries. Recently there was a glaring example, Mr. Deputy Chairman. The Americans had some surplus in the Californian coast, the prices were going down and they were facing unemployment in the rural sector. They requested us to buy 0.1 million tonnes. And to induce us to buy, so that we would buy only from America and not from any developing country, they gave us credit for that. Wonderful ! That is excellent, I must say. That is the old Yankee policy and they will follow it and they will never miss it. It is we who are missing from our side. (*Time bell rings*). Regarding the various river disputes, I think the position is much better now. But still the Bhakra Management Board does not have Madhopur, Harika and Ferozepur under them. They should be brought under them so that there is equitable distribution of water to the five States. My colleague from Rajasthan mentioned about it and I totally agree with it.

As far as Kosi is concerned, from Kopadia to Alamnagar, there is no embankment and people are suffering. About even to eight lakh people are suffering every year due to the ravages of floods. At the same time, on the other side, in the district of Saharsa, a sizeable population has fallen within the embankment area and till now, I am very sad to mention here on the floor of the House, the Government has not done anything to redress their grievances. They must settle them outside the embankment. Mr. Deputy Chairman, in Bihar there may be so many damaging or bad rivers causing floods and they are in different parts of Bihar, but my former constituency, Kakadia, has got all the ravaging rivers at one place. I know what flood is. The city folk will not know the fury of flood, the effect and after-effect of flood. But I know; I have seen the people who have suffered and I have gone to the flooded areas (*Time bell rings*). Therefore, I will request the Minister, through you, to have a practical policy regarding the ravaging rivers in Bihar and

all over the country and regarding equitable distribution of water. At the same time, we must have a pragmatic policy so that we are not only self-sufficient but in the next three years, we should be exporting foodgrains from India. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhanu Pratap Singh.

SHRI KAMESHWAR SINGH: But you have not given any minor concession.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: A slightly minor concession, half a minute, you got

श्री भानुप्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हू कि आपने मुझे समय दिया है। जो समय आपने दिया है उसका उपयोग मै सरकार के समक्ष आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखने मे करूंगा।

सबसे पहला सुझाव तो मेरा यह है कि सरकार अपने मिथ्या प्रचार का स्वय शिकार न बने। बड़े जोरों से सरकारी प्रचार चल रहा है कि देश में खूब अन्न पैदा हुआ है। कृषि मे बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। देश अनाज से भरपूर है। श्रीमान्, ऊपरी दृष्टि से अगर देखा जाये तो यह बात कुछ सही लगती है परन्तु अगर गहराई में जाया जाये तो नतीजा यह निकलेगा कि कृषि की प्रगति अत्यन्त असन्तोषजनक रही है। अभी चन्द दिन पहले हमारे कृषि मत्री महोदय ने घोषित किया था कि लक्ष्य से अधिक इस वर्ष पैदवार होने की संभावना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके वे कौन-से लक्ष्य है, कौन से आंकड़े है जिनके प्राप्त होने की संभावना है? आपको स्मरण होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये 129 मिलियन टन अनाज का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 1973-74 में भी वह पूरा नही हुआ। उसके बाद घटाकर लक्ष्य रखे गये। अब सन् 1975-76 के लिये 129 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कहा जाता है कि 114 मिलियन टन तक हम पहुंच चुके हैं। इस के बावजूद भी यह कहा जाता है कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और हमारे अनाज का उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक हो गया है। श्रीमन्, यदि लक्ष्यो को घटाकर रखने में सुविधा हो तो कोई भी सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।

श्रीमन्, दूसरी देखने की बात यह है कि अपने देशवासियो के लिये जितने अनाज की आवश्यकता है, क्या हम उतना अनाज पैदा करने में सफल हो गये हैं? इस सम्बन्ध मे मेरा नम्र निवेदन यह है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में जितना अनाज विदेशो से मंगाया गया था लगभग उतना ही अनाज पिछले दो वर्षों में मंगाया गया है। इससे जाहिर है कि यदि अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए होते तो इस बडी मात्रा में चार पचवर्षीय योजनाये समाप्त होने के बाद भी आज हम विदेशी अन्न पर निर्भर नहीं होते। पहली योजना की तुलना में आज हम अनाज के मामले में दुगुने दूसरे देशो पर निर्भर हैं। श्रीमन्, यह भी देखने की बात है कि इस अवधि में दूसरे देशों ने कितनी उन्नति की है और उनकी उपलब्धियां क्या है। इस सम्बन्ध मे मै आपके सामने कुछ आंकडे प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन 20 वर्षों में दूसरे देशों ने क्या उन्नति की है इसके कुछ आंकड़े मै यहा रखा रहा हूं। इन आंकड़ों से आप को पता चलेगा कि इन देशो में प्रति एकड़ उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। इन 20 वर्षों में ताइवान में 1710 प्रति एकड़ में वृद्धि हुई, जापान में 1665 की, अमेरिका में 1400 की, इजीप्ट मे 1250 की, कोरिया में 1210 की, डेनमार्क में 1190, चेकोस्लोवाकिया में 1040 की, यू० के० में 1015 की और भारत में सिर्फ 305 की। श्रीमन्, मैंने यहा की लायब्रेरी और रेफेरेन्स विभाग से पूछा था कि इस सम्बन्ध में विभिन्न देशों मे क्या प्रगति हुई है। उसी सम्बन्ध में ये आंकड़े मुझे प्राप्त हुये है। यही नही अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में पिछले 10 वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि हमारे देश में सिर्फ 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आप इस बात को भी देखेंगे कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पिछले 25 वर्षों में पैदा

[श्रीभानु प्रताप सिंह]

दुगुनी वृद्धि हुई है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सरकार को इस बात का सन्तोष है कि पैदावार में वृद्धि हुई है। सन् 1951 से 1955 के बीच में पांच वर्षों मे जो प्रगति के आंकड़े हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले वर्ष में प्रगति 1.5 प्रतिशत, दूसरे मे 17.20 प्रतिशत की हुई और फिर 9.5 प्रतिशत की प्रगति हुई। इसके बाद 16.04 प्रतिशत की प्रगति हुई और फिर अगले पाच वर्षों में वह घटकर 9.23 प्रतिशत हो गई। इससे आपको पता चलेगा कि हमारी प्रगति कितनी धीमी गति से हुई। आज इतने प्रयत्नों के बावजूद भी हम अन्न के मामलों में आत्मनिर्भर नही हो पा रहे है। हमारी स्थिति तो यह है कि अन्न के मामलो में जब कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये, हम दूसरे देशों के पीछे होते चले जा रहे हैं। फिर भी अगर हम सन्तोष कर ले तो इसको हम मिथ्या सन्तोष ही कह सकते हैं।

श्रीमन्, मैं बड़ी विनम्रता से आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सभी दलो का भेदभाव छोड़कर वे इस दिशा में गम्भीरता पूर्वक विचार करें और यह जो हमारे देश में खेती की प्रगति में धीमापन है उसको दूर करने मे सब का सहयोग ले। नये बीज आये, और मैं यह भी कहना चाहता हू कि पैदावार बढ़ाने पर खर्च भी सरकार ने किया। इस समय एक वर्ष में जितना व्यय हो जाता है उतना पहली पंचवर्षीय योजना के पूरे 5 वर्षों मे नही हुआ था लेकिन उन 5 वर्षों मे जो वृद्धि हुई थी वह, आज जो वृद्धि 5 वर्षों में हुई है, उससे दुगुनी से ज्यादा थी। इस पर सोचना चाहिये फिर क्या कारण है कि पैसा भी खर्च हो रहा है, नये बीज भी आ गये और फिर भी एक वर्ष नहीं, दो वर्ष नहीं, मैंने 5-5 वर्षों की तुलना की है, और मै गेहूं की ही पैदावार के जो आंकडे उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हू गेहूं की पैदावार 1966-67 में 11.3 मिलि० टन हुई थी, 1967-68 में जब नये बीज आ गये, तो यकायक बढ़ कर 16.5 मिलि० टन हुई, फिर 1968-69 में 18.6 मिलि० टन हुई, 1969-70 में 20 मिलि० टन हुई, 1970-71 में 23 मिलि० टन हुई और 1971-72 में 26 मिलि० टन, यानी दूने से ज्यादा। केवल 6 वर्षों में हमारे किसानों ने गेहूं पैदा करके इतनी पैदावार इस देश को दी। उसके बाद मै जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि वह कौन सी बीमारी है जो इस देश के किसानो को और कृषि को लग गई है कि उसके बाद आज तक 26 मिलि० टन से ज्यादा गेहूं पैदा नही हो सका। 1972-73 में 24.7; 1973-74 मे 21; 1974-1975 में 24 और, अभी-अभी हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि इस वर्ष पैदावार ज्यादा होगी। मै चुनौती के साथ कहना चाहूगा कि नही होगी। उनके अनुमान का आधार यह है कि मण्डियो में गेहूं बहुत तेजी से आ रहा है। श्रीमन्, उसका कारण दूसरा है, वह यह है कि किसानों को घेरा डाल कर ऐसा मजबूर किया गया है--वे जानते है कि आज सरकार के अलावा और कोई दूसरा खरीदार नही है। ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति में...

श्री शाहनवाज खां: इस कीमत पर खरीदार नही है।

श्री भानुप्रताप सिंह : मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं। आप समझते है आपने बहुत उपकार किया है 105 रु० प्रति क्विटल देकर। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मै कहना चाहूंगा. यदि आज देश में 74 लाख टन अनाज विदेशों से न मंगाया गया होता, आज यदि सारे प्रतिबन्ध--एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के प्रतिबन्ध को हटा लिया गया होता, तो आप किसानों को 105 रु० देकर फिर उसका धन्यवाद भी प्राप्त करने की आशा नहीं करते। सारे देश मे कुल 24-25-26 मिलियन टन अनाज पैदा होता, मार्केटेबल सर्पलस पर 8-9 मिलियन टन होता। जितना देश का मार्केटेबल सर्पलस है उसी का लाभ आप विदेशो से मंगा कर मार्केट में डम्प करते है और फिर कहते हैं हम किसान के साथ बड़ी

नेकी कर रहे हैं, उसका गल्ला हम 105 रु० क्विन्टल पर खरीदते हैं, अगर वह हम नहीं खरीदते तो वह भाव 89-90-95 रु० क्विण्टल होता-- क्या यह बात सही है? यह उसी तरह की बात है, यदि आप किसी व्यक्ति को बक्से में बन्द कर दे, आलमारी में बन्द कर दे जहां हवा नहीं जा सकती है और फिर उतनी हवा दें जिससे वह केवल जीवित मात्र रहे।

मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से किसान के काम में आने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है; ये 1971-72 की कीमतें है जिनकी 1974-75 की कीमतों से तुलना की गई है। मिट्टी का तेल 66 पैसे लिटर था जो 1 रु० 82 पैसे प्रति लिटर हुआ--वृद्धि 115 प्रतिशत। दियासलाई 8 पैसे की थी, जो 13 पैसे की हो गई,-- वृद्धि 62.5 प्रतिशत। धोती की जोड़ी 11 रु० 38 पैसे की मिलती थी, अब 23 रु० 8 पैसे की मिलती है--वृद्धि 102 प्रतिशत। साड़ी प्रति जोड़ा 15 रुपया 33 पैसा था जब कि दिसम्बर 1974 में उसके दाम 30 रुपया 18 पैसा था। इस तरह से 93.8 प्रतिशत इसके दामों में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से कमीज का जो कपड़ा था उसके प्रति मीटर के दाम 1 रुपया 63 पैसा था जो दिसम्बर 1974 में 3 रुपया 92 पैसा प्रति मीटर हो गया और इस तरह से इसके दामों में 140.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अल्यूमीनियम के बर्तन के भाव 100 ग्राम 1 रुपया 14 पैसे थे जो कि दिसम्बर 1974 में 2.09 हो गये और इस तरह से इसमें 92.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यूरिया प्रति बैग 47 रुपया 50 पैसा था जब कि उसके भाव 105 रुपया प्रति बैग हो गये और इस तरह से इसमें 122.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (*Time bell rings*) मै पहले बार बोल रहा हूं और आप कृपा कर मुझे पांच मिनट और दे दीजिये।

इसी तरह से बिजली पावर के भाव प्रति बी० एच० पी० दिसम्बर 1969 में 110 रुपया था और दिसम्बर 1974 में 180 रुपया हो गया और इस तरह से इसमें 63.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। इसी तरह से ट्रैक्टर के दाम दिसम्बर 1969 में 13,443, रुपया थी और दिसम्बर 1974 में 34,791 रुपया हो गई और इस तरह से 158.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने सोने के भाव भी लिखे हैं लेकिन मैं उनको इस समय सुनाना नहीं चाहता हूं।

अब मैं विदेशों के मार्केट के सम्बन्ध में कुछ आकड़े देना चाहता हूं। अमेरिका में गेहूं के भाव दिसम्बर 1969 में 64 रुपया प्रति टन था जो बढ़कर दिसम्बर 1974 में 200 रुपया हो गया और इस तरह से इसमें 212.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह से थाईलैंड का चावल जो सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश है, वहां पर चावल के भाव दिसम्बर 1969 में 186 रुपया था और दिसम्बर 1974 में वह 541 रुपया हो गया। इस तरह से इसमें 190.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह से अमेरिकन मक्का दिसम्बर 1969 में 52 रुपया था और वह बढ़कर दिसम्बर 1974 में 132 रुपया हो गया और इस तरह से इसमें 153 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अपने यहां का जो गेहूं है उसके भाव सुनिये। गेहूं का दिसम्बर 1969 में 76 रुपया प्रति क्विटल था और दिसम्बर 1974 में 105 रुपया प्रति क्विन्टल हो गया और इस तरह से इसमें 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह से चावल के भाव दिसम्बर 1969 में 89 रुपया प्रति क्विन्टल था और दिसम्बर 1974 में 117 रुपया प्रति क्विन्टल हो गया और इस तरह से इसमें 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या यही न्याय किसानों के साथ किया जा रहा है? मेरा यह सुझाव है, मैं यह नहीं कहता कि यही एक कारण है और भी कारण हो सकते है, लेकिन एक मुख्य कारण है और बौद्धिक कारण है, जिसकी वजह से देश कृषि के सम्बन्ध में तरक्की नहीं कर पा रहा है चाहे हम कितनी ही आशावादी बात क्यो न कहें। यह सम्भव नही है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you one minute more.

श्री भानुप्रताप सिंह : मैं एक मिनट में अपने साम्यवादी माननीय सदस्य की बात के सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं। उन्होंने लैंड रिफार्म के बारे मे एक बात कही है। मैं उसके सम्बन्ध मे विस्तार से इस समय जाना नही चाहता हूं, लेकिन जब समय आयेगा तब इसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। परन्तु उन्होंने कहा कि इस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल चेन्जेज जब तक रूरल सोसाइटी में नही होगा—पीजेन्ट्स प्रापर्टीशिप के बारे में उन्होंने कहा : " it is relic of feudalism" ये सारी चीजे जब तक नही होंगी, नये किस्म का ढाचा नही बनेगा, तब तक खेती की उन्नति नही हो सकती है।

श्रीमन्, सोवियत यूनियन में सारे स्ट्रक्चरल चेन्जेज हो चुके है, जो फ्यूडलिज्म की बात उन्होने कही वह वहा पर समाप्त हो चुकी है। परन्तु आज संसार में कोई देश है जो भारत से ज्यादा विदेशी अनाज पर निर्भर करता है, वह सोवियत यूनियन ही है। हम इस पद्धति की पैरवी यहां पर करते है। यह वह पद्धति है जो कि सोवियत यूनियन में फेल हो चुकी है और वह पद्धति जो चीन में फेल हो चुकी है।

मेरे पास इस समय समय नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी कृषि के सम्बन्ध में जो प्रगति है वह सन्तोषजनक रही है। मैं इस राय का हूं कि संतोषजनक स्थिति की संभावना है और उसी संभावना को हमें कामयाब करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के सम्बन्ध में उन्नति की है और वह उन्नति रूस से तेज है और चीन से भी तेज है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया (माध्य प्रदेश) : मान्यवर, इस विषय पर जो चर्चा हो रही है, मेरी दृष्टि में यह काफी गम्भीर और महत्वपूर्ण है। गम्भीर और महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस का सम्बन्ध सारी दुनिया की आधी आबादी से है और इसलिए भी के हमारे देश के जनजीवन के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है और 80 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बन्धित हैं और उनका रोजी और रोटी का सम्बन्ध इससे जुड़ा है। पूरे मुल्क की खाद्यान समस्या, कपड़ा और मकान से इस मत्रालय का सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है और उसके जितने भी कार्य-कलाप है, कार्य है, उनको काफी गम्भीरता से और गहराई के साथ अध्ययन करके जो सुझाव माननीय सदस्य रखते है, उन पर मत्रालय को जरूर विचार करना चाहिये व योग्य निर्णय लेना चाहिये।

विश्व खाद्य संगठन ने 1976 के वर्ष को एशिया और हिन्दुस्तान के लिए खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बड़ा गंम्भीर वर्ष बतलाया था। लेकिन देश के किसानों ने, मजदूरो ने, हमारे देश के केन्द्रीय शासन ने, राज्यों के शासन ने, देश के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने काफी अनुसधान इस सम्बन्ध में किया जिनका कि अनुसंधान से सम्बन्ध जुड़ा हुआ है उन सब लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर को अगर सब सुविधा दी जाय तो वह किसी देश के किसान का मुकाबला कर सकता है। और वह उत्पादन के मामले में किसी से पीछे नही रह सकता है। इसलिए प्रशासन का यह पहला फर्ज है कि किसानों की हर तरह से मदद की जाय।

इस बहस की शुरूआत त्यागी जी ने की, लेकिन उन्होंने वचनों का उपयोग करने में बड़ी कंजूसी दिखलाई। वह कह रहे थे कि इस देश में उत्पादन 114 मिलियन टन हुआ। 116 हुआ और धन्यवाद खाद्य मंत्री को दें या न दे इसमें बड़ा सोच विचार प्रकट किया।

धन्यवाद द् या नही, उनके प्रवचन में विचार धारा की काफी दरिद्रता थी। सच्चाई उनके गले के नीचे नही उतर रही थी। यह उस सस्था का दोष है जिसके की वह सदस्य है। हकीकत यह है कि हमारे पूरे राष्ट्र को पूर्ण श्रद्धा के साथ अभिनन्दन करना

चाहिए तमाम किसानों और मज़दूरों का, खेतिहर मज़दूरों का, शासन का और वैज्ञानिकों का जिनकी वजह से हमारे देश का गौरव बढ़ा है और पहली बार हमारे मुल्क में इतना उत्पादन हुआ है जिस पर हम लोग गर्व कर सकते है। आत्मनिर्भरता की ओर हमारे देश ने ठोस और मजबूत कदम उठाया है, यह हमको भूलना नही चाहिए। यह जरूर है कि प्रकृति की भी काफी कृपा रही है। हर वर्ष प्रकृति इतनी कृपालु रहे यह कहा नही जा सकता है। इसलिए इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कौन से कदम स्थायी आत्मनिर्भरता के लिए उठाने चाहिए इसकी ओर कृषि मंत्रालय को विशेष ध्यान देना होगा।

सिचाई के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। सिचाई का जहां तक ताल्लुक है उसमें हमारे देश की बहुत गम्भीर स्थिति है। एक्सपेक्टेड इर्रीगेशन का टोटल रकबा है 107 मिलियन हेक्टेयर। 1951-52 में 22 मिलियन हेक्टेयर में सिचाई होती थी। 25 साल में सिचाई के प्रोजेक्ट्स मेजर, मीडियम, माइनर तैयार हुए है उन तमाम का लिहाज करते हुए 25 साल में 44 मिलियन हेक्टेयर सिचाई के रकबे को हम बढ़ा सके है, अर्थात करीब एक साल मे एक मिलयिन हेक्टेयर रकबा सिंचाई मे बढ़ा है। अगर इसी रफ्तार से कोशिश की गई तो लक्ष्य बहुत दूर रहेगा इस काम को पूरा करने मे 70 साल लगेंगे। मै इस मंत्रालय का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 70 साल तक इतिहास और समय हमारा इन्तजार नहीं कर सकता, हमको गति बढ़ानी होगी। 612 मेजर और मीडियम स्कीमों को स्वीकृति मिली। लेकिन उनमें से 380 ही पूरी हुई, बाकी पूरी होनी शेष है। हमारी दिक्कत यह है कि विभिन्न राज्यों ने पहिले की स्वीकृति योजना पूरी करने के पहिले नई योजनायें हाल में लेली हैं और पुरानी योजनाओं को जो काफी महत्वपूर्ण थी पूरा नही किया जा सकता है। रफ्तार बहुत धीमी है और उसका नतीजा यह है कि अगर प्रकृति हमारा साथ न दे तो हम पर मुसीबत आ सकती है। इस मुसीबत का सामना करने के लिये यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री क्रान्तिकारी आर्थिक कार्यक्रम मे सिचाई के रकबे की वृद्धि को सम्मिलित किया है। मुझे भय लगता है कि अगर यही गति रही तो जो लक्ष्य उन्होंने रखा है उसको हम कैसे पूरा कर सकेंगे। इसलिए इस सबंध में हमें ठोस निर्णय लेने होंगे जिससे कि देश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके।

जहा तक छोटी सिचाई योजनाओं का सवाल हैं यह हमारे देश के किसानों के लिये काफी लाभदायक है। थोड़े समय मे उनके परिणाम हमारे सामने आ जाते है। बड़ी योजनाओं में काफी समय लगता है, काफी धन खर्च होता है। इस संबंध मे मै यह भी एक सुझाव मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं कि मेजर और मीडियम इर्रीगेशन स्कीम्स पर बहुत अधिक व्यय हो जाता है और इस कारण इर्रीगेशन रेट इतने ज्यादा रखे जाते है कि छोटा किसान उन्हें दे ही नहीं सकता, उनका फायदा नही उठा सकता इसलिए इस बात पर विचार करना जरुरी है कि प्रारम्भिक तीन चार वर्षो मे सबसीडाइजड् रेट कायम करने चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए। जब कि शासन इंडस्ट्रियली बेकवर्ड एरिया में पूरी मदद देने की कोशिश करता है तो जो एरिया इर्रीगेशन की दृष्टि से बैकवर्ड है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें सबसीडाइजड् रेट पर सिंचाई सुविधा देकर छोटे किसानों को क्यो मदद नहीं देनी चाहिए ? यदि ऐसा नही करेंगे तो योजनाओ का जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा कृषक समाज उससे वंचित रहेगा। इसलिए इस तथ्य पर गंभीरता से केन्द्रीय शासन विचार करें।

एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन के बारे में कई पूर्व वक्ताओं ने विवेचन किया है लेकिन एक महत्वपूर्ण सुझाव उसके बारे में रखना चाहता हूं। किसानों के उत्पादन की प्राइस को फिक्स करने के लिये कमीशन कायम है। मालूम यह

[श्री सवाई सिंह सिसौदिया]

हुआ है कि अब कोई अशासकीय सदस्य भी उसमे नियुक्त किये गये है। यह बहुत दिनों से मांग थी संसद में और बाहर भी किसानो के हित की दृष्टि से। लेकिन एक मुद्दा जो खास इससे सबधित है कि किसानो के काम में आने वाली जो वस्तुएं है उन का मूल्य बढ़ा है, घटा नही है। ट्रैक्टर की भी चर्चा हुई। केवल रसायनिक खाद के मूल्य में थोड़ी बहुत कमी हुई है लेकिन इंटरनेशनल कीमतें जो रसायनिक खाद की कम हुई है उस अनुपात से उस की कीमत अभी कम नही हुई है। किसान की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि केवल किसानों के उत्पादन की वस्तुओं के लिये ही प्राइस नही होनी चाहिए बल्कि खेती के काम में आने वाली जो तमाम वस्तुएं है उन के दाम तय करने वाला कमीशन भी होना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड कमीशन होना चाहिए जो कि किसानो के काम में आने वाली तमाम चीजो के उचित मूल्य भी निर्धारित कर मंहगाई एवं कम ज्यादा कीमतों का जो प्रश्न सदैव उपस्थिति होता रहता है उस सब का इस से समाधान उचित तौर से हो सकेगा एक ऐसा कमीशन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए जो कि किसानों के उत्पादन का भी मूल्य निर्धारित करे और साथ-साथ किसानो के और खेती के काम में आने वाली जितनी चीजें है उन का भी मूल्य निर्धारित करे। आज देश में प्रतिवर्ष 35 हजार ट्रैक्टर बनते हैं जब कि एक लाख ट्रैक्टर बनाने की क्षमता है। कारखानों से उत्पादन कम होता है और कीमतें बढ़ा कर रखी जाती हैं। किसानों को पूरा फायदा व सहूलियत नही मिल पाती। देश में कम कीमत के ट्रैक्टर किसानों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखकर निर्माण किये जाने चाहिए। आज तो एक बैल की जोड़ी की कीमत भी दो हजार रुपये से कम नहीं है छोटे किसान का काम चलना आज बहुत मुश्किल है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो भूमिहीन लोगों को जमीन देने का प्राविधान रखा गया है उस में उन को केवल जमीन बांटी जा रही है। उन को खेती के लिये जब तक आवश्यक वस्तुएं देने की व्यवस्था नही होगी वह कृषि के काम को चालू नही कर सकेंगे। इसलिये इस बारे में शासन अवश्य सोचे। जमीन का बंटवारा तो हो जाय लेकिन जब तक उन के पास उत्पादन के लियें दूसरे साधन नही होंगे तब तक वह उत्पादन के काम को आगे नही बढ़ा सकेंगे। (*Time bell rings*) अभी तो मैने शुरूआत की है।

श्री उपसभापति : तो अब अंत भी कर दीजिए।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं बहुत जल्द समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं दो तीन बाते और कहना चाहता हूं। नदी घाटी योजनाओं के बारे में जितने अन्तरप्रान्तीय गंभीर स्वरूप के विवाद थे उन का समाधान मंत्रालय की सूझबूझ से हुआ है। नदी जल के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बारे में विचार प्रकट किये गये है। यदि यह सभव न हो तो भी जो प्रयत्न विवाद समाप्त करने के लिये किये गये हैं वह भविष्य में भी जारी रहने चाहिएं। इस प्रकार के विवाद और बाकी न रह यह कोशिश होनी चाहिये छोटे किसानों के बारे में एस० एफ० डी० ए० और एम० एफ० डी० ए० के द्वारा विभिन्न जिलों में काम किये गये है, लेकिन उस बारे में कहना चाहता हूं कि जो काम हुआ है उस का मूल्यांकन होना चाहिए। यह मालूम करना चाहिए कि जिस लक्ष्य को सामने रख कर सरकार की योजनायें बनी/चलायी गयी उस का फायदा छोटे किसानों और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को मिला है या नहीं। यह योजनायें जिन इलाकों में लागू की गयी हैं वहां के लिये जो लक्ष्य रखा था, छोटे और सीमांत किसानों को जो सुविधायें शासन देना चाहता था उस की प्राप्ति हुई या नहीं। चार वर्ष के लिये अगर योजना थी और अगर उसे बंद किया जाता है तो यह उचित नहीं है। एक निर्धारित लक्ष्य जो योजना के अन्तर्गत रखा गया था वह पूरा हुआ या नही ? जब तक यह फायदा उपलब्ध न हो जाय उस समय तक इन योजनाओं को चालू रहना चाहिए। यह तो ब्योरोक्रेटिक सेट अप की खराबी है कि इन योजनाओं का

फायदा अभी तक उन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिला। यह निर्णय करना चाहिए कि छोटे और सीमांत किसानों को जो फायदा देने का शासन ने निश्चय किया है वह उन को मिलना चाहिए और उसके लिये उन योजनाओं को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है।

बहुत से अन्य मित्रों ने यहां चर्चा की है पंजाब रिआर्गनाइजेशन ऐक्ट की। यह बहुत ही अजीब बात मालूम होती है कि 1966 में जो कानून बना और उस की धाराओं के अनुसार 1969 में जो बोर्ड बनना चाहिए था वह अभी तक नहीं बना (*Interruption*) और इरिगेशन हैड वर्कस फीरोजपुर को इस्तेमाल करने के बारे में जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। इस की बहुत से माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और इस प्रकार से कुछ क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह गये हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शासन के जो कमिटमेंट है उन को समय से पूरा किया जाना चाहिए। उन का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। यह बात समझ में नहीं आती कि जब एक निर्णय ले लिया गया तो उस को पूरा क्यों नहीं किया जाता।

अंत में एक मिनट और लेना चाहूंगा। यह जो ऋण मुक्ति का प्रावधान 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है, उसका नतीजा यह हुआ है कि एक बहुत बड़ा अभाव हमारे देश में पैदा हो गया है। 1 हजार करोड़ का ऋण प्रति वर्ष (इंस्टीट्यूशनल लोन को छोड़ कर) व्यक्तिगत लोन के रूप में बांटा जाता था उसकी पूर्ति करने के लिए रूरल बैंक स्थापित किये जा रहे हैं, लेकिन वे बहुत कम हैं। उनकी गति यह है कि 25 साल में भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो (आर्थिक संगठन) इकानामिकल आर्गनाइजेशंस गांवों में कायम हैं, सेवा सहकारी समितियां उनके द्वारा यह काम ठीक ढंग से हो सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट आफ इंडिया को इस बारे में उपयुक्त निर्णय शीघ्र लेना चाहिए। सहकारी माध्यम से कंजम्पशन लोन का भी इंतजाम सहूलियत के साथ हो सकता है। प्रोडक्टिव लोन्स के लिए तो दूसरी अन्य एजेन्सीज हैं। कंजम्पशन लोन के वितरण के लिए कोई दूसरी ऐजेन्सी सबल नहीं है। सेवा सहकारी समितियों को सबल और स्वावलम्बी बनाने के लिए निश्चित प्रोग्राम बनाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से, जो इस मंत्रालय के इंचार्ज है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस और ध्यान दें। अनाज की पैदावार हमारे मुल्क में बढ़ी है, यह बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन भविष्य के लिए भी हमको जितनी सावधानियां रखनी चाहिए वह रखें। यदि सिंचाई का क्षेत्र मुल्क में नहीं बढ़ाया गया तो हमारे लिए कभी भी अनेक भयंकर कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं धन्यवाद।

SHRI IRENGBAM TOMPOK SINGH (Manipur): I want hardly ten minutes, Sir. I do not want to repeat the points raised already by the hon. Members. I will deal with only three points. This Ministry is a big Ministry dealing with a very important subject. The first point that I will take up is about the research to be carried out in the north-eastern region. This will be a typical research which will be helpful for the country because, Sir, as we see in industry, in agriculture also there is a regional disparity in the development of agriculture. If we divide the country into the three or four zones in the agricultural field in this country, we find a great disparity. For example, Haryana, Punjab and Gangetic plain are in the advanced stage. In Punjab, the yield per acre is more than the yield per acre even in USA because in Punjab, 80 per cent of the land comes under irrigated area, whereas if we look at Madhya Pradesh which has a very big area under cultivation, the irrigated land is only 8 per cent and, therefore, the yield per acre there is also very low. Formerly, Sir, as young students of geography, we knew only about wheat zones, rice zones, cotton zones

[Shri Irengbam Tompok Singh]

but I feel, Sir, that under the irrigated areas, even wheat zones can be brought under rice zones of Punjab, Haryana and Western U.P. As we see in the case of industry, there are some States which are developed, like Bombay (Maharashtra) Calcutta (West Bengal) and Madras (Tamil Nadu). These areas are industrialised. In the same way, some other States have also become self-sufficient in industry as well as in agriculture. But, many other regions in the country are lagging behind. One is the Himalayan region, that is, the hilly region. Therefore, I want to bring to the notice of the hon. Minister, through you, this backward region where primitive type of agriculture is still prevalent. In order to give an alternative to replace jhuming system a research is being conducted by I.C.A.R. at Shillong. I quote they are: (1) To evolve an alternative farming system to replace jhuming to permanent cultivation; (2) To prevent loss of fertility and facilitate application of fertilizers in crop production and (3) To evolve a need-oriented cropping system. Right from Laddakh of Jammu and Kashmir and the Himalayan region if we move towards the east, that is, up to Mizoram, Nagaland, the whole of Manipur, Arunachalam and the whole hilly areas, the problem is the same because in this whole hilly region, the system of farming is quite different than what we find in the plains. Most of my friends who hail from plains or who come from irrigated areas, may not have acquired the experience of the type of cultivation in these hilly areas. In these areas, the system of ownership of land is also quite different. The land belongs to the hill community. In my own State of Manipur, the system is quite different from that of the valley. Therefore, I would like to appeal to the hon. Minister of Agriculture that in all these areas, forest areas, tribal belt areas, or hilly areas, where no survey has so far been conducted, a survey should be undertaken immediately and the land should be brought under some system, of course, without affecting the tribal interests. There are other associated problems where there is jhuming cultivation. Because of this shifting system of cultivation, most of the forest wealth had been destroyed and had been reduced to ashes. Therefore, the main task is to see that this system of jhuming is done away with immediately. This will have a very good impact, particularly in the hill areas.

As we know, in the country, there are two types of rivers, snow-fed rivers like the Brahmaputra, the Jamuna and the Ganga and other rain-fed rivers. In the field of soil conservation and afforestation, we have not evolved a national policy. I think the Agriculture Ministry is concerned with this. Soil erosion is taking place because of the destruction of forest wealth.

Another point is that the pattern of ownership of land in these areas should also be changed. Land should be in the hands of individuals. If we do this, it will have a very good impact. When the land belongs to the community, they do not care much about the land. I can give you examples. Further, the system of cultivation followed in the Kuki areas is different from that of followed in the Naga areas. In the Naga areas, they are going in for permanent cultivation. Our hon. Minister, Shri Shah Nawaz Khan, knows about these areas because when he was in the INA, he had travelled extensively in these areas. He is very well aware of these things.

Another point I would like to bring to the notice of the hon. Minister is in regard to the development of hill areas. In regard to the development of hill areas, certain schemes were taken up in places like Pauri-Garhwal in UP, in the Nungba subdivision in Manipur and so on. In regard to the hill areas, the problems are similar whether it is Manipur U. P. or Himachal Pradesh or any other place.

In this connection I would like to point out is about the spending of the amount sanctioned for the development of hill areas. In 1972-73, for Pauri Garhwal, Rs. 5 lakhs were released and the entire

amount was spent. I do not want to take more time of the House by quoting all the figures. In 1975-76, Rs. 10 lakhs were sanctioned. Out of this, only Rs. 6.46 lakhs were utilised. In my State, in the Nungba area, Rs. 5 lakhs were allotted in 1973-74 and the entire amount was spent. In 1975-76 Rs. 10 lakhs were allotted, but only Rs. 7.42 lakhs were utilised. I would like to ask a very pertinent question. Where does the defect lie? I would like to know whether proper personnel were deployed to see that the schemes are implemented fully. The money comes from the Central Government. I want that every rupee that is rolling from Delhi should reach the intended places. I do not know about other States. But hardly twenty or thirty paise reaches the hill areas. The money sanctioned by the Central Government should be carefully spent. The concerned Ministries should look into this matter. We produce many documents and so on to highlight the progress we have made. But we see very little progress in three areas. In the wake of the emergency and the twenty-point programme, we should gear up the administrative machinery in the far-flung hill areas.

There is another problem in regard to my State. The Agriculture and Irrigation Departments have been bifurcated. Irrigation is in the hands of the PWD. Therefore, the Agriculture Department has to approach the PWD for irrigation projects and so on.

So, I would like to urge the Union Ministry of Agriculture and Irrigation to give a direction to the State so that such a bifurcation is not there. The same department should take care of irrigation and agriculture. (*Time bell rings.*) I am going to finish, Sir.

Only one more point, Sir, and that is about flood control. I will not say much about other rivers but only about the Brahmaputra. With regard to other rivers there are quarrels about the distribution of water. They are all, more or less, tamed rivers but I would like to bring to your notice the untamed river of Brahmaputra. The Brahmaputra is one of the most turbulent rivers in the North-Eastern region. In the North-Eastern region, there is water water everywhere during floods but for agriculture there is practically no water. In the Gangetic plains, in the U. P. side and in the Punjab side, people are far far ahead in the field of irrigation. A flood control board has been formed for the Brahmaputra but we are very much lagging behind in irrigation in the North-Eastern region. Therefore, proper steps should be taken at the national level to improve the situation in the North-Eastern region so that we can achieve self-sufficiency at least in the matter of food which will be a good sign for the country.

With these few words, Sir,—I will not take a single minute more—I resume my seat.

PROF. RAMLAL PARIKH (Gujarat) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very happy to have this opportunity of participating in the debate to examine the working of one of our most vital ministries whose working has a bearing on the future of millions of our rural population.

Sir, as we all know, the rural population still constitutes the backbone of our society, of our economy, of our political system. We all know that 71.2 per cent of the population still sustains, anyhow, on agriculture. Therefore, the Ministry of Agriculture has a great responsibility to discharge, a great expectation to fulfil and a great obligation to meet.

[The Vice-Chairman (Shri Lokanath Misra) in the Chair].

Among the several activities which the Ministry of Agriculture is undertaking one important area of its operation is rural development to which, I think, we should now pay greater and greater attention. There was a time when we thought that mere increase in agricultural production will solve all our problems of poverty, but that is not coming true. There was a time when we thought that mere extension of new

[Prof. Ramlal Parikh]

technology to agriculture will solve all our problems of the regeneration of rural society but it has not come to be true, There was Sir, a time when we thought that by having some big projects in some rural areas and by some physical development of villages we will solve a number of our fundamental problems but it has not come to be true. I therefore want to plead with the Agriculture Ministry that it is time when they give topmost priority to the rural development programme because agriculture in this country is not just a productive machine. It is a way of life, it is integrated, it is inseparable from all aspects of life. Therefore, considering agricultural as a mere production mechanism will not help the development of our rural society.

As you know, Sir, the problem of poverty is, in fact rising and several hon. Members brought out the point that the number of persons below the poverty line are increasing. We cannot hope to solve this grave problem unless we have a very powerful, very effective countrywide rural development programme with active and massive involvement of the people.

Now our experience of the past, particularly of the community development projects has given ample evidence that a ready-made dish given to the rural people does not woik. A programme merely launched, run and managed by bureaucracy or by officers will not be successful. We must learn a lesson from how the community development programme has failed. It is admitted beyond doubt. The Report of the Ministry itself admits that there is no involvement of the people. This was revealed in the Conference of the State Ministers for Agriculture. The Report itself says :—

"The Conference also reviewed the existing programmes in the area of rural development and felt that the element of peoples' involvement which characterised the execution of rural development programmes in early 50's and later periods appears to have been lately petered out and as such needs re-emphasis."

This is an important point. I am glad the Ministry has admitted it. But I am rather surprised that this is not carried further by suggesting effective measures that would remove this very serious gap between the people and the administration, we have been experiencing so far. Now, Sir, in the question of rural development we have also received a paper from Mr. Subramaniam our Finance Minister, *i.e.* 'A Strategy for Integrated Rural Development'. It is good that Mr. Subramaniam, being the Finance Minister, has presented this paper which would mean that the Agriculture Ministry will not have any difficulty in securing financial means for implementing a new effective and nation-wide programme of rural development. Sir, if we take integrated rural development as our goal for which I think the Agriculture Ministry is primarily responsible, there are three or four areas on which the Ministry should concentrate all its energies and resources.

The most important part is employment. The report of the Ministry gives a very saddening picture on the implementation of even small number of 15 projects of rural employment undertaken as pilot projects. the Report itself says that in most cases the State Governments have not used the resources allocated. There were unspent balances at the end of every year which were allowed to be carried over and some times more than 50 per cent of the resources were not used. This shows how scantly, and in what lukewarm manner this programme is being attended to. I think it istim when we will all have to accept if we are thinking to take our country further and if we are thinking really and genuinely, meaning to improve the lot of our rural poor, we will have to establish a law that every ablebodied man, if one needed work, will get the work. It is in this field of integrated rural development programme, the Ministry of Agriculture will have to take necessary steps. When we need 5000 rural employment projects, even 15 projects are not able to use the allocated money. So, this is an important area which Mahatma Gandhi all along emphasized in his ideas

of *gram swarajaya,* in the idea of village reliance. Therefore, I would plead with the hon. Minister to give very high priority to this programme.

The second priority that we should give is to literacy in the rural development programme. The number of illiterates is rising in the country. We have more than 50 per cent of the worlds' illiterate population. When I say literacy, I mean functional literacy. This is also a great responsibility. Then, Sir, in the same way the question of public health also has to be attended to. So, along with agriculture the Ministry of Agriculture should attend to these aspects with great vigour, with greater intensity and with great priority.

Now, I wish to say something about agricultural education. .It has not been given adequate importance. We have 21 agricultural universities, but we have imparted education which does not lead the young people coming out from there to farms. Our friend Shri Sultan Singh brought out that point very effectively. They train them only to become white-collar officers. If our agricultural universities are also going to produce white-collar young persons in large numbers, I do not think we will ever be able bridge the gap between the poor people and others in the rural society. Therefore, we must effect a very serious change here.

The second point is about the *Krishi Vigyan Kendras.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LOKANATH MISRA) : You will to wind up now.

PROF. RAMLAL PARIKH : I need a little more time to complete this point. The *Krishi Vigyan Kandra* scheme has been under consideration for the last two or three years. I hope it is going to be operated this year. It took nearly three years to finalise it. And this scheme is going to be implemented only in 18 kendras in the whole of the country, whereas we need hundreds of such kendras to provide services to our farmers, to advise them on how to use the scare commodities to advise them about the proper crop planning in a simple and an unsophisticated manner. This *Krishi Vigyan Kendra* scheme has not gone much ahead, and I am really sorry that only 18 kendras are going to be sanctioned.

In the same way, the question of afforestation is very important. Our forest are being cut off very fast—more than 50 per cent of our forests are being cut off. What are we going to do about it ? We have the lesser land under forests.

Then, coming to the question of land distribution ......(*Time bell rings*). I will be dealing with only two points. I know that 10 minutes are over. But I will not take more than two minutes. On the question of land distribution, the land ceiling laws should be enforced strictly. But that is only one aspect of it . The second aspect is that there is a large area of fallow land, ravine land which must be reclaimed and the surplus land distributed without delay.

Then there is the question of inter-State water disputes which are still going on. It has not been accepted as a national responsibility. We have just heard about the dispute between the Punjab and Haryana. Then there is the Narmada water dispute which has been going on for years and years. I hope the tribunal will give its award soon and the Ministry will make preparations to implement it, because after the tribunal has given the award, there are a large number of preparations to be undertaken.

Sir, the position in respect of irrigation is also not good. It is estimated that 61 million hectares of land potential has yet to be irrigated and it will take three decades, or even more. At this rate, we will not be able to solve our water problem. We should, therefore, insist on inter-State authorities being set up at every point, at Bhakra Dam as well as the Narmada water scheme that is coming up.

Lastly, Sir, I do not understand this sugar levy price which is being kept

[Prof. Ramlal Parikh].

different from State to State. In Gujarat, where is sugar is produced through co-operative endeavour, an economic price is being denied. We have not been able to understand this discrimination.

With these words, I conclude and I hope the Ministry will consider some of the suggestions made.

Thank you, Sir.

4 P.M.

श्री रणबीर सिंह: (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष जी, कृषि मंत्रालय में बड़े महान पुरुष बाबू जगजीवन राम, शिन्दे साहब, शाह नवाज़ साहब दो और साथी पटेल साहब और के० एन० सिंह मंत्री है । उनका किसी हद तक मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पानी के पुराने झगड़ों को मिटाने की कोशिश की । कुछ प्रदेशों में और हरियाणा और पंजाब के बीच में जो झगड़ा था उनको भी निबटाने की कोशिश की । उसमें हरियाणा की तसल्ली नहीं है, न हरियाणा के साथ पूरा न्याय हुआ कहा जा सकता है । लेकिन एक फैसला हुआ । उसके लिये हम मशकूर हैं लेकिन इसके साथ-साथ यह बात भी कहे बिना नहीं रह सकते कि आज जब कृषि मंत्रालय के मंत्री बाबू जगजीवन राम जी हैं कि 10 साल पहले पार्लियामेन्ट ने कानून पास किया हो और किसी स्टेट का यह हौसला हो कि 10 साल के बाद भी उसको कार्यान्वित न होने दे । मैं नही मानता यह मज़बूती की निशानी है । कृषि मंत्रालय को मैं कमज़ोर नहीं मानता । मैं चाहता हूं कि देश में जैसा नाम ऊंचा कृषि मंत्रालय का है उसके मुताबिक वह कदम उठाये । उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास पंजाब रीआर्गनाइज़ेशन एक्ट है जो 1966 में पास हुआ । मैं उसका सेक्शन 79(1) पढ़ना चाहता हूं . . .

"The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakra Management Board for the administration, Maintenance and operation of the following works, namely :—"

Every other work has been transferred to the Bhakra Management Board except that dealing with the distribution of water under (c) which is :—

"the irrigation headworks at Rupar, Harike and Ferozepur."

उपसभाध्यक्ष जी, इण्डस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को पैसा देकर हिन्दुस्तान ने पानी हासिल किया और वह पानी एक स्टेट मे नही बंटा है, 5 स्टेटों में वह पानी बंटा है, जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का पीने का पानी भी इससे सम्बन्धित है । पांच स्टेट के पानी की पनसाल पंजाब के हाथ में दे रखी है जबकि कानून के मुताबिक उसका अख्तियार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को दिया गया था । 10 साल बीतने के बाद भी उसको कार्यान्वित नही किया गया । तो मैं आपके मार्फत मंत्री जी प्रार्थना करूंगा कि वह यह ऐलान करें कि आज से इन हेडवर्क्स का जो कन्ट्रोल है वह भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड के हाथ में दे दिया जायेगा जैसा कि कानून में लिखा हुआ है और जिस कानून की स्याही को सूखे हुए 10 साल हो गये । इसी के तहत जो (जी) सब क्लाज़ है उसमें लिखा हुआ है कि :

"(g) Such other works as the Central Government may by Notification in the Official Gazette specify."

इसी जी तहत में प्रार्थना करता हूं कि गलती से माधोपुर हेडवर्क्स जो दरियाये रावी के ऊपर बना हुआ है इसमें शामिल होने से रह गया था, उसको भी नोटिफाई किया जाय और तीनों रोपड़, हरिके, फिरोजपुर के साथ माधोपुर का इन्तजाम और उस पानी की पनसाल भाखड़ा केन्ट्रोल बोर्ड के हाथ में दी जाये ।

उपसभाध्यक्ष जी, यही नही कि पंजाब की सरकार ने उसका अख्तियार भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को नही दिया बल्कि पंजाब की पानी की चोरी भी पकड़ी गई हरियाणा के अफसरों द्वारा नहीं, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के अफसरों द्वारा । भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड का जो चेयरमैन है वह हिन्दुस्तान की सरकार का अफसर है । पंजाब में कागज पर दिखा दिया कि हम हरियाणा को पानी दे रहे हैं लेकिन एक बूद पानी भी हरियाणा की नहरों में नही चल रहा था । कब

तक आप इस चोरी की इजाजत देंगे और कब तक यह रियायत दी जायेगी यह मैं जानना चाहता हूं । और मैं चाहता हूं कि शिन्दे साहब, शाह नवाज साहब यहां बैठे हैं, वह आजाद हिन्द फौज के जनरल रहे हैं, आज एलान कर दें कि इस के बाद से इन चारों हेड वर्क्स का कन्ट्रोल भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड के तहत होगा और अगर वह ऐलान नहीं करते हैं तो मैं मानूंगा कि कृषि मंत्रालय मजबूत नहीं है । उसे और ज्यादा मजबूत बनना चाहिए । ऐसे ही कृषि मंत्रालय को कानूनी अधिकार नहीं है । कृषि और नहरों पर स्टेट् का अधिकार है, लेकिन जो कानूनी अधिकार आपको मिला है उस को भी आप इस्तेमाल न करें तो इससे ज्यादा कमजोर मंत्रालय आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा । और मैं नहीं मानता कि बाबू जगजीवन राम और शिन्दे साहब और शाह नवाज साहब इस मंत्रालय को कमजोर मंत्रालय कहलाना पसन्द करेंगे ।

इसके साथ-साथ मैं एक बात की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप जानते हैं कि यह मंत्रालय कितना अहम है । देश की 70 प्रतिशत आबादी को रोटी व रोजी देने वाला यह मंत्रालय है और सारे देश को खाना देने वाला यह मंत्रालय है । जब कभी कहत पड़ा तो देश भिखारी बना । किसानों ने आज देश को इज्जत दी है । उन्होंने पैदावार बढ़ाई, लेकिन किसानों के साथ जो व्यवहार है वह किसानों की शान के मुताबिक नहीं है । गेहूं का भाव 105 रुपये फी क्विंटल रखा गया, लेकिन वह खरीदा नहीं जाता । देश के बाहर जो 105 रुपये बिक रहा है यहां 65 का भाव रखा गया, लेकिन वह भी खरीदा नहीं जाता । कहते हैं इसका रंग सफेद है, इसका पीला है । बारिश तो किसान के हाथ में नहीं है । वह कुदरत के हाथ में है । जो भाई भगवान पर भरोसा नहीं रखते वह उसको अंधा कहा करते हैं । जब बारिश नहीं चाहिए तब बरसता है और जब चाहिए तब बरसता नहीं । अगर पैदा हो तो उसका रंग बदला जाये और रंग बदल जाये तो शिन्दे साहब का मंत्रालय खरीदे नहीं तो आखिर किसान कहां जाय । इस देश के जिम्मे आपने पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लगा दिया देश में अनाज लाने के लिए । यही नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, यह जो तनख्वाहदार भाई हैं, जो भाई अनाज पैदा नहीं करते, उनको सस्ता अनाज खिलाने के लिए पांच हजार करोड़ रुपया देश का खर्च किया जा चुका है अनुदान की शक्ल में, कर्जे की शक्ल में नहीं । तो मैं कृषि मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि एक तरफ वह सपूत हैं कि जो देश के लिये अन्न पैदा करते हैं और दूसरी तरफ वह भाई है कि जो अन्न को खाते हैं । तो किस को आप पसन्द करेंगे ? वह भाई जो सिर्फ कागज को काला करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, जो काम को रोकें उनको आप इनाम देना चाहते हैं या जो देश को स्वावलम्बी बनायें, आपको इस लायक बनायें कि जिससे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके उनकी आप मदद करना चाहते हैं ।

सभापति जी, the investment in major medium irrigation projects, expenditure on which is debited to "*98—Capital Outlay on Mulit-purpose River Valley Schemes*" and "99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation and Embankment Work (Commercial)", is estimated to be of the order of Rs. 3,500 crores at the end of 1973-74. State-wise details of cumulative capital outlay on major and medium irrigation projects at the end of 1971-72 and as estimated at the end of 1973-74, are furnished in the schedule given in the Report of the Finance Commission of 1973. The bulk of this investment has been made since the commencement of planning in the country. The outlays on irrigation projects would account for approximately 16 per cent of the aggregate outlays of the State Plan by the end of 1972-73. The era of planning which has witnessed phenomenal increase in investment in irrigation projects has, however, been unfortunately marked by sharp and progressive deterioration in the working results of irrigation projects. As against a marginal loss of only Rs. 58 lakhs in 1950-51, State Governments sustained a loss of nearly Rs. 150 crores on major and medium irrigation projects in 1971-72. In that year except for Andhra Pradesh, Haryana and Punjab, no other State was able to cover even the working expenses from receipts by way of water chargs. According to the forecasts furnished by the State Governments to the Finance

[Prof. Ram lal Parikh]

Commission, Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan alone would be able to meet their working expenses, while in all other States the receipts would fall short of even working expenses, what to talk of recovery of interest charges. Taking all States together the aggregate loss on irrigation projects including interest charges, as projected during the Fifth Plan period would be well over Rs. 1.000 crores.

5 हज़ार करोड़ रुपये का कोई ब्याज नही खाया गया सस्ता अनाज देने के लिए, लेकिन 3 हजार 5 सौ करोड़ रुपये जिस रुपये से अनाज पैदा करने की शक्ति बढी और पैदा किया उस पर एक हज़ार करोड़ रुपया ब्याज सरकार लेना चाहती है । यह सरकार बनिया है या सरकार लोगो की है । सरकार को और कृषि मंत्रालय को इस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा । मै डा० मिन्हास की राय देना चाहता हू--

In the interest of sound financial management Dr. Minhas recommended that the State Governments should take steps to imporve the returns so as to cover working expenses and interest charges of at least 1 per cent per annum on the investments in all major and medium irrigation projects.

डा० मिन्हास तो प्लानिंग कमीशन के मैम्बर थे, मै हिन्दुस्तान के अवाम का मैम्बर हूं । मै कहता हू कि जितना इरिगेशन यानी नहरो के ऊपर पैसा लगा है, उससे ब्याज मांगना इससे बढ़ कर कोई अन्याय नही हो सकता । न अमेरिका मे ब्याज लिया जाता है । रूस में तो ब्याज का खाता ही नही है । हम समाजवाद की बात करते हैं और ब्याज के चक्कर में यह सरकार है तो यह चक्कर बनिये के लिए है ?

तो मै कृषि मंत्री से प्रार्थना करूंगा, ढिल्लों साहब भी यहा आये है, हमारा पानी पंजाब मे चोरी हो जाता है, आप मेहरबानी करके हम जो देश की रक्षा करने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले, हम आपस में लड़ें नहीं पानी के लिए । हम दुश्मनों से लडें । दिल्ली मे पानी पाने के लिए नही मिल सकता है । तो जो कानून 1966 मे बनाया उसके ऊपर कार्यवाही शुरू होनी चाहिए और आज उसका ऐलान होना चाहिए और आज अगर ऐलान नही करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह शक्ति या जो बहादुरी की शोभा कृषि मंत्रालय ले रहा है, यह सिर्फ हमारे कन्धो की है, इनकी नहीं है ।

श्री आर० डी० जगताप आवरगांवकर (महाराष्ट्र) : जनाब नायब सदर साहब, एग्रिकल्चर के बारे में बहुत से मैम्बर साहबान ने जो तकरीरें की है और मेरे से पहले जनाब मुअज्जिज मैम्बर रणबीर सिह ने जो तकरीर की है, उनके दिल में काश्तकारो का दर्द है और काश्तकारों का दर्द होने से उन्होने जो कुछ काश्तकारो के सवालात है, वह हाउस के सामने रखे है । मैं उनकी ताईद करता हू, उनको सपोर्ट करता हूं ।

यह खुशी की बात है कि मुल्क में इस साल जो पैदावार हुई और आज हमको वह अनाज रखने के लिए जगह नही है, इतना अनाज हमारे पास पैदा हुआ है, इस बारे में वजीरे आजम साहिबा और एग्रिकल्चर मिनिस्टर बाबू जी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होने इस इमरजेंसी में जो पिछड़ा हुआ काश्तकार है और मुल्क मे जिस चीज की कमी है वह दूर करने के लिए जो जद्दोजहद की, उसकी ही वजह है कि आज इतने बड़े पैमाने मे हमारे मुल्क में अनाज पैदा हो सका है । इस मुल्क मे तकरीबन 70 फीसदी लोग आज खेती पर मुनहसिर है । जब गरीब के पेट में अनाज जाएगा तभी वह कुछ काम कर सकेगा । मरहूम अजीज वजीरे आजम शास्त्री जी ने एक नारा दिया था 'जय जवान जय किसान' । जैसे फौजी हथियार के बिना लड नही सकता वैसे ही काश्तकार भी, जब तक उसके पेट मे रोटी नही जाएगी वह काम नही कर सकता । यह भी सोचने की बात है । जब तक हम यह नही सोचेंगे और किसानो के लिये सहुलियतें नही देंगे, तब तक ज्यादा अनाज पैदा नही हो सकता । हमारे से पहले मैम्बर रणबीर साहब ने फरमाया था कि हमारे जो प्लांस है वे कागजी प्लांस रह जाते है और कागजी प्लांस से अनाज पैदा नही हो सकता । जो खेती करता है, जिसको खेती की जानकारी है वह जानता है कि काश्तकारो की क्या मुश्किलाते है । बदकिस्मती से हमारे यहा जो खेती होती है उस खेती के लिये हमें बारिश पर नजर डाले

रखनी पड़ती है । इरिगेशन हमारी बहुत कम है । बहुत सी जगहों में बाढ़ आती है जिससे बहुत से गाव बह जाते है । लेकिन मेरा कहना यह है कि पानी देने का जो हमारा प्लान है उसकी तरफ हमें खासतौर से ध्यान देना चाहिए । आहिस्ता-आहिस्ता अगर इस स्कीम को पूरा किया जाए तो काश्तकार को अपनी इरिगेशन बढ़ाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी । आज हाउस के सामने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकारों ने जो अनाज पैदा किया है उसकी कीमतें काफी घट गई है । सरकार जिस सिस्टम से अनाज खरीद रही है, उसमें मैं कहूंगा महाराष्ट्र की सरकार काफी प्रगति पर है । चीफ मिनिस्टर साहब को खास मुबारकबाद देता हू कि उन्होंने इस तरफ खास ध्यान दिया है ।

कोटन के लिये भी एक स्कीम महाराष्ट्र में चलाई गई है । कोटन की प्राइस वहां फिक्स की गई है, लेकिन कोटन पैदा करने वालो को प्रान्तों की गवर्नमेन्ट की तरफ से जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, इसलिये इस तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता है ।

मैं कुछ और भी सवालातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । किसानो को अगर हम आगे ले जाना चाहते हैं तो उनको सस्ते दाम पर बिजली मुहय्या करनी पड़ेगी । हमारा फर्ज हो जाता है कि उनको खाद और पानी ठीक ढंग से पहुंचाए । कर्ज का सवाल भी यहां उठाया गया है । परसों इस सम्बन्ध में हमारी वजीरे आज़म ने साफ-साफ ध्यान दिया है । उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के किसान है, जो गरीब है, मेहनतकश है, जो अपना पसीना बहाते है उनका जो कर्जा होता है उसको हम कम करने की कोशिश करें और हमें ऐसे तरीके अख्तियार करने चाहिएं जिससे उनकी कर्जदारी समाप्त हो सके । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे मुल्क के जो किसान है उनकी कर्जदारी कभी-कभी इतनी बढ जाती है कि उनके घर छीन लिये जाते है, उनके बैल और भैंस छीन लिये जाते है । ऐसी हालत मे हमारे मुल्क का किसान किस तरीके से तरक्की कर सकता है । मै पूछना चाहता हू कि अगर इसी तरीके से किसानो के ऊपर जुल्म होते रहे तो किसानो की भलाई और बहबूदी नही हो सकती है और न ही हमारे देश की पैदावार बढ़ सकती है ।

इसी तरीके से मेरा कहना यह है कि किसानों के जो कर्जे है उनको वसूल करने के लिए ऐसे तरीके अपनाये जाने चाहिएं जिससे किसानो को किसी प्रकार की परेशानी न हो । हमारा यह भी कहना है कि किसानों को जो कर्ज दिया गया है उसको आप भले ही माफ मत कीजिए, लेकिन उसको इस तरीके से वसूल कीजिये कि किसान को दिक्कत न हो । अगर इनकम टैक्स वालो का बकाया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह करोड़ों रुपयों में होता है । इसी तरह से जो मिल ओनर्स होते है उन पर करोड़ो रुपयो का इनकम टैक्स का पैसा बकाया होता है । हमारे देश के अन्दर जो "जय जवान, जय किसान" का नारा मरहूम प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था वह तभी कामयाब हो सकता है जब हम किसानो की तरफ अपनी तवज्जह दे । इसी तरीके से जो खेतीहर मजदूर है उनकी मजदूरी बहुत कम है । एक मजदूर को सिर्फ 3 रु० मजदूरी मिलती है । मै यह दावे के साथ कहना चाहता हू कि इस मजदूरी में वह अपने बाल-बच्चो का पेट नही पाल सकता है । उसकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए । ये कुछ चन्द बातें मैंने आपके सामने रखी है और मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे खास तौर पर एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे । जब तक हमारे देश में किसानों की हालत ठीक नही होती है तब तक हमारा देश तरक्की नही कर सकता है । यह मेरा दावा है ।

SHRI PATTIAM RAJAN (Kerala) : Mr. Vice-Chairman, Sir, it is being widely propagated that agricultural production has progressed a lot after the imposition of the internal emergency in India. Our Minister has said that it has reached up to 116 million tonnes. But I cannot agree with that statement, because, we the people of Kerala, are getting four ounces of ration of rice. If it has improved much, I would like to ask the Minister: Why did you give up the allotted quota ? I admit that there is a little improvement in agricultural production. But it is not because of the

[Shri Pattiam Rajan]

policy or planned policy of the Government but it is because of the good monsoon and the hard work of our peasants. We know that even after 20 years of Congress rule, we have not yet reached self-sufficiency whereas our neighbouring countries like China and our other socialist countries which were more backward than us in the early years have reached self-sufficiency. What is our condition ? We have been searching for food. We have been depending on the foreign imperialist countries for the import of food.

What is the situation of minor irrigation ? There are so many irrigation projects started years ago but not yet finished.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) in the Chair.

I would like to know about the irrigation project in my native place which was started 10 years back. When will it be completed ? The Minister should say something about it.

Sir, I would like to know about the progress in implementing land reforms. Can the Minister say that the land reforms and the ceiling laws have been implemented in India? He cannot say so becausse the statistics are here. He has replied to a question in this House that only 9 lakh acres of land have been declared surplus and 1.2 lakh acres of land have been distributed. You know that the Mahalanobis Committee said that more than 63 million acres of land would be available for distribution in 1960. Again, in 1971, the Dandekar and Raj Committees stated that 43 million acres of land would be available. Out of this 43 million acres of land, only 9 lakh acres of land has ben declared as surplus. Can it be considered as progress? No, it cannot be. Moreover, it took nearly 28 years to distribute one lakh acres of land. How much time will you take to distribute 9 million acres of land? I think that at least 250 years will be necessary to implement these land reforms. It proves that you are not ready to implement these land reforms. You stand for the well-being of the landlords and not for the poor peasants. It is an admitted fact that many of the Congressmen elected to the State Assemblies and Parliament are from the landless families of rural areas. That is why you are not ready to implement these land reforms in India. Moreover, it is interesting to note that out of 1 lakh acres of land that has been distributed, nearly 42,000 acres of land were distributed by the Janata Front Ministry of Gujarat. In my own State, when the United Ministry under the leadership of Comrade E.M.S. Namboodripad passed the progressive Land Reforms Act the Congress Party, with the help of the reactionaries, finished that Ministry and came to power.

They did not implement the land reforms there. The peasants and agricultural workers waged a prolonged struggle and they pointed out nearly three lakh acres of surplus land. But the Government has done nothing to declare that land as surplus. Many of the landlords with the help of this Government have transferred their lands as benami lands. Moreover, some landlords transferred their lands in the name of their house dogs and animals to overcome the land reforms. And it is a wonderful thing that the Central Government is coming forward with a Bill to legalise these benami transfers. In West Bengal, during the time of the United Front Ministry, peasants were able to occupy six lakh acres of land but now, with the help of the present Government, the landlords are trying to reoccupy these lands. It is a pitiable thing. This is the real approach of the ruling party towards land reforms. Sir, another important thing I would like to point out . . .]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Please wind up now.

AN HON. MEMBER : This is his maiden speech. Please give him some more time.

SHRI PATTIAM RAJAN : Another important thing I would like to point out is the steep fall in the prices of agricultural products, specially the commercial crops. The prices of various varieties of cotton have fallen. Tobacco peasants are facing the same crisis. In the case of Jute, the Government has fixed a minimum price of Rs. 135 per quintal but the prices have fallen below Rs. 100. The price of groundnuts has fallen by more than 50 per cent. The prices of coconut in Kerala have fallen from Rs. 1300 per thousand to Rs. 650 per thousand this year. When the prices of commercial crops are falling, the prices of inputs like electricity, fertilizers and irrigation charges have gone up. The prices of industrial articles which the producers require remain more or less the same as before. If you are not going to take adequate steps to save the peasantry from ruination, the net result will be shortage of production and scarcity.

Lastly, Sir, what is the condition of the agricultural worker? I find from a report in the Press from West Bengal that the average income of an agricultural worker is 37 paise per day. Really they are underemployed. Some State Governments declared the minimum wages. In Kerala, the minimum wage declared by the Government is less than that of the existing wages which the agricultural workers gained over the years. Sir, I would like to mention one important point. The Aralam farm is a State-owned farm. In that farm, the minimum wages are not being given. I would like to point out that there is no machinery to implement the minimum wages even though that minimum wage is not sufficient for a worker. Therefore, I would request the Government to do the needful to ensure even the minimum wages to the poor agricultural labourers if you have a little bit of kindness towards the agricultural workers. Thank you, Sir.

SHRI NABIN CHANDRA BURAGOHAIN (Assam) : Honourable Vice-Chairman, I stand to congratulate the Agriculture Ministry for raising the position of India from the status of food deficit to food self-reliance. Really, it is a very happy occasion to express my thanks to the Agriculture Ministry. Not only has the Agriculture Ministry managed to raise the production, the present policy of the Government has made us to believe that India can export food in a few years. Really, it is a very heartening thought and idea. The Agriculture Ministry deserves congratulations as it has not only managed to produce more but it has ensured future production of the country by amicable settlement of the long-standing river disputes. My friend has just expressed that this happy event of agricultural production in India is not due to the initiative taken by the Ministry of Agriculture. He wants to say that it is due to monsoon. But I want to lay emphasis on the fact that it is due to emergency, the 20-point programme and the initiative taken by the Ministry of Agriculture. We do not like this kind of passimism. This passimism has done enough harm to the country. So, I request my friend to put a halt to such passimism being spread in the country.

Another serious allegation has been made, Sir, that Congress MPs. are not sincere about land reforms. But I would like to remind my honourable colleagues that during the last fortnight, throughout the length and breadth of the country, the Congress MPs. underook *pada yatras* for bringing abut land reforms. On no occasion did any public man make this allegation. I request my friend to withdraw this serious charge. I throw down my gauntlet as a challenge. He is to prove his allegation. I say that it is totally false and is not based on truth.

I thank the Ministry for its decision to establish an agricultural research complex in the eastern region. My friend Mr. Singh from Manipur said that the system of jhum cultivation has done enough harm in the north-eastern region. I hope this research institute will take initiative to persuade the tribal people to take to stabilised cultivation in place of jhum cultivation. This jhum system of cultivation has not only done enough harm to the forest wealth but it is

[Shri Nabin Chandra Buragohain.] adding momentum to the floods in the valley. This research centre should take the initiative to make a study and put a stop to jhum system of cultivation among the tribal people.

Sir, Assam has shown progress in matters of land reform and procurement of paddy. It has exceeded the target of procurement fixed earlier.

The Brahmaputra has been posing the worst obstacle in the progress of the State in the matter of agricultural production. The floods in the State of Assam are an annual feature. The average annual loss in Assam due to floods from 1952 to 1974 is Rs. 168 crores.

Therefore, the total loss during these years comes to Rs. 3,696 crores. The year 1975 has been a floodless year. Even then, the dwamage came to Rs. 120 crores. In spite of all this havoc caused by the Brahmaputra, the country should regard this mighty river as one of the greatest boons to the country. The vast resources of the Brahmaputra and its large number of tributaries cater to the power needs of the whole eastern region of India. According to Dr. K. L. Rao, Rs. 500 crores are needed to bring about effective control of the Brahmaputra. When you compare this with the damage caused by the floods, which I have already mentioned, you could see that it is worth spending. Dr. K. L. Rao opined that control of the Brahmaputra meant control of its tributatries. I am happy to say that the Central Government is taking effective steps in this direction. The Kopili hydel project was inaugurated by the Prime Minister on the 25th April. This was regarded as a red-letter day in the history of North-Eastern Region in respect of flood control, agricultural production and so on. Apart from producing energy, this project would provide water for irrigation purposes and help in flood control. There is another hydel poject in Arunachal Pradesh known as Kameng project. This should also be expedited. Apart from meeting the energy requirements, this would help in the control of floods in Assam. The control of the Brahmaputra floods is beyond the means of Assam Government. Money is not the only factor. There has to be effective co-ordination between all the States through which the Brahmaputra and its tributaries flow. Therefore, the Central Government should take an active part in this. I would request the Central Government, with all the humility at my command, to take it up as a national duty and take steps accordingly.

Thanks.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi): Mr. Vice-Chairman, Sir, in fact, everything that has to be stated has already been stated and there is not much left for me to mention. However, I would like to mention that some of the Opposition Members have said things which contained much of pathos, but, no substance at all. Sir, nearly 70 per cent of our people are dependent on agriculture and allied sectors for their living. They account for about 47 per cent of the national income. No doubt, the weather gods have helped in the spectacular increase in production. But surely, credit should also be given to the millions of our farmers who have struggled hard for years and years to feed us all. Sometimes, they have even gone without two square meals. Therefore, they deserve our gratitude. Sir, we know that the target of 114 million tonnes of foodgrains in likely to be exceeded. But the situation should not lead us to a sense of complacency. We have to continue our efforts. I would say that we have just won one battle and we have yet to win many more. Our economy is based on agriculture. Obviously, in view of the vagaries of nature and uncertainties of weather, the irrigation facilities and systems should be strengthened. Of the net area under cultivation, only 22 per cent is irrigated. Under the twenty-point programme, another 5 million hectares are to be brought under irrigation. Thus, it could be seen that it is an enormous task and we have to take it seriously.

I will be stressing the obvious in highlighting the importance of declaring flowing water as national wealth. Now, many States will not take this idea very kindly and, therefore, we have to be rather firm in our approach to such problems. Sometimes it is necessary to depend on negotiation and mediation but, failing both, reference to arbitration should be there : this should be our approach and this should be our policy.

Sir, we have also to consider the matter of many rivers, particularly in Bihar and U.P. which cause havoc and devastation during floods year after year. Something must be done about it and we cannot allow them to remain rivers of sorrow and devastation for ever. This is an important matter which should receive the special attention of the Ministry.

Sir, the 20-point economic programme is really changing the face of rural India and a silent transformation is taking place. Land has been allotted to eligible persons and liquidation of rural indebtedness is a welcome step. People who had suffered for endless time are now seeing the rays of hope but still we have to go far and do much more and, therefore, efforts have to be continued. No doubt, in some States the process of consolidation of holdings has been completed but in some States like U.P. this has not been completed. The *patwari* still continues to be the most powerful person in the rural areas and something should be done about it.

By and large, it is felt that minimum support price and procurement price have done a world of good to the farmers, but we have to cut across the unrealistic approach. There must be a definite relevance with the price of inputs and the general price level obtaining in the country while fixing the procurement price.

Sir, another thing to which I would like to draw the special attention of the Minister is the Food Corporation of India which operates as the sole agency of the Central Government for procurement, import, storage, distribution and sale of foodgrains. It also handles fertilisers at the ports. Its operations are enormous but it is necessary to have a close look at its operations and working. It is very necessary to streamline its working so that it adds to its better and improved working. We find that storage in the godowns of the Food Corporation always results in damage to the foodgrains and, therefore, we have to make an assessment as to how much grain the rats eat away during storage in the godowns of the Food Corporation of India. Similarly, the Central Warehousing Corporation which is responsible for providing godowns and warehouses has not added to its reputation and something has to be done improve its working also.

Sir, for the supply of quality seeds, the National Seeds Corporation and the State Farms Corporation are responsible. No doubt, the Seeds Act of 1966 ensures sale of seeds with assured germination and genetic purity, but the dissatisfaction of the farmers regarding seed supply is a well-known fact. I would not go into the details but something must be done about this also.

Sir, the role of the Agro-Industries Corporations is so vital that it does not need any elucidation. Agro-Industries Corporations have been set up in several States. No doubt, these are State sector corporations but, surely the Central Government has financial interest in these corporations. These Agro Corporations which were set up for certain objectives have failed to achieve those objectives and it appears that everything is not all right with them. For instance, the Agro Corporation of U.P. has been in the news for some time in the past. So we have to look into the working of these Corporations and see that they really discharge the function and they really achive the objective for which they were set up.

Sir, there has been long and overdue uncertainty regarding the Government's policy about sugar industry. This situation

[Shri Khurshed Alam Khan.]

is neither good for the industry itself nor for the farmer, nor for the consumer and nor for a large number of workers who are working in the sugar factories. I suppose it is not necessary for the Government to take over only sick mills or sick factories. This has not been a very wise policy and not a good policy in the past. Why should not the Government take over those mills or factories when they are running in profit? Otherwise, this uncertainly will make the factory owners to run them to destruction and what eventually we will inherit will be junk only. Sir, the shortfall in sugar output this year is likely to be of the order of three to four lakh tonnes. No doubt there may be certain other reason but this is one of the reasons that there is uncertainty and the sugar barons are not taking interest in more production of sugar.

Sir, I would like to mention specially that U.P. is the main potato production area. Unfortunately, this has been neglected for a very long time and only one district of U.P., namely Farrukhabad for instance where about 5 lakh farmers are engaged in producing potatoes. They need about hundred wagons for loading potatoes in the season. Besides, there is an immediate need for setting up a potato starch factory in Farrukhabad District because there is a lot of demand by the textile industry for potato starch, and Farrukhabad should be the place where this factory can be set up. A number of suggestions have already been received by the Ministry but we are not told as to what is the decision of the Ministry about it.

Sir, corp insurance has yet to be introduced even on an experimental basis. This is an essential requirement and it is hoped that this will not remain a promised land for a long time.

Sir, forests in India occupy an area of about 746 lakh hectares and account for about 42.7 per cent of the total geographical area. Comparatively this is rather low percentage. We should explore ways and means to increase our forest wealth. Perhaps begasse could be used for paper manufacturing and forests could be saved to a certain extent.

Sir, now nearer home, I find in Delhi that if there is shortage of electricity there are complaints from the Members of Parliament of Assam or other States. If there is shortage of water there are complaints from the Members living in Srinagar or in Trivandrum. If there is shortage of any other thing there is a complaint, but when we ask for more water for drinking purposes, it is denied to us. I would like to mention that we have the Agra Canal in the Delhi Union Territory but not even an inch of Delhi territory is irrigated by this canal. We have hardly about hundred tubewells in the Union Territory of Delhi and there are more than 200 villages in Delhi. That means, about half a tubewell irrigates one Delhi village. Hundreds of acres of land in Delhi have been taken over by the DDA and other agencies and this land is lying vacant for years and years. Why is this land not utilised for producing more grains till it is required for development or for construction purposes? The traditional *'lal dora'* problem in Delhi, you know it better, is a matter which should received special attention as the population of our villages is increasing but they cannot expand because this *'lal dora'* problem is there.

Sir, there is no more land available in Delhi for expansion of urban areas. Therefore, it is high time that we finally demarcate that no urban expansion will take place beyond a certain limit in the Union Territory of Delhi, so that some land is left for agricultural purposes, which is so very essential.

Thank you, Sir.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Karnataka) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I find there is hardly enough time for me to say all that I want to say with regard to the report of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I will confine myself

to making some concrete suggestions with regard to certain things which I have in mind.

Sir, no doubt it is true that the climatic conditions have been quite favourable; and it has helped us to expect a big production in the year 1975-76. Certainly, I am not going to say that the Ministry has not done its work. The Ministry has done a commendable amount of work with regard to the price structure of fertilizers, production of fertilizers, pesticides and in general development of agriculture in the recent past. And also I should personally congratulate Mr. Jagjivan Ram on having settled some of the outstanding disputes on irrigation waters of different States, though I am still unhappy that he has not been able to settle the dispute between my State, Karnataka, and Madras about the Cauvery waters, but let me hope that it will also be settled.

Sir, with regard to the agricultural production, we should not be very complacent about it. No doubt, we expect foodgrain production to 114 million tonnes, or a little more, this time, and we are also procuring 13—15 million tonnes for buffer stocks. But a few years ago, when we reached the production of 108 million tonnes, everybody talked about the green revolution and immediately said that in a couple of years we would be exporting foodgrains. But we know what happened in an arid country like this. After two years of drought, we fell down to a level of 97 million tonnes of food production and we had to resort to large imports. I certainly hope that such a situation will not arise, but we should keep a vigilant eye on this.

Sir, I would now go over to certain concrete matters. With regard to fertilizers, we know that the position has considerably eased and the prices have come down, but I would like to suggest that more attention should be paid to the production of complex fertilizers rather than to apply individual straight fertilizers. I say this because apart from the question of maintaining purity and avoiding the adulteration involved, it will also make it easier for application in time. The complex fertilisers can be applied both in commercial as well as general agriculture. More attention should be paid to production of complex fertilisers like Suphala and others. Then the prices of these complex fertilizers should also be considerably brought down so that the farmers and the commercial crop growers will make use of them rather than resort to straight fertilizers. There are also certain difficulties with regard to the supply of straight fertilizers. When Nitrogen is available, Potash will not be available or Phosphate will not be available. Sometimes it happens because of the paucity of requirement. So only one type of fertilizer, either nitrogenous or phosphatic, should be utilized. It will be conducive to the proper development of the plants. I would commend and urge upon the Minister that more attention should be paid to the production of complex fertilizers. With regard to pesticides, we now find that there are a

5 P.M.

large number of different brands of pesticides starting from folidol and parathon and hexochloride compounds. For a country like ours where a large number of farmers are illiterate, it is better to standardise all these types of pesticides rather than allowing in the market hundreds of different types and patents of pesticides coming from different companies, so that they do not confuse the farmers with regard to their application.

With regard to price fixation, I have to say that in spite of so many years of efforts, the Agricultural Prices Commission has not been able to have any particular gauging of the cost of production. It has been voiced by so many people in this House and in the other House; many agriculturists and people who have some practical knowledge of agriculture have been voicing about this. I would like special attention to be paid to this aspect. Like the Tariff Commission study, we should have some other study of the

[Shei U. K. Lakshmana Gowda]

different areas and should come to a definite figure with regard to the cost of production. Then only will we be able to get over this difficulty of having a discussion about it every year and of voicing about the cost of production. If we have a sliding scale based on the cost of production of several years, each year leaving out the last year and adding on the next year as it has been done in the case of many commercial crops, it would go a long way in helping us get over this difficulty and would assure a fair return to the grower. Here again, if you go through the consumer whole sale price index, you will find that some foodgrains and some of the commercial crops which have an agricultural base have considerably come down in prices within the last few month. But it has not been so—and I join my friends in supporting their plea—in the case of the inputs available to the agriculturists, and a proper study with regard to this aspect has to be made.

With regard to the speedy implementation of the land reforms, I have my own views on that. I feel that a very low ceiling is not conducive to the proper development of agriculture and to production. However, a decision has been taken; certain standards have been maintained. But every now and then, certain State Governments, with the idea that they are not able to get surplus land, are thinking in terms of reducing the ceiling. There should be some limit to this. I heard about one State—I do not know whether it is a fact or not—Because they do not have surplus land, they have been thinking in terms of reducing the standards acre. If that happens, it will only create insecurity in the minds of the farmers and it will not be conducive to the development of the rural areas. Ours is a country where 70 to 80 per cent of the people live on agriculture and produce 114 million tonnes of foodgrains which would be sufficient only to meet our internal demand. Then how is it that countries like the USA with only 6 per cent of the population depending on agriculture have been able to produce foodgrains not only sufficient for themselves but are also able to supply to so many other countries in the world including the Communist countries ? This is one point. And also if we say that we can provide employment opportunities to the people by providing them with one or two acres of land, I do not think that it is a proper policy. My view is that in agricultural areas where there is a surplus population and where the fargmentation of land has already taken place, there should be no further fragmentation there and the surplus population should be siphoned off to some other vacation, rural industries and so on. I was rather amazed to hear the hon. Member from CPI saying that 35 per cent of the land is owned by people who are left with one acre and 45 per cent of the land is owned by people having 10 acres. Are we going to solve the problem by taking something out of those 10 acres from those 45 per cent of people and providing them to the 35 per cent of people and making them 2-acre holders which according to me are substandard or uneconomic holdings ?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : (Kerala) : Why not collective farming ?

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : I will come to that.

So much as been talked about the consolidation of holdings. I have read a chapter about the consolidation of holdings. But in practical effect, what result has come out of it, I cannot say. It is only on paper. My friend has been talking about co-operative farming. Co-operative farming experiments have been done in this country. I do not know, I want to hear from the hon. Minister, Mr. Shinde, to what extent that has been successful. If that is successful, I will be the first person to support it. I do not want to go on philosophising on this matter, I am an agriculturist myself. I was a large landholder and a major portion of my land has been distributed; the tenants have become owners and I hold only the ceiling

acreage of land. I am trying to do my cultivation on that. And even to-day if you talk of rich peasants and large holders' where are they ? After the implementation, successful implementation of the Act, whether it is to-day or tomorrow or two years hence, where will be the large holders ? My point is that everything has to be done for the consolidation of holdings and for providing sufficient impetus not only by way of providing inputs but also by way of organising proper research, extension and development services. It has been done in the case of some of the commercial crops. You carry to them the fruits of research and extension. Let it spread. And you have your own development wing for providing them with inputs and you consolidate the holdings of these one-acre and half-acre people. Let them produce more. Then while distributing the surplus land, another difficulty comes in. Now priorities have been laid down as to how the surplus land is to be distributed. If there is a three-acre uneconomic holding, while distributing surplus land you are not going to give another one acre to him to make it four acres and more economic. You are going to provide it to a person who has no land at all. You give him half an acre of land. The three-acre man continues to be uneconomic and you create another more uneconomic holding by giving half an acre or one acre.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Please try to finish.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : What is the national economic holding ?

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : There is no national economic holding. If you decide on 10 standard acres, then you stick to it. According to me, a landholder must be in a position to go up to 10 standard acres. It is only then that he can provide a decent living for himself, educate his children and make them decent citizens comparable to the people in the urban areas. You calculate the annual income of the class III or class IV urban employee and the annual income of a farmer holding two acres. I would like my friend, Mr. Vice-Chairman, to give me his views with regard to this. He himself knows what an uneconomic holder a two-acre man is. I do not want to go on discussing this.

Sir, I want to say something about the dairy farming I fail to understand what the policy of the Government is with regard to dairy farming, because in many of these ceiling laws, you have not provided anything for them. If a person has to do dairy farming, he is unable to get anything more than your 10 standard acres. He has to be within the ceiling and at the same time, he has to do dairy farming. What is the dairy farming that he can do ? He can have two cows or one cow. Is that dairy farming ? This way you are not going to have even a medium-sized dairy farm. Now in the Urban Land Ceiling Act, my friend, Mr. Raghuramaiah, has said that in the 'urban agglomeration' or 'conglomeration' or whatever it is, "agriculture" does not include dairy farming. If in an area near a city a person has got about 25 cows or 10 or 15 cows and he wants to have a medium-sized dairy farm, he does not get any exemption in respect of land. What is the policy ? And one State Minister, I remember, once said "One man, one cow". Is this the way we are going to solve the problem ? I would like to have some definite policy on that For a small-scale dairy or a medium-scale dairy, some exemptions in respect of land—grazing land and so on—have to be given based on a calculation to be made by the technical persons. Otherwise, it won't help. What will happen is, the country will be replete with uneconomic cows. We find, to our grant and utter disappointment, that it is in the beef-eating countries that you are getting higher per capita milk and not here. I would go to the extent of suggesting that instead of cow protection, we must encourage beef eating so that a good percentage of the uneconomic cows are removed and you get decent cows, well looked after, which can provide more milk per capita. rather than having "go sadans" where nobody looks after the cows, where they become old and die a miserable death.

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

That is not my line of thinking (*Time bell rings*). Sir, I am only making useful suggestions.

I would like to add a word in support of what my Haryana friends have said with regard to their water problems with Punjab. My friend Choudhury Sultan Singh and the Vice-Chairman also mentioned it. I cannot understand why the Government goes on delaying the implementation of Bhakra Management Board and provision of irrigation headworks at Harika and Ferozepur which has been accepted by them. I suggest that this should be given effect to. With three important Choudhuries sitting in the House—Choudhury Ranbir Singh, Choudhury Sultan Singh and Choudhury Bansi Lal—I am sure they will get it done. Still I lend my support to their demand. Let me hope that it will be implemented early.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : I think I will have to call the next speaker.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : These are some of the points I wanted to mention. As a practical agriculturist, I have some more points. Since there is not enough time let me sit down. I congratulate the Ministry for all that they have done and let me hope they will continue to put in their best efforts so that this country will become self-sufficient in food and also increase commercial crops export by which we can earn more foreign exchange for the country.

नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप भी किसान है, इसलिये मैं हिम्मत करता हूं कुछ बाते सफाई से कहने की। इस देश में खेती की व्यवस्था इस ढंग से हो रही है कि उस व्यवस्था का निर्धारण किसान नहीं करता बल्कि वे करते हैं जो गमले में खेती करते हैं। जो खेत में खेती करता है वह व्यवस्था का निर्धारण नहीं करता, जो गमलों में खेती करते हैं वे हमारे देश की खेती की व्यवस्था का निर्धारण कर रहे है। और खेती की अर्थ व्यवस्था वे देखते है जो खेती नही करते बल्कि दिल्ली के स्कूल आफ इकानामिक्स में बैठ करके कागज पर हिसाब लगाते है। जो खेती की पैदावार से हिसाब नही लगाते बल्कि कागज पर हिसाब लगाते है वे खेती की अर्थ व्यवस्था का निर्धारण करते है। श्रीमन्, यही वजह है कि आज देश में किसानो के साथ घोर अन्याय हो रहा है और सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस बात की जाच कीजिये कि क्या बात है कि सरकारी बिक्री केन्द्रो पर 105 रुपये दाम दे रहे है लेकिन किसान अपना गेहू 80 रुपये क्विटल व्यापारियों को बेच रहा है। यह इस बात को साबित करता है कि कितना घोर अन्याय किसानो के साथ हो रहा है। 105 रुपये दाम सरकार ने निर्धारित किया है, कहते हैं कि बिक्री केन्द्रो पर 105 रुपये देंगे और किसान विवश हो रहा है 80 रुपये में व्यापारियों को देने के लिये। इसका कारण यह है कि सरकार के बिक्री केन्द्रों पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसान बैलगाड़ी पर गल्ला लादकर बिक्री केन्द्रों पर ले जाता है और सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद उस केन्द्र का सुपरवाइजर उससे कहता है जाओ, ले जाओ, फिर दस मील वापस ले जाता है, दूसरे दिन ले जाता है और शाम को तोल भी लिया गया तो कीमत लेने के लिये तीन दिन दौड़ता है। मै अपने घर से आ रहा था तो रास्ते मे लोग मिले, उन्होंने बताया कि आज तीसरा दिन है दाम लेने के लिये दौड़ रहे है। तीन-तीन दिन दौड़ना पड़ता है, यह व्यवस्था है बिक्री केन्द्रों की। इसलिये किसान विवश हो रहा है और 105 रुपये की जगह 80 रुपये में व्यापारियों को गल्ला सौप रहा है। श्रीमन, एक तरफ तो यह हाल है और प्रधान मंत्री जी का बयान तीन दिन पहले ही निकला था......

श्री जगजीवन राम: आप किस केन्द्र की बात कह रहे हैं ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मैं गोरखपुर जिले के सुपारीघाट केन्द्र की बात कह रहा हूं।

श्री जगजीवन राम : वहां किस की एजेंसी है खरीदने के लिये ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : जहां तक मुझे मालूम है वहां पी सी एफ की एजेंसी है। एक तरफ हम कह रहे है कि उत्पादन काफी बढ़ गया है और सही बात है कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन साथ साथ हम बफर स्टाक बनाने के नाम पर इतना गल्ला इंपोर्ट करते जा रहे है उसका औचित्य आखिर क्या है और इस संदर्भ मे आप देखें कि इंपोर्टेड गल्ला लोगो को जबरदस्ती दुकानो पर बेचा जा रहा है। दुकानो पर अगर कोई चीनी खरीदने जाता है तो उस को कहा जाता है कि एक किलो चीनी तब मिलेगी जब पांच किलो बजरी ले लो। मैं मंत्री महोदय को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे दिखा सकता हू कि वहा हर दुकान मे चीनी के साथ लोगों को बजरी लेनी पड़ रही है। जबरदस्ती बजरी दी जा रही है और सब जगह यह हो रहा है। तो जब आपकी बजरी को कोई खरीदता नहीं आपकी सड़ी हुई बजरी है और वह आप के गोदामों मे सड़ रही है तो आप उसको क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे है बारह सौ करोड़ रुपये की। पिछले साल 12 सौ करोड़ रुपये का इंपोर्ट किया गया, या एक हजार करोड का होगा, लेकिन उसका औचित्य क्या है। आप अपने देश के किसान को 104 और 105 रुपया देंगे, अमरीका के व्यापारी को 150 रुपये क्विंटल दे रहे है। एक तरफ हम कह रहे है कि कमी है इसलिये इंपोर्ट कर रहे है और दूसरी तरफ इंपोर्ट गल्ला जबरदस्ती बेचा जा रहा है। कहां संगति है इन चीजों की और यह कौन सी व्यवस्था है। मैं अपनी बात सूत्रवत ही कहना चाहता हू क्योंकि समय नहीं है और आप भी सख्ती करेंगे। आप देखें कि किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। गल्ले के दाम साल भर मे 180 रुपये से 105 किये गये। ठीक है, मै उसका समर्थन करता हूं, लेकिन ट्रैक्टरों के दाम जो आज से दो, तीन साल पहले 26 हजार थे, वह इतने बढ़ गये हैं कि ट्रैक्टर आज 56 हजार रुपये का बिक रहा है। और उसके जो पार्ट्स है वह कहीं मिलते नहीं और मिलते है तो बहुत ज्यादा दाम पर। कहा जाता है कि विदेशों मे उनके दाम बढ़ गये इस लिये यहां भी दाम बढ़ गये। विदेशों में दाम बहुत कम बढे। इसकी एजेंसी दी गयी है एच एम टी को और वह किसानो को ज्यादा लूट कर अपना ज्यादा मुनाफा दिखाना चाहता है। आंकड़े मेरे पास है, जो मै उनसे साबित करूंगा कि एच एम टी किसानो को लूट रहा है। अभी अखबारों में आया एक हफ्ते पहले कि सीलिंग लॉ से बचने के लिए लोग बेनामी इन्दराज कराते है। और उसके लिये सरकार कुछ सोच रही है। जो समने मे खेती करने वाले सरकार के सलाहकार है वह यह राय दे रहे है कि किसानो को बेनामी का राइट दे दो। बेनामी का राइट तो है ही। जो जरा भी कानून जानता होगा उसको मालूम होगा कि बेनामी का टाइटिल तो है ही। खेती कर रहा है राम, लेकिन खेत पर नाम दर्ज है राम और श्याम दोनों का। नाम तो श्याम का भी दर्ज है और रेवेन्यू रेकार्ड्स मे उसका टाइटिल है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इस पर विचार होना चाहिए कि जो श्याम का नाम भी दर्ज है, कुत्ते और पिल्ले का बिल्ली का नाम भी दर्ज है उसका कैसे करेक्शन किया जाय। बेनामी का टाइटिल देने से काम नहीं चलेगा। पहले नाम का करेक्शन होना चाहिए। इसलिए सरकार जो सोच रही है वह गलत बात है। इससे कोई लाभ न किसान को होगा और न ही सरकार को होगा। लेंडलेस को लेंड दी जा रही है। लेंड कितनी दी जा रही है। 1 एकड़ दी जा रही है। खेती जो करेगा उसको दो सौ रुपया दिया जा रहा है। सरकारी बैंक दो सौ रुपये दे रहे है। दो सौ रुपये में बकरी भी नहीं मिलती, बैल कहा से मिलता है? खेती को कैसे वह करेगा? एक एकड़ के ऊपर कम से कम अगर आप 3 हजार 4 हजार रुपया दे तो किसान खेती कर सकता है। दो हजार रुपया भी कहीं नहीं मिल रहा है, कैसे खेती करेगा? आप गरीबों की गरीबी के साथ मखौल

[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]
कर रहे हैं। लेडलैंस को मदद कर रहे है क्या आप इस तरह से ?

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : अभी बहुत सदस्य बोलने वाले है। आप समाप्त कीजिए।

श्री नागेश्वर प्रशाद शाही : आप बैंकों को यह हिदायत करें कि वे ईमानदारी से लोगों की सहायता करें। रूरल बैंक खुले किसानों की सहायता के लिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : अब समय हो गया।

श्री नागेश्वर प्रशाद शाही : किसानों की सहायता के लिए रूरल बैंक खोला गोरखपुर में और 10 महीने हो गये बैंक खुले हुए। इन 10 महीनों में टोटल एडवांस जो किसानों को उसने किया वह 80 हजार रुपया किया और डिपाजिट 10 लाख रुपये लिया। रूरल बैंक गया है किसानों की मदद के लिए, उनको इन-पुट्स देने के लिए, उनको एडवांस देने के लिए या उनके घर का पैसा बटोरने के लिए ?

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : जरा कल्पनाथ जी को भी समय दीजिए।

श्री नागेशवर प्रशाद शाही : गोरखपुर में चीनी मिलें है, शाहनवाज खान जोरों से कहते है किसानों का सब रुपया दिलवायेंगे। किसानों का करोड़ों रुपया छितौनी चीनी मिल के ऊपर है। किसानों का गन्ने का दाम बाकी है और सरकार विवश है। 1 करोड़ रुपया अभी बाकी है।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री रणवीर सिंह) : अब कल्पनाथ जी के लिए छोड़ दीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं प्रान्तीयता की बात नहीं करता। लेकिन अब आलू खरीदने की बात आई तो पर-चेजिंग सेंटर खुले पंजाब में। फर्रुखाबाद में कोई खरीदने के लिए नहीं गया।

आखिरी बात मै कह देना चाहता हूं कि किसानों के लिए वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बने। उसमें जो दो डाइरेक्टरों का चुनाव होता है उसकी विधि यह है कि अगर आपके 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख रुपये के शेयर हैं तो आपके 1 लाख वोट है। अगर मालवीय जी के 5 शेयर है तो उनके 5 ही वोट है। आज के प्रजातंत्रीय युग में, रुपये पर शेयर निर्धारित हो, रुपये पर वोट निर्धारित हो इससे बड़ी अप्रजातांत्रिक और असामाजिक बात क्या हो सकती है। इसलिए शिन्दे साहब उधर भी ध्यान दे और वेयर हाउसिंग करपोरेशन की विधि को बदले जो समाजवादी व्यवस्था के विपरीत है।

धन्यवाद।

श्री कल्प नाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय पर हो रही चर्चा पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम कृषि मंत्री जी को बधाई दूंगा जिनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान के कृषि विभाग ने एक जबरदस्त तरक्की की है और सारे देश मे लोगों ने एक राहत की सांस ली है। सारे मुल्क में जो एक कमी का वातावरण था वह दूर हुआ है। जिस समय बाबू जी ने इस विभाग को संभाला उस समय देश में वातावरण था कमी का, घुटन का। पूरे देश में हर तरह से एक निराशा का वातावरण छाया हुआ था। लेकिन बाबू जी ने जब इस मंत्रालय को संभाला तो कुछ भगवान की कृपा और कुछ बाबू जी का कुशल नेतृत्व, दोनो ने मिल कर हिन्दुस्तान में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जिससे लोग यह महसूस करने लगे कि अब कमी का युग खत्म हो गया। अब एक ऐसा युग आ गया जब सभी लोगों को सभी खाने की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से खाद्य नीति पर ठीक ढंग से विचार नही हुआ। आज जब कि हमने 114 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है जब भी एक हजार करोड़ रुपये का अनाज विदेशों से हमें खरीदना पड़ेगा। हम किसानों को

105 रुपये क्विंटल के हिसाब से दाम देंगे और विदेशों से 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। मैं नहीं समझता कि सरकार का क्या दृष्टिकोण है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जब बजट पेश किया गया था तो सारे देश के अंदर इस बजट का स्वागत किया गया। रेफरीजिरेटर के दाम कम कर दिये गये, टेलीविजन के दाम कम कर दिये गये लेकिन खेती में प्रयोग होने वाली बिजली के दाम या ट्रैक्टर के दाम कम नहीं किये गये। सरकार का दृष्टिकोण क्या है मैं नहीं समझ पाया। मैं जहां तक समझ पाया सरकार का दृष्टिकोण है टेलीविजन के दाम कम करो और ट्रैक्टर के दाम बढ़ाओ। सरकार का एटीट्यूट क्या है खेती के मामले में यह इस बजट से साफ जाहिर होता है। सरकार का एटीट्यूट है कि मुट्ठीभर शहरों में रहने वाले लोगों की सुख सुविधाओं को बढ़ाओ, शहर में रहने वाले रेडियो, टेलिविजन का इस्तेमाल करने वाले धनी क्लास, मुट्ठीभर लोगों को खुश करो और हिन्दुस्तान के 90 परसेंट गांवों में रहने वाले किसानों की जिन्दगी को तबाह करो।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकारी कारखानों में बनने वाली चीजें सोने के दाम क्यों बिक रही हैं। खेती में प्रयोग में आने वाली फर्टीलाइजर पहले 50 रुपये बोरा मिलती थी लेकिन अकस्मात् उसके दाम बढ़ कर 105 रुपये हो गये। जब घटाने का प्रश्न आया और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टीलाइजर की कीमत डेढ़ गुणा कम हो गई जब हिन्दुस्तान की सरकार ने 5 रुपये बोरा खाद में कमी करने का एलान किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बढ़ाने की बात आई तो आपने 50 रुपये बोरा से 105 रुपये बोरा एक ही रोज में बढ़ा दिये और घटाने के नाम पर आपने केवल 5 रुपये बोरा ही घटाये, ऐसा क्यों?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बाबू जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में खेती के विकास के लिये न कोई नीति है और न ही पशुपालन के उद्योग को बढ़ाने की नीति है और न मछलीपालन की कोई नीति है, न वृक्षारोपण की कोई नीति है। खेती से संबन्धित जो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे कोटन टैक्सटाइल का मामला हो, जूट का मामला हो, चाहे शुगर का मामला हो, इन के संबन्ध में कोई नीति नहीं है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बम्बई के अधिवेशन में आपकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के सामने शपथ ली थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। देश की जनता के सामने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का वचन दिया था। आपने हल्फनामा उठाया था कि अगर सत्तारूढ़ कांग्रेस को इस देश की जनता वोट देगी तो हम चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। लेकिन आज तक आपने उस वचन को पूरा नहीं किया। सरकार के घोषणा पत्र के मायने क्या होते हैं? जनता की अदालत में, पीपुल्स कोर्ट में कांग्रेस ने जो एफीडेविट दिया था उसे पूरा क्यों नहीं किया गया।

गरीबी हटाओ का नारा हमने दिया। देश में वे ही गरीब हैं जो गांवों में रहते हैं। गरीब, गांव और खेती एक दूसरे के पूरक हो गये हैं। गांव में रहने वाले लोग गरीब हैं और गरीब जो हैं वे खेती का काम करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि देश में 70 परसेंट लोगों को गल्ला खरीदना पड़ता है। यह तर्क गलत है। यह तर्क गलत है। हिन्दुस्तान में इस समय जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत 90-95 फीसदी लोग खेती करते हैं। यह बात जरूर है कि हमारे देश में कुछ ऐसे किसान हैं जो केवल तीन महीने का गल्ला पैदा करते हैं, कुछ ऐसे किसान है जो अपने पेट के लिए सिर्फ दो महीने का गल्ला पैदा करते हैं, कुछ ऐसे किसान है जो छः महीने का गल्ला पैदा करते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो 9 महीने का गल्ला पैदा करते हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो साल भर का गल्ला पैदा करते हैं और केवल 5 परसेंट किसान हमारे देश में ऐसे हैं जो अपने खाने के

[श्री कल्प नाथ राय]

अलावा गल्ला पैदा करते हैं और जो सरकार को अनाज देते हैं और खुले बाजार के अन्दर अनाज भेजते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक हिन्दुस्तान में खेती को इंडस्ट्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, खेती को एक उद्योग नहीं माना जाएगा तब तक इस देश में खेती का विकास नहीं हो सकता है। सरकार ने खेती में पैदा होने वाली चीजों की मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उत्तर प्रदेश का गेहूं बिहार में नहीं जा सकता है और न ही बिहार का चावल उत्तर प्रदेश में आ सकता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का अनाज केरल में नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं कि इन प्रतिबन्धों के कारण सम्पूर्ण देश में भ्रष्टाचार, तस्करी और ब्लैकमार्किटिंग को प्रोत्साहन मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती में जो चीजें पैदा होती हैं उनके दाम आमतौर पर गिर जाते हैं। तपेदिक की एक सूई दो आने में बनती है, लेकिन बाजार में वह 2 रु० में बेची जाती है। किसान अपने खेत में आलू पैदा करता है लेकिन उसके उचित दाम उसको नहीं मिलते है। कोई भी चीज जो खेत में पैदा होती है उसके किसान को उचित मूल्य नहीं मिलते है। इसके विपरीत मोनोपोली हाउसेज के हाथ में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वे सोने के भाव पर अपनी चीजे बेचा करते है। उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली 15 रु० होर्स पावर के हिसाब से मिलती थी। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 90 परसेंट किसान ऐसे है जिनके पास दो एकड़ तीन एकड़ या चार-पांच एकड़ जमीन होती है। बहुत ही कम किसान ऐसे होंगे जिनके पास 18 एकड़ जमीन होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के किसान 50 हजार रुपयों का ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं। 18 एकड़ जिस किसान के पास जमीन है वह 15 होर्स पावर के केवल पांच ट्यूबवैल लगा सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के किसान फावड़ा, कुदाल और लोहे की बनी हुई चीजे भी अच्छी प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकता है और न ही इनको खरीद सकता है। वह केवल बैलों की जोड़ी खरीदकर अपनी खेती कर सकता है। मैं यह भी समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कृषि के संबन्ध में सरकार ने अभी तक कोई खास नीति अख्तियार नहीं की है। हमारे देश में स्थिति यह है कि जो सबसे ज्यादा खेती जोतता है वह सबसे कम लगान देता है। हिन्दुस्तान में जो सबसे ज्यादा खेत जोते वह सबसे कम लगान दे और जो सबसे कम खेत जोते वह सबसे ज्यादा लगान दे, यह किस प्रकार की नीति है? कहने का मतलब यह है कि जमीन के मामले में सरकार की कोई नीति नहीं है। जो पुराने जमींदार हैं वे अभी भी पुरानी रीति के मुताबिक ही लगान देते हैं। जो नये कास्तकार हैं वे 50 रु०, 40 रु० या 30 रु० लगान देते हैं। और फिर आपका जो नया विकास टैक्स लग गया उसमें 2 एकड़ खेत जोतने वाला अगर 100 रु० लगान देगा तो उसको 250 रु० विकास टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में एक लैण्ड कमीशन बनाया जाए जो पूरे देश के पैमाने पर सारी जमीन के संबन्ध में एक नीति बनाए जिस नीति के तहत यह देश चले। (*Time bell rings.*)

दूसरी बात मुझे कहनी है उपसभाध्यक्ष महोदय कि खेती को, अग्रिकलचर को, एक राष्ट्रीय विषय माना जाए, इलेक्ट्रिसिटी को राष्ट्रीय विषय माना जाए और पानी जिसके माध्यम से खेती होती है उसको राष्ट्रीय विषय माना जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : अब आपको बैठ जाना चाहिए।

श्री कल्प नाथ राय . आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ज़रा सिंचाई के विषय को लेना चाहता हूं। इस देश की हर इंच खेती योग्य जमीन पर जब तक सिंचाई की व्यवस्था न हो सके तब तक किसान से एक पैसा टैक्स का नहीं लेना चाहिए। किसानों को मुफ्त पानी दिया जाना चाहिए। हमारे देश में 32 करोड़ एकड़ जमीन है जिस पर खेती-वाड़ी होती है, उसमें से केवल 8 करोड़ एकड़ पर सिचाई की व्यवस्था है, 24 करोड़ एकड़ जमीन पर सिचाई की व्यवस्था आज तक नहीं हो

पायी है। जब तक इस देश की सरकार एक-एक इंच खेती की भूमि पर सिचाई की व्यवस्था नही करती तब तक एक पैसा टैक्स नहीं होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रणबीर सिंह) : अब बैठ जाइए। मैं श्री शामनाड को बुला रहा हूं। श्री शामनाड।

श्री कल्प नाथ राय : और श्री के० एल० राव की बात मैं मानता हूं कि गंगा का पानी कावेरी तक और जमुना का पानी दक्षिण भारत तक पहुचे और जल को एक राष्ट्रीय विषय मान कर चला जाए। देश की सूखी धरती को सींचने के लिए देश के कोने कोने में पानी पहुंचाया जाए, तभी हम देश मे एक नयी कृषि नीति बना सकते है।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : Mr. Vice-Chairman, Sir, it is true that the Agriculture Ministry being headed by an experienced Minister like Shri Jagjivan Ram, one of the senior-most members of the Cabinet, and also experienced and learned members like Mr. Shinde and Irrigation being headed by Shri Shah Nawaz Khan Sahib and others, they are doing their level best to improve the agricultural sector. But, at the same time, Sir, I must definitely say that they have not yet succeeded to bring the agricultural sector to the level of the industrial sector. Even today, the industrial sector stands in a better position and the agricultural sector does not get the same place. The honourable Finance Minister in his Budget speech said that the gap between the credit facilities that are available and the credit that is needed today, is very wide. He said that it is not possible to give that much of financial aid to the farmers because the need is so much and the gap between the need and the availability is so wide that it cannot be narrowed down. I would appeal to the Government and Shri Jagjivan Ram, who is the senior-most member of the Cabinet, to find out resources and find out finances to help the farmers and see that credit facilities are provided to the needy farmers in the country. That is most important. There is no question of saying here and there : "We have started rural banks ; we have provided these facilities; the interest rate has been reduced in the nationalised banks." If you see the statistics about the percentage of farmers who get these credit facilities, you would find that not even one per cent of the farmers are able to get the credit facilities. Even the one per cent of the farmers who get these facilities belong to the higher level, those who are having ten acres of land, or planters like rubber planters, coffee planters. They are able to get money. But what I am referring to is the real farmer of the land, who goes to his farm early morning with his two bullocks. He does not have any mechanism. He gets up early morning at 5 A.M. and straightway goes to the farm with his two bullocks. Even these bullocks sometimes are hired bullocks. There are thousands of farmers in the country today who do not own bullocks. Even they have to hire bullocks from their neighbours. And I know of many people whose business is to lend bullocks, and they charge Rs. 8/- or Rs. 10/- per day for the bullocks. You have to see that no farmer in the country could say that he does not have bullocks of his own. That is a shame to the country. I do not say you give them bulldozers; I do not say you give them all mechanism; but; at the same time, this is the primary necessity of a farmer that should be provided.

Sir, I was pleading even previously that there should be an insurance scheme for the farmers as they tried in Japan. He should be saved from the risk of floods and pests. When the crop is destroyed by pest, the farmer should be compensated. An insurance scheme should be formulated. I have been pleading this for a long time.

In regard to cattle wealth, what is the position today ? Is it not in a poor shape ? What is the policy you have to improve the cattle wealth of this country ? Land has not been provided to breed the cattle. The dairy farms are in a poor shape. If you go to the South, in Kerala and other places, you would see that in many villages, the cows are like TB patients. When the farmer is not able to meet the requirements of his own family, how can you expect him to give food to his

[Shri Hamid Ali Schamnad]
cattle, to his cow. This is the position. Therefore, I would appeal to the Government that a policy should be formulated to improve the cattle wealth, the dairy farms and poultryfarming. This would enable the farmers to substitute their income.

There should be a national scheme for irrigation. The States are now free to formulate their own schemes for major and minor irrigation. I would appeal to the Government to have a national scheme for irrigation. The farmers should also be saved from drought and floods. We must have a national policy for this also.

Much has been said in regard to land reforms. I do not want to say anything on this point. Many States, particularly Kerala, are making progress in this matter. But in the Northern States, I am told people have thousands of acres of land. The coffee and rubber plantations have been exempted from the provisions of the ceiling laws. A person can have thousands of acres under sugarcane, coffee or rubber. But he cannot have coconut and arecanut plantations. This disparity should be removed. I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the demand of Kerala and other Southern States to constitute a Coconut Board. The Kerala Government have sent many representations to the Government of India. This is one of the matters pending with the Government of India. This proposal is now under the consideration of the Government of India. In the Coconut Development Council meeting held recently in New Delhi, it was agreed that the proposal would be favourably considered by the Government of India. This matter may kindly be considered. The Southern States, particularly Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, and even Bengal and Assam grow coconuts. Another matter is the rejuvenation of unhealthy coconut plantations. Based on the directions of Shri B. Sivaraman, Member, Planning Commission, the State Government have drawn up a scheme for the replanting of disease-affected and unproductive coconut palms in consultation with the CPCRI and submitted it to the Government of India *vide* their letter dated 23-12-1975. The object of the scheme is to replant the disease-affected palms covering 44,800 hectares during the remaining period of the Fifth Plan. The total cost of the scheme is Rs. 117 lakhs. This is also another matter pending with the Government of India. Another matter which is also pending with the Government of India is in regard to the Centrally sponsored scheme for raising cashew in the private sector. For that also the Government of Kerala has sent a proposal to the Government of India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Please try to wind up.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : I am just referring to an important matter, Sir. These are matters pending with the Government of India. Kerala happens to be in a corner and we do not have a lobby. Had it been Punjab, they would have immediately cleared them.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE : Why not Haryana ?

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : There you are one irrespective of political parties. These are matters pending with the Government of India and I would appeal to clear these so that we also may come up like Punjab and Haryana. The Centrally sponsored scheme for establishing a seed garden for cocoa is also pending with you. Kindly dispose of all these matters.

Then there is the question of establishment of new Farmers' Training Centres. Sir, as per Government of India's letter F. No. 8(4)/73/F.T. dated 17-8-1973 it was intimated that one more Farmers' Training Centre will be allocated for Kerala during the Fifth Plan period. It was also requested to point out the district in which it has to be located. Accordingly, the State Government proposed on 8-11-1973 that the new Centre be located in Quilon district.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Please wind up.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : So, that should kindly be allocated and necessary directions may be given.

A scheme for the development of quality control of inputs and establishment of two Fertiliser Quality Control Laboratories was forwarded to the Government of India. This is another matter pending with the Government of India. I appeal to the Government of India to see that Kerala farmers are also brought on par with those of Punjab and Haryana.

With these words, Sir, I conclude. Thank you.

SHRI BHAIRAB CHANDRA MAHANTI (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, agriculture cannot prosper without water, in other words, irrigation and irrigation, if it is for any purpose then it is for the purposes of agriculture. In other words, one is not complete without the other.

It is true that this year there has been a bumper crop, thanks to very favourable weather but, along with it, we have to congratulate the Agriculture and Irrigation Ministry also because it is due to the coordinated activities of the two wings of this Ministry that this bumper crop has been possible, though the major share of the credit is to go to the cultivators.

It is a fact that there has been a production of 114 or 116 million tonnes of foodgrains this year. We have reasons to be complacent over it as this amount of foodgrains is sufficient for the population as it stands today in our country. The planner's job is to think about and look to the needs of today as also the needs of the future—5, 10, 15, 20, 25 years hence. When you take that matter into *consideration*, what is the populaion of this country going to be in another 25 years ? According to a note prepared by Dr. K. L. Rao, the population of this country was of the order of 150 millions at the beginning of this century and it is going to be 900 millions by the end of the century. This size of population would require at least 200 million tonnes of foodgrains. This has to be produced in this country which had a production of 55 million tonnes of foodgrains at the middle of the century and which is now producing 105 million tonnes of foodgrains.

Now, the present irrigation of the country depends mostly on the major, medium and minor irrigation projects. They are good in themselves. Some of them are multi-purpose river projects which serve the purpose of irrigation of lakhs and lakhs acres of land, serve the purpose of generating electricity, as also solve the problem of floods. But, Sir, the bigger the projects the longer the gestation period. Take, for instance, the Hirakud project or for that matter wherever such other projects have come up, they have taken years and years to be completed. A talk is there and I also agree with it that water should be considered as national wealth and also there should be a national grid of water power in the country, of linking rivers, one with the other. As has rightly been said by the Agriculture Minister, certain data have to be collected, projects reports have to be prepared and then the projects have to be gone through. That will take a very long time. And by the time these things materialised I am sure it will have taken another 15 years and by that time the population of the country will have reached if not 900 millions, at least 700 to 750 millions. Taking that position into consideration, is this 114 million or 116 million tonnes of foodgrains enough ? So, what I would plead for is that let these major, medium and minor irrigation works continue but along with it we have to take into consideration another factor which I am afraid has not been touched by any Member. At least I have not heard it, and that is this. Nature has been bounteous to mankind. It has been bountiful in the matter of supply of water too. Mother earth has enough water in her bowl. May I plead with the Agriculture Minister that along with these major, medium and minor

[Shri Bhairab Chandra Mahanti]

irrigation projects, to take into consideration to have lakhs and lakhs of dugwells throughout the country ? I am sure that will solve our problem much quicker and more economically too. I do not know if Members are aware of this piece of news. It was there in the Statesman sometime back. It says :

> "What Ghana Sahu, owner of 1.5 acres of land in Ranganipatna, Puri district, has done could be had by every farmer in Orissa if, like him, they cpt for dugwells in their fields, for which credit is easily available from commercial banks and cooperatives."

It has said that out of only 1.5 acres of land, through the water that he gets from dugwells, he is getting an income of Rs. 1000 every month. This is one of the reasons why the farmers of Tamil Nadu are much better off than many in other parts of the country. There are about 1.1 million dugwells in Tamil Nadu. . . *(Time bell rings)*. Though there are many other things to be told, because of shortage of time, I would touch only one or two points in regard to major, medium and minor irrigation projects.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : Leave those points for future discussion.

SHRI BHAIRAB CHANDRA MAHANTI : There should be a time limit fixed for completion of these projects. Officers responsible should be made accountable for the projects being completed in time. I say this because under the Hirakud project, in the Mahanadi Delta project, the original estimate was Rs. 14 crores, but today it stands at Rs. 60 crores. The original estimate of land to be cultivated was 10 lakh acres, but when it is nearing completion, it is not touching even 5 lakh mark. I would bring this to the notice of the hon'ble Minister because these delays could be avoided and projects could be finished quicker. Otherwise, the expenditure increases every year.

श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी (गुजरात) : अब शाम हो चुकी है और सारा इस सदन का धीरज भी खत्म हो चुका है, इस पर भी आपने मुझे मौका दिया है। मैं जल्दी से दो-चार पाइंट आपके सामने रखना चाहती हूं।

श्रीमन्, इस साल हमने 115 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है और ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ। कई विरोधी पक्ष के लोगों ने कहा कि बारिश बहुत अच्छी हुई। तो 115 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। मैं मानती हूं कि बारिश अच्छी हुई। पिछले साल भी अच्छी होती रही, लेकिन इस साल बारिश भी अच्छी होने के अतिरिक्त हमारे खाद्य मंत्री की कुशलता और हमारे किसान भाइयों की हिम्मत, ये दोनो चीजें जब मिली तो पहली बार हिन्दुस्तान में 115 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। इसके लिए हम सब को बहुत बड़ा गर्व है। सन्तोष भी है। बहुत मुश्किल से हम कठिनाइयों से निकलते हुए इस रास्ते पर आये है और यह स्वावलम्बन हमको टिकाये रखना है। अगर स्वावलम्बन हमारे खाद्यान्न के अन्दर नही रहा तो यह आन्तरिक प्रशन नही रहा। है क्योंकि खाद्यान्न आज तक तो हर एक मुल्क का अपना खुद का प्रश्न रहता था, लेकिन इधर कुछ सालो से वह एक अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति का बहुत बड़ा पहलू बन गया है। पहले लोग अस्त्र-शस्त्र रखते थे, कुछ संधिया, कुछ अलायेंस करते थे, उसको जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होता था, मगर दो चार सालो से हम जानते है कि अनाज एक गवर्नमेंट से लेना और उसको लेकर अपने मित्र राष्ट्रों को देना यह अंतर्राष्ट्रीय नीति का एक पहलू बन गया है। अगर हम इस पेचीदा मामले में नही जाना चाहते है, हमारे सामने अनुभव है रशिया का कि किस तरह से अमरीका से अनाज लेकर अपने मित्र देशो को उसने दिया, हमें भी उसका फायदा हुआ। मगर बार-बार इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मै आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस स्वावलम्बन को टिकाये रखने में हमारे किसानों को मदद करनी चाहिए। जो किसान इतना कुशल है कि उसने हिम्मत करके हमारी मदद की तो उसको भी सहारा देना यह सरकार की नीति भी है और होनी भी चाहिए।

यह तो केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अपने देश में कृषि का महत्व और ज्यादा है क्योंकि अपने देश में आज जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है उसका 50 प्रतिशत माल कृषि उत्पादन से आता है, और किसी देश में ग्रास नेशनल प्रोडक्ट का 50 प्रतिशत कृषि से नही आता है। उपर से हमारे देश की 75 प्रतिशत जो आबादी है वह कृषि से सम्बन्धित है और वह कृषि के साथ संलग्न होकर अपना जीवन निर्वाह करती है। उसी हालत में हमारे 6 P.M. लिये कृषि ही एक महत्व का प्रश्न हो गया है जो उद्योग चलते है उनमें चाहे टेक्सटाइल को लें उसके लिये कपास है, जूट की इंडस्ट्री है तो उसके लिये जूट है, चीनी मिलें हैं तो उसके लिये चीनी है, आयल मिलें है, तेल के कारखाने है तो उसके लिये मूंगफली हैं। ये सारे उद्योग हमारी कृषि पर आधारित हैं। जो हमारी कृषि की आर्थिक व्यवस्था है उस पर हमारे सारे देश की आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है इसलिये यह जरूरी है कि इस स्वावलंबन को बनाए रखें।

मेरा एक सुझाव है कि एग्रीकल्चर को आज तक हमने राज्य की सूची के अंदर, स्टेट लिस्ट का विषय बनाए रखा। जब तक यह स्टेट लिस्ट में बना रहता है तब तक राज्य रस लेते हैं, उनमें कुछ सुस्ती आ जाती है, कुछ व्यक्तिगत विचार आ जाते हैं। पूरे देश का विचार वे नहीं करते। मैं यह सोचती हूं कि इस मौके पर जब कि हमारे पास हिम्मत है, हमारे पास स्वावलम्बन है तो हमें इसे कोन्करैन्ट लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिये ताकि उसका नियोजन केन्द्र सरकार कर सके। मैं समझती हूं तभी यह काम सफलतापूर्वक चल सकता है।

दूसरा प्रश्न जो मेरे समक्ष आता है वह यह कि हमारे देश में साढ़े 14 एकड़ हैक्टर के करीब कृषि भूमि है। उसमें से सवा तीन करोड़ हैक्टर पर सिचाई होती है। जब तक हम पूरी भूमि पर सिचाई नही करते तब तक हम स्वावलम्बी नही हो पाएंगे। जब तक हम स्वावलम्बी नही हो पाएगे तब तक किसान की मदद नही कर सकेंगे। पुराने जमाने की एक छोटी-सी कहानी मेरे ख्याल में आती है। महाभारत में राजा युधिष्ठर राज्य करता था। उन्होंने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आपके राज्य में खेती वर्षा पर निर्भर है या नही। तो उन्होंने कहा कि यहां की खेती वर्षा पर ही निर्भर है। तब नारद मुनि ने कहा कि अगर आपके राज्य की खेती वर्षा पर निर्भर है तो आपको राजसूय यज्ञ करने का कोई अधिकार नही है। आज से पांच हजार साल पहले यह स्पष्टीकरण था कि अगर किसी को स्वतंत्र रहना है, अपना स्वावलंबन बनाए रखना है तो उसको वर्षा पर निर्भर नही रहना होगा। आज हमें कम-से-कम पांच हजार साल पहले की चीज को देख कर आगे बढ़ना चाहिये। इस पांचवी पंच वर्षीय योजना में हमें कम से कम 50 परसैन्ट भूमि को जरूर शामिल कर लेना चाहिये। 14 में से 7 एकड़ हैक्टर कोई ज्यादा नही होती है। जब तक हम इस चीज को खीच करके 7 या 10 तक नही ले जाएंगे तब तक हम अपने स्वावलंबन को संभाल नही पाएंगे। हमारे देश की एक-एक बूंद पानी की बरबाद नही होनी चाहिये। उसको बचाना बहुत जरूरी है। सिचाई जो आज राज्य सूची में है उसको केन्द्र सरकार के हाथ में, कोन्कैन्ट लिस्ट मे आना बहुत आवश्यक है। जब तक यह चीज कोन्करैन्ट लिस्ट में नही आएगी तब तक हमें सफलता नही मिलेगी।

मैं मंत्री महोदय का अभिवादन करना चाहती हूं और उनको अभिनन्दन देना चाहती हू कि उनकी कार्यकुशलता से उनके जमाने में, जो नदी योजनाओं की कठिन समस्याएं थी वह सुलझनी रही और सुलझती जाएंगी। हमारे यहां अभी भी कई ऐसी नदी योजनाएं हैं जिनकी व्यवस्था पूरे तौर से नही हो रही है, उनमें से नर्मदा का मै आपके सामने उदाहरण दे रही हूं, इसका 28 मिलियन क्युबिक फीट पानी समुद्र को चला जाता है। 20 साल से नर्मदा का प्रश्न सुलझा नहीं है। उसमें से कुछ अंश सुलझ गया है। उसका आधा हिस्सा पेचीदा है। उसके अंदर मध्य प्रदेश की भूमि डूबने वाली है। क्योंकि गुजरात भी ऐसी स्थिति में है इसलिये गुजरात की सरकार ने कई बार यह वचन दिया है कि जिन-जिन आदमियों की जमीन डूब जाएगी उनको नौकरी दी जाएगी, उनको मकान दिया जाएगा, उनको हर तरह की सुविधा दी जाएगी। उनको कपनसेशन दिया जाएगा। यह एक प्रश्न है जिसको सुलझाने का प्रयास बाबू जी जरूर करे। मुझे इसको नजर मे रखते हुए लगता है कि अब समय आ गया है जब कि हम को इन का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। जहां-जहा अन्तरप्रान्तीय नदिया है और जिन पर विवाद चल रहा है वह सब

[श्रीमती सुमित्रा जी० कुलकर्णी]

जड़ काटने का तरीका है। इसलिये हमें उनका राष्ट्रीकरण करना चाहिये। हमने पिछले 6-7 महीनों में 30-35 अध्यादेश जारी किये है अगर अब इस संबंध में भी एक अध्यादेश जारी कर दें और नदियों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपना लेंगे तो इससे बहुत फायदे होंगे। इस प्रकार की नीति अपना लिये जाने के बाद न तो मध्य प्रदेश का सवाल रहेगा, न गुजरात का सवाल रहेगा और न ही राजस्थान या कर्नाटक का प्रश्न रहेगा। नदियों से जो पानी मिलेगा उसको हम सूखी भूमि को उपजाऊ बनाने में इस्तेमाल कर सकेंगे।

आखिर में मैं एक दो बाते और कहना चाहती हू। यहां पर हर साल बार बार सूखाग्रस्त इलाकों की बात कही जाती है। इस संबंध में मैं खास तौर पर गुजरात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। आप जानते हैं कि गुजरात के अन्दर कच्छ, काठियावाड़ और सौराष्ट्र के अन्दर सूखा पड़ा था। जब किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो उसके संबंध में योजना बनाई जाती है और उस पर विचार किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की स्कीमों पर जो रुपया व्यय किया जाता है वह आधे से भी अधिक व्यर्थ चला जाता है। ऐसी स्थिति में मेरा यह अनुरोध है कि जब हमारे देश मे अकाल नहीं पड़ता है तो उस समय अकाल की रोकथाम के संबंध में व्यवस्था करने पर विचार किया जाना चाहिए और कोई स्थायी योजना बनाई जानी चाहिए। अगर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अकाल के संबंध मे पहले से कोई व्यवस्था करेंगे तो इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं समझती हूं कि इस चीज की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय तो मैंने गुजरात की बात कही है, लेकिन सारे देश में इस प्रकार के 8-10 हिस्से हैं जहां पर अक्सर अकाल पडा करता है।

दूसरी बात मै यह कहना चाहती हूं कि गुजरात के अन्दर एक कृषि विश्वविद्यालय अवश्य है और वह दातेवाला में चल रहा है, लेकिन रुपयों की कमी के कारण उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नही चल रही है। इसलिए मैं चाहती हूं कि बनासकांठा के अन्दर दांतेवाला में जो विश्वविद्यालय है उसको पैसे दिये जाने चाहिए, उसकी सहायता की जानी चाहिए। दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत जो आई० सी० ए० आर० अनुसंधान कार्य कर रहा है उसकी मदद से हम कृषि ले क्षेत्र में आगे चल रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है आई० सी० ए० आर० के जितने भी रिसर्च कार्यक्रम हैं वे या तो दक्षिण भारत में जाते है या उत्तर भारत में जाते हैं। गुजरात का जो एरिया है उसकी तरफ वे बहुत कम जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि अनुसंधान का कार्य गुजरात की तरफ भी किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं किसानों के बारे में थोड़े से शब्द कहना चाहती हूं। आजकल हमारे देश में हालत यह है कि किसानो को जो मान और प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए वह नहीं दी जा रही है। उसको समाज के अन्दर ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि किसानों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। किसानों को अच्छे बीच दिये जायें। आज इस प्रकार के भी बीज बनाये जाचुके हैं जो 10 गुनी तक पैदावार बढ़ा सकते है। हमारे देश का किसान 50 हजार रुपये में ट्रैक्टर नही खरीद सकता है। अगर ट्रैक्टरों की कीमत कम भी कर दी जाय तो 47-48 हजार रुपयों में हमारा किसान ट्रैक्टर नही खरीद सकता है। इसलिए आवश्यकइस वात की है कि किसानो को अच्छे बैल दिये जायें और बैलों की नस्ल सुधारने के लिए अच्छे स्टड फार्मों की स्थापना की जाय। अगर हम किसानों को अच्छे बैल और बीज दे सकेंगे तो हमारे देश की पैदावार भी बढ़ सकती है और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में भी काफी सुधार हो सकता है। अगर हम इस प्रकार से किसानों की मदद करेंगे तो इससे देश का बहुत भला होगा।

श्री जगजीवन राम : श्रीमान् उपसभाध्यक्ष जी, कृषि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण रोजगार है। जिस वर्ष कृषि का उत्पादन अच्छा होता है उस साल हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत बन जाती है। जिस साल कृषि का उत्पादन ख़राब हो जाता है उस साल बड़े बड़े अर्थ-शास्त्री स्वीकार करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है।

यह तो लोगों ने क़बूल किया कि हमारी राष्ट्रीय आय का क़रीब क़रीब आधा हिस्सा कृषि से ही आता है। कृषि से सिर्फ लोगों को भोजन देने के लिए अन्न उपजाने का ही काम नही होता है, इससे हमारे देश

के कई एक बड़े बड़े उद्योग चलते हैं जिससे कितने ही लोगों को रोज़गार मिलता है और समाज के आवश्यक अभाव की पूर्ति होती है, जैसे कपड़े के कारखाने, जूट के कारखाने, चीनी के कारखाने, वनस्पति के कारखाने—ये कुछ थोड़े से नमूने हैं। कृषि का उत्पादन अच्छा हो इसके लिए जमीन, पानी, बीज, खाद, इन सभी का समन्वय बहुत आवश्यक है ही लेकिन इन सब का समन्वय करने वाला और खेत में हल जोत कर और खेत को आबाद करने वाला भी उतना ही ज़रूरी होता है; उसका भी महत्व कम नही है, यह मानना होगा। अब इस साल फसल अच्छी हो गई तो जिधर से सुनते हैं वह यही कि बारिश अच्छी हो गई, बारिश अच्छी हो गई। सारा श्रेय बारिश को ही मिल गया। हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों ने क्या किया—उनके साथ इस तरह की बेइंसाफी की बात क्यो करते हो? मान लिया कि विरोधी पक्ष के लोग है, उनकी नाराजी कांग्रेस के दल से है, तो यह किसानो के साथ तुम्हारी नाराज़ी क्यों है? पानी बरस जाए और किसान परिश्रम नही करे, उस पानी को संजो कर खेत में उसका उपयोग न करे, तो चाहे इन्द्र भगवान कितनी बारिश दिया करे, गल्ला पैदा नही हो सकता। लेकिन यह मोटी बात वे कहां से समझें जिन्हें जमीन से सरोकार नही है? उन को तो विदेशों से जो साहित्य आता है उसी को पढ़ कर हिन्दुस्तान को समझने की कोशिश करते है। बदक़िस्मती इस देश की यह है कि बहुत से लोग हिन्दुस्तान को समझते हैं हिन्दुस्तान के लोगों की ज़बानी नहीं, विदेशियों की ज़बानी। अर्थशास्त्र के संबंध में तो भारतीय अर्थशास्त्र और आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए विदेश के अर्थ-शास्त्रियों द्वारा लिखी हुई टैक्स्ट बुक्स पढ़ी जाती है।

श्रीमन्, भूमि सुधार के संबंध में कांग्रेस ने उस वक्त से कार्य आरम्भ किया जब स्वराज्य नहीं हुआ था, और यह कहने में कोई संक्रोच नही है कि हमारी उपलब्धियां ऐसी हैं जिन पर किसी भी राजनैतिक दल को गर्व हो सकता है। इतनी तो उसमें सफलता अवश्य मिली है कि काश्तकार और सरकार के बीच जितने भी बिचौलिए थे उनको हमने निकाल दिया है। प्रायः हर प्रदेश में किसान और सरकार का सीधा सम्पर्क हो गया है। अब लैंड रिफार्म्स की, भूमि सुधार की, बात होती है तो एक ही बात पर लोग आकर टिकते है; वह यह है कि जो सीमाबंदी की गई कि एक परिवार के पास अधिक से अधिक जमीन इतनी होनी चाहिए, उस पर अमल नहीं हुआ है। यह बात सही है कि हमने केन्द्र से जो निर्णय किया और कांग्रेस ने जो निर्णय लिया कि भूमि की अधिकतम सीमा इतनी होनी चाहिए, उस पर प्रायः सभी राज्यों ने कानून पास कर दिया और उस पर जो अमल हो रहा है यह मैं नहीं कह सकता कि सभी राज्यों में संतोषपूर्ण हुआ है। भिन्न भिन्न स्थिति के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रगति हुई है। कही पर सभी लोगों से जमीन ली जा चुकी है, जिनके पास सीमा से अधिक जमीन थी। कही कही पर अभी लोगों ने सिर्फ अपना रिटर्न ही दाखिल किया है। कही पर कुछ भूमि मिल गई है तो उसको भूमिहीनों में बांट भी दिया गया है। उसमें कुछ का कब्जा हो गया है, कुछ में कब्जा नही हुआ है। इस सारी स्थिति में अभी हम हैं। लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, इस बात को तो सदस्यों को मानना होगा कि कोई एक महत्वपूर्ण सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन सिर्फ कानून पास कर देने से ही नही सुलभ हो जाता है। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी रस लेने पर वह काम जल्दी हो सकता है। मैंने कई दफा कहा कि सरकारी दस्तावेज चाहे जो कुछ हों, किस के पास कितनी जमीन है, वह सीमा के ऊपर है या सीमा के भीतर है, गांव के लोगो को यह बात मालूम रहती है। गांव के लोगों को यह बात भी मालूम रहती है और यह साधारण बात है कि किस साल किस के पास कितना गल्ला पैदा हुआ। गांव के लोगों को इस तरह की बात मालूम रहती है। शहर में यह बात जरूर है कि एक ही मकान में रहते हैं लेकिन नीचे वाले को ऊपर वाले के संबंध में पता नहीं रहता है कि उसके पास कितनी सम्पत्ति है। लेकिन गांव में कौन ऐसा है जिसको यह मालूम न हो कि इस साल किसके पास कितना गेहूं पैदा हुआ, कितना जो पैदा हुआ और कितना चना पैदा हुआ। इस तरह की बात सब को मामूली रहती है कि किसके पास कितनी जमीन है मैं इस बात को दोहराना नही चाहता हूं कि अगर ये मित्र बाहर भी जो इसमें रस लेना शुरू कर दें और गांव में देखने जायें कि किस के पास सीमा से अधिक जमीन है। वे उन लोगों को समझायें कि यह अधिक अच्छी बात होगी कि वे फालतू जमीन स्वयं दे दें; इस बारे में सरकारी कार्यवाही ही क्यों की जाये। उस फालतू जमीन को बांटने के

[श्री जगजीवन राम]

सम्बन्ध मे गांव के लोगों को मालुम रहता है कि सबसे गरीब कौन है। वैसे गरीब आदमी जिस का खेती से सम्बन्ध है, चाहे वह छोटा किसान हो या खेती में काम करने वाला मजदूर हो, उसको जमीन बांटने के मामले मे प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यहां पर उठकर कह देना कि इस बारे में कुछ भी नही हुआ है या खड़े होकर कह देना कि सरकार किसानों के लिए कुछ नही कर रही है, उसकी कोई नीति नही है, इसके माने तो यह हुए कि जो लोग इस तरह की बात करते है उन्होने इस चीज को समझने का यत्न ही नही किया है । जो नहीं समझे उन्हे समझाया जा सकता है । लेकिन जो समझना नही चाहते हैं उनको कभी भी नही समझाया जा सकता है। लेकिन जो विशेषकर कांग्रेस के ऊपर यह इल्जाम लगाते हैं कि वह किसानों के हित में कुछ नहीं कर रही हैं, उनके सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि मालूम होता है कि उन्हें कांग्रेस संस्था के इतिहास के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह की बात कहता है उसको इसका बिल्कुल भी ज्ञान नही है । कांग्रेस की सारी बुनियाद ही हिन्दुस्तान के किसानों और मजदूरों के हित के लिए ही रही है। कांग्रेस बगैर मजदूर और किसान के कायम रह भी नही सकती है और न ही उनके विश्वास के बिना रह सकती है। इसलिए हर कदम पर हमारा यह प्रयत्न रहता है कि किसान का विश्वास हमारे ऊपर रहे। मुझे इस बात को कहने मे कोई सकोच नही हो रहा है कि किसानों का विश्वास कांग्रेस पर है और कांग्रेस की नीतियो पर है ।

जहां तक जमीन के बंटवारे का सवाल है, आज भी जिसको खेती का तर्जुबा है वह इस तरह का सवाल कैसे उठा सकता है कि जिस के पास एक एकड़ जमीन है, वह चार हजार का बैल खरीदेगा ? जिसके पास एक एकड़ जमीन है क्या वह चार हजार का बैल रखता है ? अध्यक्ष महोदय, वह बैल नही खरीदता है । दो, दो एकड़ जमीन वाले आपस में कोआपरेशन करते है। आज जो कोआपरेटिव ऐक्ट है उसके मातहत नही बल्कि जो सही कोआपरेशन है उसके आधार पर एक बैल एक आदमी रखता है और दूसरा बैल दूसरा आदमी रखता है । एक दिन बैल एक की जमीन जोतेगा और दोनो उसमे काम करेंगे और दूसरे दिन बैल दूसरे की जमीन जोतेगा और वहां भी दोनों मिलकर काम करेंगे। जो हिन्दुस्तान के गांव में पैदा होगा वह यह नही कह सकता है कि दो एकड़ वाला चार हजार का बैल कैसे खरीदेगा । आज तक नहीं खरीद सका और न खरीदने की आवश्यकता ही है । इस तरह से वहां पर काम चलता है । जो काम करने वाले है, खेतों में काम करने वाले है, जिनको लज्जा नही लगती है उसके परिवार के सभी लोग जाकर उसके खेत में काम करते है । फिर उसके परिवार वाले आकर दूसरे के खेत में काम करते हैं । लेकिन जिनको हल छूना पाप है, उनके लिये दो एकड़ जमीन भी मुश्किल होगा । उन लोगो के लिये यह जल्दी हो जाना चाहिये कि जिनको हल छूना पाप है उनके लिये जमीन रखना भी पाप होना चाहिये । इस तरह के जो लोग बड़े प्रोग्रेसिव बनते है वे ढीले पड़ जायेंगे । जो लोग अपने माता-पिता, बहिन के साथ खेतों मे काम नही कर सकते हैं उनके पास जमीन भी नही रहनी चाहिये और सही भूमि सुधार भी उसी दिन होगा ।

इस तरह की डिमान्ड आती है कि जितनी जमीन हमारे पास है उसमें जितना पैदा होना चाहिये उतना नही हो रहा है । हमारे जैसे लोगों के पास भी जमीन है और अगर हम बैल को लेकर चले तो कोई ठिकाना नही रहेगा कि हम बैल को ले जायेंगे या बैल हम को ले जायेगा। क्यों हमारे जैसे लोगों के पास जमीन रहे ? लेकिन इस तरह की डिमान्ड आती कहां से है वे लोग कहते है कि जमीन किसानों को नही मिल रही है। वे लोग यह भी कहते हैं कि उनको दाम उत्पादन के हिसाब से मिले और उसी सांस में कहते हैं कि खेतिहर मजदूरो के बारे में भी सोचो । इस तरह की जो बात कहते हैं उनके बारे में हंसी आती है और कुछ मखौल सी बात लगती है। क्यों नही समझाते अपने किसान भाइयों को कि मजदूर का शोषण करना मुनासिब नहीं है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी । वह कानून मैंने पास करवाया था 1948 मे । आज तक

उस पर अमल कहां हुआ है। कितनी राजनैतिक संस्थाओं के लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने सही मायने में कोशिश की कि उस पर अमल हो मजदूरों को वह मजदूरी मिल सके जो निर्धारित की गयी है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। सारे काम सिर्फ सरकार के द्वारा नहीं होते। जैसा मैंने कहा समाजिक सुधार या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है।

भूमि के बाद सिंचाई का प्रश्न आता है। हमने तीनों चारों तरह की सिंचाई के बारे में ध्यान दिया है। बड़ी नदी घाटी योजनाओं, मध्यम नदी घाटी योजनाओं या छोटी-छोटी योजनाओं जो चाहे छोटी नदियों को बांधने की हों या भूगर्भ में जो पानी है उसको लिफ्ट इर्रीगेशन से उठाकर पहुंचाने की हों, उनको पूरा करने का प्रयास किया है। नदियों के संबंध में झगडे चलते रहे हैं। उनके भी दो पहलू हैं एक तो लोग झगड़ रहे थे, दूसरे लोग पानी के महत्व को समझने लगे हैं कि हमको ज्यादा पानी मिलना चाहिये, हमको ज्यादा पानी मिलना चाहिये। यह बात सही है कि इस बीच नदियों का पानी सागर में जाता रहा। लेकिन कोई सरकार यह नहीं कह सकती कि हमारे पास रुपया था लेकिन काम नहीं हुआ और पानी नहीं मिला। सभी सरकारों के पास एक से अधिक योजनायें थी। यद्यपि वे जानते थे कि एक ही योजना भर उनके पास रुपया है लेकिन कई तरह के दबाव होते है और इस कारण और भी योजनायें आ गई। कहा गया कि जल्दी योजनाओं को पूरा करना चाहिये। लेकिन इन कारणों से जो योजना पांच वर्ष में पूरी हो सकती थी उसमें सात वर्ष लगे, नौ वर्ष लगे। हमने यह यत्न किया कि नदियों के झगड़ों को निपटायें और यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इस में हमें बहुत हद तक सफलता मिली है।

नर्मदा के बारे में कहा गया। नर्मदा का मामला अदालत के सामने है। लेकिन इस बीच में मैंने एक काम किया कि जब तक अदालत का फैसला न हो तब तक पानी बेकार समुद्र में बहता न जाये, पानी का कुछ इस्तेमाल हो और मैं कहूंगा कि संबंधित सरकारों को सद्बुद्धि आई और यह फैसला हुआ कि मध्य प्रदेश की चार योजनायें और गुजरात की चार योजनायें जब तक अदालत का फैसला नहीं आने पर भी कार्यान्वित की जा सकती है। लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। इसलिये नर्मदा का झगड़ा सैद्धांतिक झगड़ा रह गया है, व्यावहारिक रूप से उसका आज विशेष महत्व नहीं है। चार चार योजनायें जिनके बारे में झगड़ा नहीं है अगर हाथ में ली जायें तो मेरा ख्याल है कि 10—12 वर्ष में वे पूरी हो पायेंगी, फिर दूसरी योजना शुरू करने का काम 10 वर्ष के बाद होगा और तब तक मुझे शक नहीं है कि नर्मदा का फैसला हो जायेगा।

कावेरी हमारे देश की एक ऐसी नदी है जिसके पानी का पूरा-पूरा इस्तेमाल हो रहा है। हमने यह यत्न किया था कि मैसूर को, केरल को और तमिलनाडु को, तीनों को उस नदी से पानी मिल जाये लेकिन वह पानी तभी मिलेगा जब हम वहां की सारी सिंचाई योजनाओं का आधुनिकी करण करेंगे। तभी हम पानी केरल को भी दे सकेंगे, कर्नाटक को भी दे सकेंगे और तमिलनाडु को जो पानी मिलता है वह मिलता रहेगा। ऐसा मालूम हुआ कि हम फैसले के नजदीक पहुंच चुके हैं लेकिन उस वक्त तमिलनाडु के मुख्य मंत्री अपने कदम पीछे हटा लिये और मामला वहीं रह गया। लेकिन अभी उसको छोड़ा नहीं गया।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : अब तो प्रेज़ीडेंट रूल है।

श्री जगजीवन राम : प्रेज़ीडेंट रूल है तब भी लोग वहां है।

पंजाब और हरियाणा का झगड़ा एक मुख्य मसला था। सदन को मालूम है कि उसके ऊपर फैसला कर दिया गया है और फैसले पर अमल किया जायेगा ऐसा ही सरकार का ख्याल है।

[श्री जगजीवन राम]

मुझे इसमें संदेह नहीं है कि पंजाब सरकार भी इस पर अमल कराने में सहायता देगी ।

पूर्व में कई नदियों का झगड़ा था । उनके बारे में बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर कुछ फैसला किया है । सुवर्ण रेखा का प्रश्न रह गया है आशा है कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल की सरकारें मिलकर उसके बारे में निर्णय कर लेंगी। तो धीरे-धीरे सभी नदियों का मसला हल होता जा रहा है । अभी तक हमारी सिंचाई योजनाओं में यह खामी रही कि हम सिंचाई की योजना तो बना लेते थे लेकिन जहां पानी जाता है वहां विकास का कोई काम नही करते थे । जमीन पर पानी आ जाये और उस का हम प्रबन्ध न करें, उस का स्वागत न किया जा सके तो वह भलाई करने के बजाय बहुत हद तक बुराई भी कर सकता है । इस का नतीजा यह हुआ कि जहां जहां कमांड एरिया को डवलप (विकास) करने की बात नहीं सोची गयी वहां पानी के जमाव की समस्या उठ खड़ी हुई । अब हमने निश्चय किया है कि जो भी योजना बनेगी उस में सिंचाई के क्षेत्र का विकास भी उस योजना का एक अंग हुआ करेगा । अगर इस तरह की योजना नहीं होगी तो उस योजना को स्वीकार नही किया जायेगा । अब कई सिंचाई योजनाओं के क्षेत्र को, कमांड एरिया को डवलप करने के लिये हमने विश्वबैंक से कर्ज भी लिया है । राजस्थान कैनाल है, चम्बल योजना है और नागार्जुन सागर की योजना है । उसका विकास करने की योजना हमारे सामने है और मुझे उम्मीद है कि हम उस को पूरा कर सकेंगे । इस में कोई दो रायें नही हो सकती कि हम को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिस साल मौसम खराब हो, बारिश संतोषजनक न हो उस साल भी हम कृषि से इतना उत्पादन कर सकें जितना हमारे भोजन के लिये और उद्योगों के लिये आवश्यक हो और इसी हिसाब से हम योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे हैं हर प्रांत में इसके उपाय किये जा रहे है। साथ ही साथ ट्यूब वैल्स की तादाद भी काफी बढ़ी है । आंकड़े देकर मैं इस समय ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। एक भाई ने सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा डगवैल्स खुदवा दें। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे देश का किसान बेवकूफ है । हमारे देश का किसान अनपढ़ हो सकता है, बेअक्ल नही है । उस को जहां भी मालूम होता है कि उसे जमीन में थोड़ी दूर पर पानी मिल सकेगा वह उसके लिये सरकार की सहायता लेने को बैठा नही रहता । वह खुद पानी निकाल लेता है । लेकिन जहां अधिक गहराई में जाना पड़ता है वहां उस के बूते की बात नहीं रहती । जहां 20, 25 या 30 फिट नीचे पानी मिल जाता है वह उसे खोद लेता है और मैंने देखा अपने क्षेत्र में कि वह गरमी के दिनों में तो कुंवा खोद लेता है और बरसात के दिनों में उस को भर देता है । मैंने किसी से पूछा कि हर साल ऐसा क्यों करते हो तो उसने बताया कि हम को बरसात में तो पानी की जरूरत नही रहती, तो फिर क्यों चार पांच फिट जमीन खराब की जाये । उसे वह बेकार नही रहने देता । तो हमारे देश का किसान बहुत अनुभवी है और अक्ल से काम करता है । लेकिन चम्पारन में ऐसा इंतजाम किया गया कि वहां कुंवा खोद कर ट्यूब वैल को पक्का नही करते, उसकी जगह बांस की टेकरी लगा देते हैं और उस से काम चल रहा है । इसका काफी प्रचार किया गया है । पानी के बाद खाद की जरूरत होती है। इसमें कोई शक नही कि फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी थी और उस का अभाव भी था। यह भी आप मानेंगे कि उसका ब्लैक मार्केटिंग भी होता था । दाम बढ़े हुए थे उसके बाद भी ब्लैक मार्केटिंग होता था । इतना तो मै दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से मैंने उस विभाग का काम अपने हाथ में लिया है, उस में पहला काम मैंने यही किया है कि ब्लैक मार्केटिंग को खत्म किया है । फर्टिलाइजर के दाम में भी तीन चार बार मैं मैंने दामों में भी कुछ कमी की है । यह मैं नही कहता कि जितने दाम कम कर दिये गये हैं उससे सब को संतोष हो जायेगा, लेकिन जितनी कमी की गयी है उस

से हमारे बजट पर अरबों रुपयों का असर पड़ गया है और फिर भी हम प्रयत्न में हैं कि जैसे जैसे दुनिया में इस की स्थिति सुधरेगी वैसे वैसे हम अपने यहां इस के दाम उसके अनुरूप बनायेंगे। इस में कोई शक नही कि ट्रैक्टर के दाम बढ़े है। हमारे यहां ही नहीं, दुनिया में बढ़े हैं और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी है। मैंने वित्त मंत्री जी से इस संबंध में बात की है और मुझे उमीद है कि जब वह अपना भाषण देंगे तो इस संबंध में वह जरूर कुछ घोषणा करेंगे।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : हमें छोटे ट्रैक्टर चाहिएं, बड़े नहीं।

श्री जगजीवन राम : सवाल यह है कि हमारे देश में जरूरत छोटे ट्रैक्टर की भी नहीं है बल्कि इस चीज की है और जैसा कि मैने अपने यहां के इंजीनियर्स से कहा है कि यहां कोई इस तरह का यंत्र चाहिये कि जिसके पीछे चल कर किसान जितना खेत वह एक जोड़ी बैल से जोतता है वह उतना मशीन से जोत सके। क्योंकि बैलो को तो चाहे वे काम करें या न करें उन को खिलाना जरूरी है और रेकरिंग कास्ट उन पर बराबर रहती है।

कोई भी इस तरह की छोटी मशीन हो तो रेकरिंग कास्ट उसकी नही होगी। जिस दिन वह चलेगी उसी दिन दाना पानी, उसी दिन पैट्रोल या डीजल उसको देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इंजीनियर लोग इस तरह का कोई यंत्र निकाल लेंगे। इस तरह का यंत्र निकलेगा तो लाखों की तादाद में इस की जरूरत होगी। हमने यह इंतजाम रखा था कि एग्रो इन्डस्ट्रीज की तरफ से ट्रैक्टर की कस्टम सर्विस रखें या किसान लोग ट्रैक्टर रखें और दूसरों की जमीन जोत दिया करें और उसके लिये मुनासिब भाड़ा, एक एकड़ के पीछे इतना रुपया ले लें। लेकिन उसमें खामी यह होती है कि कार्तिक का महीना है, किसान को खेत में गेहूं लगाना है, चार दिन में अगर नहीं लगाते हैं तो फिर उसकी नमी खत्म हो जाती है। अगर चार दिन में कस्टम ट्रैक्टर नही मिला तो उसकी एक फसल चली जायेगी। इसलिये किसान चाहता है कि ऐसा प्रबन्ध रहे कि हमारे हाथ में बात रहे कि ठीक वक्त पर हम उसमें बोआई कर सके। यही बात धान की खेती के लिये भी है। जिस वक्त प्लांटशन का मौका आ गया है, हो सकता है कि धूप तेज हो जाये, फिर चार दिन मे ट्रांसप्लांटेशन न कर सकें। इसलिये किसान चाहता है कि इस तरह का कोई यंत्र हो जाये तो वह किसान के लिये फायदेमन्द होगा और मुल्क के लिये भी होगा।

बीज तो हम पैदा कर रहे हैं, राज्यों के क्षेत्र में भी और केन्द्र में भी। इस देश में हमारे वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है, काफी प्रगति हुई है जो हमारे लिये फख्र की बात है। दूसरे देशों से हमारे यहां से बीज आज मांगा जा रहा है और हम बीज एक्सपोर्ट (निर्यात) कर रहे है। यह बात सही है कि जब हम विज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते है और उपलब्धियां होती हैं तो कभी कभी जब वह क्षेत्र में जाती है तो मालूम होता है कि लेबोरेट्री मे जितनी सफलता हुई थी उतनी सफलता खेत में नहीं मिलती। दो चार साल क्षेत्र में भी काम कराया जाता था तो बीज में खराबी आ गई। हम यह दावा नहीं कर सकते कि कही भी ऐसा नही हुआ है।

एक बात मै कह दूं कि गेहूं और चावल को छोड़कर जितनी भी पैदावार अन्न से सम्बन्ध रखने वाले दलहनों या तिलहनों की है उनके मूवमेंट (आवागमन) के ऊपर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन देखते है कि जब कभी भी व्यापारी कहेगा तो चाहेगा कि खुला कर दो। हमने कहा खुला तो सब अनाज है, करो तिजारत। कहते हैं कि चावल गेहूं को खुला कर दो। जब तक हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि शहर या देहात में चावल और गेहूं का अभाव नही होने दिया जाएगा और राशन या फेयर प्राइस शाप्स (दूकानों) के जरिये गल्ला मुहैय्या करें, तब तक हम इन दो चीजों पर नियंत्रण रखना चाहेंगे। नियंत्रण छोड़ दें तो इसके माने हैं कि हम व्यापारियो के हाथ में चले जाते हैं। अगर हमको यह विश्वास रहता है

[श्री जगजीवन राम]

कि आज नियंत्रण हटा देंगे तो उसके बाद किसान ही रह जाएगा तो उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है क्योंकि किसान से हमको उतना खतरा नहीं मालूम होता है। लेकिन जहां एक दफा नियंत्रण हटा तो यह मामला चला जाएगा व्यापारियों के हाथ में और फिर किसान भी और हम भी व्यापारी के हाथ में चले जायेंगे और अपने आप को उसके हाथ में छोड़ देंगे।

हमने 105 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम निर्धारित किया और हमने तय किया कि 105 रुपये में स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जितना गल्ला आयेगा हम सब खरीद लेंगे। कुछ प्रान्तों में एफ० सी० आई० नहीं खरीद रहा है। कहीं प्रान्तीय सरकारें खरीद रही हैं। कहीं-कहीं कोआपरेटिव्ज लगी हुई है खरीद में। मैं यह नहीं कहता कि किसानों का गल्ला आज तक कहीं भी वापस नहीं किया गया है। अगर घुना हुआ गेहूं आयेगा तो कैसे लेंगे। पिछले साल का रखा हुआ घुन लगा हुआ आधा मिला हुआ लाये तो उसको खरीद लिया जाए तो वह मुनासिब बात नहीं होगी। अगर मिट्टी, फारन मैटर इतनी ज्यादा हो जितनी नहीं होनी चाहिए तो उसको खरीदना मुनासिब नहीं है क्योंकि हमको भी तो बेचना है। लेकिन सही तरीके से हमने यह भी राज्य सरकारों से कहा है कि जहां-जहां मुख्य मंडियां है, वहां पर आप सरप्राइज विजिट करते रहें। वहां पर मंडियां कमेटियां बना दें जिसमें सार्वजनिक लोग भी शामिल हो और उसके बाद खरीद में जहां खराबी पाई जाए, चाहे हमारा आफिसर हो या राज्य सरकार का हो या कोआपरेटिव का हो, ये जो तीन चार संस्थाये काम कर रही हैं, इनके ऊपर नजर रखें और खराबी पाई जाए तो कड़ा कदम उठाना चाहिए।

यह एक आम बात हो गई है किसान से बनिया गल्ला सस्ता ले लेता है और फिर उसे केन्द्र को बेच देता है। खरीदता होगा क्योंकि उसके पास अक्ल है। वह किसान से खरीद लेगा और खरीद कर उसकी री-कंस्ट्रक्ट करेगा अपग्रेड करेगा। जिस अनुपात में विजातीय पदार्थ होने की और खराबी की परसैन्टेज की बात है उसी हद तक वह उन्हें कर देता है और फिर लाकर सरकारी केन्द्र को बेच देता है। मैंने राज्य सरकारों को बराबर कहा है कि वे किसान को समझावें कि जहां तक संभव हो वह अपने गल्ले को साफ करके ले आवें। मैं फिर आश्वासन देता हूं कि गेहूं और चावल के खरीद के जो दाम तय किये गये है किसानों से उसी दाम पर खरीदा जाएगा। सदन को मालूम है कि जौ और चने के दाम कभी पहले निर्धारित नहीं करते थे। फसल कटने से पहले जौ और चने के दाम बहुत तेजी से गिर रहे थे और ऐसा भय था कि फसल कटने पर इनके दाम और नीचे गिर जाएंगे इसलिये इनके दाम भी इस वर्ष तय करने पड़े। राज्य सरकारों को हिदायत कर दिया गया है कि जब ये बाजार में आए तो इनको निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाए, छोड़ा न जाए। हम बराबर इस बात को देखते रहते हैं कि कहीं किसान परेशान न हो। अभी तक किसान का यह तजुर्बा रहा है कि जिस साल उसने ज्यादा पैदा किया उसको कम दाम मिले और जब कम पैदा किया तो ज्यादा दाम मिले। 1967 में हमने प्रोक्योरमेन्ट (खरीद) और सपोर्ट (समर्थन) प्राइस का भेद खत्म किया था। जब दाम नीचे गिरने लगते हैं तो प्रोक्योरमैन्ट प्राइस ही सपोर्ट प्राइस हो जाती है।

हमारे पास स्टोरेज की कमी भी है। लेकिन इस कमी की वजह से हम खरीद न करें ऐसी बात नहीं है। स्टोरेज की कमी को काफी हद तक हमने दूर कर लिया है। जहां कहीं भी हमको जगह मिली है हमने ले ली है। फूड कारपोरेशन से, वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन से, प्राइवेट सेक्टर से, आर्मी से, सिविल एविएशन डिपार्टमेन्ट से हमने जगह ली हैं। जूट के कारखानों का काम अगर मंदा पड़ गया तो उनके गोदाम हमने ले लिये। हमने यह भी तय किया है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो गर्मियों में स्कूल और कालेजों में गल्ला रखेंगे। लेकिन किसान मजबूर हो कर अपने घर में गल्ला रखे यह नहीं होगा। एक बात स्मरण रखनी चाहिये कि व्यापारी और किसान का सदा से साथ चला आया है।

मै सदस्य महोदयो से कहूंगा कि जहा कही भी खराबी देखे ग्राप हमें लिखने में संकोच न करें ।

केरल के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं । एक-एक बात का जवाब तो मै नही दे सकूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि केरल रबर देता है, नारियल देता है, तो हमने उनको ग्राश्वासन दिया है कि उम उन्हें चावल देंगे । केरल के लोगों के बारे में ग्रापको जानकारी नहीं है तो मैं क्या करूं केरल से पालिटिकल या नान पालिटिकल लोग जो मेरे पास ग्राया करते हैं मैं उनसे पूछा करता हूं । मुझे प्रसन्नता होती है जब जवाब मिलता है दाम बहुत ग्रच्छे हो गये है, चावल मिल रहा है । लोगों में सन्तोष हैं । मैं मानता हूं कि केरल की सरकार केरल की जनता का काफी ख्याल रखती है । जितना ग्रावश्यक हुग्रा है हमने उन्हे गल्ला बराबर दिया है । कभी-कभी चावल देने में कोताही जरूर की है । वह इसलिये की है ताकि केरल के लोग भी गेहूं खाने के ग्रादी हो जाएं । मुझे प्रसन्नता है कि कुछ लोगों को ग्रादत पड़ गई है गेहूं खाने की । एक टाइम तो चावल खाना उनके लिये बहुत जरूरी है । लेकिन वह चार ग्रौस ही होता है । लोगो को इस बात का भ्रम हो जाता है कि चार ग्रौंस चावल से कैसे गुजारा चलेगा ।

चार ग्रौम कैसे कोई रखेगा ? जो लोग चार ग्रौंस की बात करते है वे लोग पूरी बात नही कहना चाहते । केरल मे जो चावल पैदा होता है वह भी तो उनके पास होता है । उसमें केरल सरकार भी ग्रपना हिस्सा मिलाती है । लेकिन यह कहना ठीक नही है कि केवल चार ग्रौंस मिलता है । कुछ लोग पोलिटिकल तरीके (राजनीतिक मतलब) से इस बात को मोड़ देने की कोशिश करते है ।

यहां पर नारियल की बात भी कही गई ग्रौर यह भी कहा गया कि यहां के लोगों का रोजगार का मुख्य साधन नारियल ही है । यह ठीक है कि वहां के छोटे बड़े लोगों का रोजगार का एक प्रमुख साधन नारियल है। इसके बारे में यह कहा गया कि जो कोकोनट डेवलपमेन्ट कौंसिल है उसके ग्रतिरिक्त एक बोर्ड बना दिया जाय । इस संबंध मे मेरा कहना यह है कि बोर्ड हम उन जिन्सो के संबंध में बनाते है जिनके बारे में निर्यात की बात सोची जाती है, जैसे काफी बोर्ड है, क्वायर बोर्ड है । लेकिन नारियल के संबंध में लोगो की राय हुई कि इसका भी एक बोर्ड बना दिया जाय, इसलिए जिन सरकारों का इससे संबंध हैं उन्हे खत लिखा गया है ग्रौर इस बारे में उनकी राय मांगी गई है । उनकी राय ग्रा जाने के बाद जो भी मुनासिब होगा, फैसला किया जाएगा । कोस्टल इलाके में जो नारियल होता है उसको पेड़ पर चढ़कर तोड़ा जाता है । उसमें भविष्य में यह दिक्कत पैदा होगी कि ग्राज तो बाप नारियल तोड़ता है पर कल उसका बेटा पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने को तैयार नही होगा । इसलिए ग्रब ग्रावश्यकता इस बात की है कि ग्रब ड्वार्फ वेरायटी (छोटी ऊंचाई) के पेड़ लगायें जायें ताकि नारियल तोड़ने के लिये सीने से रगड़कर पेड़ पर चढ़ने की जरूरत न हो ।

जहां तक बाढ़ के नियंत्रण का सवाल है, पिछले 20 सालों में इस दिशा में काफी सफलता मिली है । यह ठीक है कि ब्रह्मपुत्र नदी काफी नुकसान करती है, लेकिन जो यह बात कही गई है कि वह ग्ररबो का नुकसान करती है, ये ग्रांकड़े सही नही हैं । मै उनसे यह कहूंगा कि वे फिर ग्रांकड़ों को देखने की कृपा करे । इससे उनको यह मालूम हो जाएगा कि उनको जो ग्रांकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं । ब्रह्मपुत्र के संबंध में एक बोर्ड बनाने की बात भी ग्राई है । इस संबध में एक बिल सदन में लाना है । उसका ड्राफ्ट बना करके ग्रासाम सरकार के पास भेज दिया गया है । जैसे ही इस संबंध मे उनकी सहमति प्राप्त हो जाएगी, उस संबंध में एक कानून बनाया जाएगा ।

मोटे तौर से चीनी के संबंध में भी काफी बातें कही गई हैं । माननीय सदस्यों ने कहा कि गन्ने के काफी रुपये ग्रभी तक बकाया है । ग्रब तक परम्परा यही रही है कि गन्ना मिलों में चला जाता है, चीनी बन जाती है उसके बाद भी किसानों को पैसा नही मिल पाता है । मैंने इस परम्परा को तोड़ने का प्रयत्न किया है ग्रौर इस बात की कोशिश की है कि तेजी के साथ भुगतान किया जाय।

[श्री जगजीवन राम]

गोरखपुर का एक सवाल खासतौर पर किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस जोश खरोस के साथ यहां पर बात कही गई है अगर उससे आधे जोश खरोस के साथ भी यह बात लखनऊ में कही जाती तो शायद कुछ असर हो सकता था। इसका कारण यह है कि इस कारखाने को राज्य सरकार चला रही है। जब प्राइवेट सेक्टर बद्सलूकी करता है तो यह कहा जाता है कि इस प्रकार के कारखानों को सरकार अपने हाथ में ले ले। जब सरकार उसको अपने हाथ में ले लेती है तो बकाया के बारे में कहा जाता है। जो बकाया धन-राशि है, उसके बारे में कोई मजबूरी होगी, इसीलिए वह नहीं दिया जा सका है। मैंने राज्य सरकारों को बार-बार कहा है कि इस संबंध में जो भी कानूनी कार्यवाही मुनासिब है वह की जानी चाहिए और अगर गलती करने वाले को जेल में भेजने की जरूरत हो तो उसको जेल भी भेजा जाना चाहिए। मैं खासतौर से यू० पी० के बारे में कह रहा हूं। यू० पी० के मुख्य मंत्री ने हिम्मत की और एक बड़े चीनी के उद्योगपति को मीसा के अन्दर बन्द कर दिया।

ये सब काम तो चल रहे हैं, ऐसी हालत में यह कहना कि किसानों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के इतिहास का परिचय जिसको होगा वह ऐसा नहीं कह सकता है...

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : आपको तो है, बाबू जी।

श्री जगजीवन राम : मुझे जरूर है, और मैं कागज पर खेती नहीं किया करता।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने आपका समय लिया। मोटे-मोटे प्रश्न जो उठाए गए मैंने समझा कि उनके ऊपर कुछ प्रकाश डाला जाए। छोटे-छोटे जितने प्रश्न है, मैं उनको विभाग से जंचवाऊंगा और जो मुनासिब करने को होगा उसको किया जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RANBIR SINGH) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at forty-six minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 12th May, 1976.

MGIPRRND—9 RSS/76—IInd (Day)—6-7-76—595